दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 संबंधी पुस्तिका

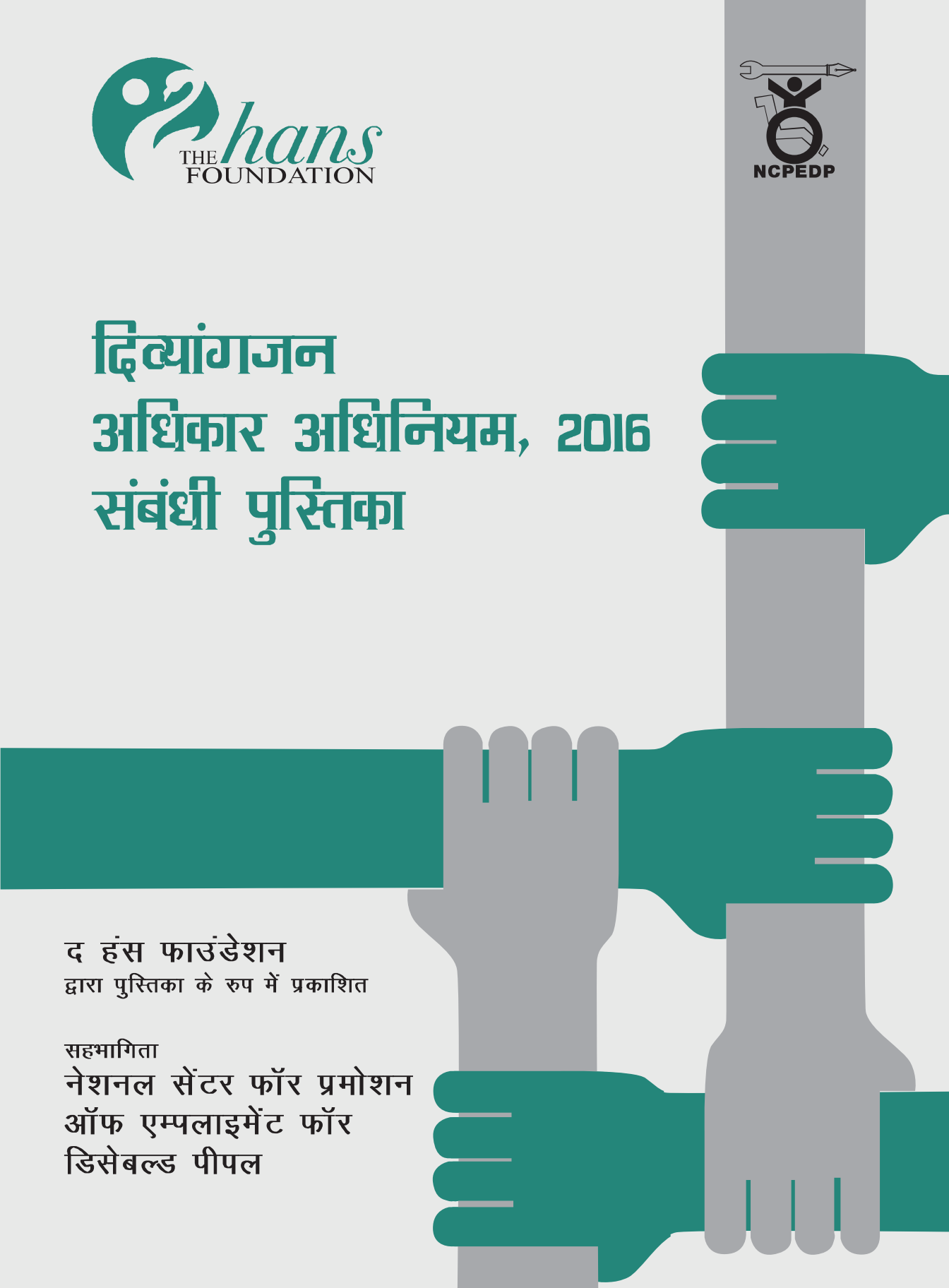

द हंस फाउंडेशन
द्वारा पुस्तिका के रूप में प्रकाशित

सहभागिता
नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्पलाइमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल

विषय सूची

अध्याय 1
प्रारंभिक 09

अध्याय 2
अधिकार और हकदारियां 18

अध्याय 3
शिक्षा 28

अध्याय 4
कौशल विकास और नियोजन 31

अध्याय 5
सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और आमोद–प्रमोद 35

अध्याय 6
संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपबंध 42

अध्याय 7
उच्च सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपबंध 43

अध्याय 8
समुचित सरकारों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व 47

अध्याय 9
दिव्यांगजनों के लिए संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण और ऐसे संस्थाओं को अनुदान 48

अध्याय 10
विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं का प्रमाणन 53

अध्याय 11
केन्द्रीय और राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड तथा जिला स्तर समितियां 55

अध्याय 12
दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त 60

अध्याय 13
विशेष न्यायालय 63

अध्याय 14
दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि 64

अध्याय 15
दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि 65

अध्याय 16
अपराध और शास्तियां 66

अध्याय 17
प्रकीर्ण 69

श्वेता रावत
चेयर पर्सन, द हंस फाउंडेशन

आमुख

द हंस फाउंडेशन (टीएचएफ) ने पहली बार 2009 में दिव्यांगजनों से संबंधित विषयों को मुख्य रूप से उठाने में द नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्पलाइमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल (एनसीपीईडीपी) के साथ काम करना आरंभ किया था। हमारे संयुक्त कार्य के फलस्वरूप देश में पहली बार 2011 की जनगणना में दिव्यांगजनों की गणना और उन्हें सम्मिलित करने की दिशा में व्यापक संयुक्त प्रयास किए गए। अनेक वर्षों से द हंस फाउंडेशन, एनसीपीईडीपी के साथ विशेष रूप से अन्य कार्यक्रमों के साथ शिक्षा, पहुंच, युवा लक्षित कार्यक्रमों को सम्मिलित किए जाने संवादों को आगे बढ़ाने से संबधित अनेकों अभियानों में सहभागी रहा है।

द हंस फाउंडेशन के साथ सहभागिता संबंध एक ऐसी परिस्थितिकी पद्धति का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें विकास संबंधी वृहद चर्चाओं में दिव्यांगता भी एक विषय के रूप में होगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम सरकार के साथ–साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ काम कर रहे हैं। कीस्टोन हयूमन सर्विसेज इंटरनेशनल के साथ हमारा काम दिव्यांगजन के संस्थागत निवास के लिए निवारक और उनके समुदाय के बीच रहने के लिए संवर्धनात्मक कदम उठाने पर केन्द्रित है। हम केन्द्रीय और राज्य सरकारों के साथ अपने काम को जारी रखेंगे और उसमें हमारे कार्यक्षेत्र का एक केन्द्रीय बिंदु आधारिक पण्यधारकों की क्षमता का निर्माण करना और जागरूकता स्तरों में वृद्धि करना होगा। इसमें अन्य के साथ–साथ स्वयं दिव्यांगजनों उनके कुटुम्ब के सदस्य, दिव्यांगजन के और उनके लिए काम करने वाले संगठन, स्थानीय सरकार और अन्य के साथ–साथ सेवा प्रदाता सम्मिलित है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के पारित होने से दिव्यांगजनों से संबंधित विषयों पर बहुस्तरों पर काम करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान हुई है। तथापि इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन इसके सच्चे स्वरूप में गांवों में किए जाने की आवश्यकता है। इस पुस्तिका में इन उपबंधों की सरल भाषा में व्याख्या की गई है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि वास्तविक लाभ और हकदारियां क्या–क्या हैं और उन्हें कहां से और कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हम आशा करते हैं कि इस पुस्तिका का व्यापक उपयोग किया जायेगा और दिव्यांगता विषयों से संबंधित चर्चाओं में वृद्धि होगी और दिव्यांगजनों को अपने अधिकारों और सेवाओं का उपयोग करने में सहायता मिलेगी।

जावेद अबीदी

मानद निदेशक, एनसीपीईडीप

प्रस्तावना

दिव्यांग अधिकारों के एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में अपने इन तीस वर्षों में मैं दो नए विधानों – निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 और अब दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का अंग रहा हूं। जिस किसी ने भी 1995 के अधिनियम के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं की चुनौतियों को देखा है, ऐसे में मेरा और मेरे जैसे अन्य लोगों का यह सुनिश्चित करना दायित्व बन जाता है कि 1995 से जो सबक हमने सीखा है और अनुभव प्राप्त किए हैं वे 2016 के अधिनियम के कार्यान्वयन मे हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करेंगे। मैं इस पर बाद में चर्चा करूंगा।

मैंने अनेक अवसरों पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को बदलती परिस्थितियों में एक प्रतिमान विधान की संज्ञा दी है, जो देश में लाखों दिव्यांगजनों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम करेगा। परंतु एक विधान का अच्छा विधान होना उसके कार्यान्वयन पर निर्भर करता है। अधिकारों को धारण करने वालों में इस विधान के उपबंधों के बारे में जागरूकता पैदा कर पाना इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सबसे बड़ा निर्धारक होगा।

भारत में जिन लाखों दिव्यांगजनों के लिए यह विधान बनाया गया है उनमें से अधिकांश लोग छोटे नगरों और गांव में रहते हैं। ऐसा मत व्यक्त करना अस्वाभाविक नहीं होगा कि उनका एक बहुत बड़ा वर्ग इस नए विधान से अनभिज्ञ है। विधान की उच्च तकनीकी भाषा को समझ पाना सदैव कठिन रहता है। एक साधारण दिव्यांग केवल इतना ही जानना चाहता है कि उसके अधिकार और हकदारियां क्या हैं और उन्हें कैसे और कहां से प्राप्त किया जा सकता है। इस पुस्तिका को हंस फाउंडेशन (टीएचएफ) ने नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्पलाइमेंट फॉर डिसेब्लड पीपल (एनसीपीईडीपी) के सहभागिता से इस आशय से तैयार किया है कि अधिनियम के विधि विषयकों और उन्हें कहां और कैसे प्राप्त किया जा सकता है, के अंतर को समाप्त किया जा सके।

यह पुस्तिका मुख्य रूप से दिव्यांगजनों, उनके परिवार के लोगों और मित्रों के लिए है। तथापि, यह पुस्तिका उन पण्यधारकों के लिए भी एक संसाधन के रूप में है जिनकी कि दिव्यांगजनों के अधिकारों का समर्थन और संरक्षण सुनिश्चित करने में भूमिका है। इसमें अन्य के साथ–साथ विद्यालय, महाविद्यालय, कार्यस्थल, स्थानीय सरकार हो सकते हैं। इन बातों के बाद अब मैं अपनी उस मूल टिप्पणी पर आता हूं, जो 1995 के अनुभव से सीखे गये सबक के बारे में है। वर्ष 2000 में, 1995 के विधान के अधिनियमित होने के पांच वर्ष बाद, हमने अधिनियम की निर्णयजन्य विधि की बारीकी से जांच की और हमें केवल 7 मामले मिले। जोर–शोर से अभियान चलाने के बाद, जिसमें विधान की भाषा को सरलता से समझ में आने वाली भाषा में तोड़ना, साथ ही जागरूकता अभियानों के आयोजन के पश्चात् कुछ ही वर्षों में यह आंकड़ा बढ़कर कुछ सैकड़ों तक पहुंच पाया है।

सैकड़ों–हजारों दिव्यांगजन जहां अपने अधिकारों को नहीं जानते, किन्तु उन्हें उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त बना दिया गया है। हम आशा करते हैं कि इस पुस्तिका के माध्यम से यदि बहुत ज्यादा नहीं तो इसी प्रकार के प्रभाव हमें प्राप्त होंगे।

अध्याय – 1

प्रारंभिक

मुख्य विशेषताएं

- इस अध्याय में विधान में प्रयुक्त उस सर्वाधिक महत्वपूर्ण शब्दावली की व्याख्या की गई है जिसका अर्थ प्रतिदिन प्रयुक्त होने वाले अर्थ से सामान्यतया भिन्न है।
- इन परिभाषाओं में उन संकल्पनाओं को समग्र रूप से समाहित किया गया है जिनका कि संदर्भ आने पर पुनरावृत्ति न हो। इनसे इस सांविधि में अस्पष्टता समाप्त हो जाती है तथा इसके आशय को समझने में सहायता मिलती है।
- इस अध्याय में युक्तियुक्त आवासन, सर्वव्यापी डिजाइन, सार्वजनिक भवन, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, संदर्भित दिव्यांगजन सहायता, आईसीटी–सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जैसी शब्दावली की व्याख्या की गई है।

अपीलीय प्राधिकारी

1. **अधिनियम में तीन अपीलीय प्राधिकारियों का उल्लेख है।**

इस अधिनियम में यह उपबंध कि जब किसी दिव्यांगजन को किन्हीं परिस्थितियों में संतोषजनक और समुचित सहायता प्रदान कर दी गई है और तब भी वह वैधनिक बाध्यकारी निर्णय नहीं ले पाता है, तो ऐसी अवस्था में उसे ऐसे अन्य व्यक्ति की सहायता प्रदान की जा सकेगी जिसके पास उस दिव्यांगजन की वैयक्तिक और सम्पत्ति हितों की देखभाल (और तदनरूपी कर्त्तव्यों) का वैधानिक प्राधिकार है।

जब कोई व्यक्ति वैधानिक संरक्षक नियुक्त करने वाले व्यक्ति के निर्णय से संतुष्ट न हो तो वह दूसरे प्राधिकारी, जो कि उससे उच्च प्राधिकारी होगा, के पास आवेदन कर सकता/सकती है। यह उच्च प्राधिकारी उस मामले की जांच करेगा और पूर्व प्राधिकारी के निर्णय को, यदि आवश्यक हो, बदल देगा। इस प्राधिकारी के निर्णय को, यदि आवश्यक हो, बदल देगा। इस प्राधिकारी को अपीलीय प्राधिकारी कहा जाता है और इसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

इस अधिनियम में उपबंध है कि यदि कोई व्यक्ति जो दिव्यांगजन संबंधी कोई संस्था स्थापित करना और चलाना चाहता है तो वह ऐसा तभी कर सकता है जब उसने इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी (जिसके पास इस प्रकार के संस्थान को प्रमाणित करने की आवश्यक योग्यता, ज्ञान अथवा कुशलता हो) से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो। इस प्राधिकारी के पास कतिपय परिस्थितियों में इस लाइसेंस को रद्द करने की शक्ति भी होगी। प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस देने से इंकार करने अथवा लाइसेंस रद्द करने की स्थिति में वह व्यक्ति जो प्राधिकारी के इस विनिर्णय से संतुष्ट नहीं है, मामले की जांच के लिए उच्च अधिकारी को आवेदन कर सकता है और यदि आवश्यक हो तो वह पूर्व प्राधिकारी के निर्णय को बदल सकता है। इस उच्च प्राधिकारी को अपीलीय प्राधिकारी कहा गया है।

इस अधिनियम में यह भी उपबंध किया गया है कि किसी विनिर्दिष्ट दिव्यांगता (अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध दिव्यांगता) वाला कोई भी व्यक्ति दिव्यांग का प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को अवेदन कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह मामले की जांच के लिए उच्च प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है और यदि आवश्यक हो तो, वह पूर्व प्राधिकारी के निर्णय को बदल सकता है। इस उच्च प्राधिकारी को अपीलीय प्राधिकारी कहा जाता है।

2. समुचित सरकार

इससे अभिप्राय केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णता या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किसी स्थापन/प्रतिष्ठान और छावनी अधिनियम, 2006 के अधीन गठित किसी छावनी बोर्ड से है।

स्थानीय प्राधिकरण अथवा स्थापन अथवा संस्थाओं जिन्हें अपनी निधि राज्य सरकार से प्राप्त होती है, से अभिप्राय राज्य सरकार से है।

3. **रोध** शब्द का शब्दकोश में अर्थ बाढ़ लगाना अथवा बाधा डालने से है जो आवाजाही अथवा पहुंच को रोकती है। किंतु अधिनियम में इसकी अधिक व्यापक परिभाषा की गई है जिसमें संसूचनात्मक, सांस्कृतिक, आर्थिक, पर्यावरणात्मक, संस्थागत, राजनैतिक, सामाजिक भाव संबंधी या अवसंरचनात्मक कारक सम्मिलित हैं, जो समाज में दिव्यांगजन की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी को रोकते हैं। उदाहरण के लिए 'स्टीरियो टाइपिंगग' एक भावनात्मक रोध हो सकती है जिसमें लोग यह मानते हैं कि एक दिव्यांग के जीवन की स्थिति दयनीय है अथवा वह अपनी दुर्बलता के कारण रोगग्रस्त हैं और इस कारण इस प्रकार के व्यक्ति के जीवन में अप्रसन्नता है और इसमें उत्साह की कमी है। एक दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति के लिए पुस्तको, ब्रेल में सामग्री का अभाव संसूचनात्मक रोध हो सकता है। सामाजिक रोध उन परिस्थितियों से संबंधित है, जिनमें कोई व्यक्ति जन्म लेता है, बढ़ता है, रहता है, सीखता है और काम करता है और जीवन बिताता है – अथवा स्वास्थ्य संबंधी सामाजिक मानक जिनसे दिव्यांगजनों के बीच काम करने की क्षमता कम होती है। उदाहरण के लिए अन्य की तुलना में दिव्यांगजन के अधिक बेरोजगार होने की संभावना रहती हैं। संस्थागत रोधों में अनेक विधिक नीतियां, कार्यप्रणाली और व्यवहार शामिल है जिनमें दिव्यांगजनों से विभेद होता है ऐसा जानबूझकर न भी हो, फिर भी, ऐसे व्यवहार हैं जिनमें दिव्यांगजन को स्थान नहीं दिया जाता और अनेक परिस्थितियों में उन्हें समान अधिकारों से वंचित रखा जाता है।

4. **देख–रेखकर्त्ता** परिवार का सदस्य अथवा अन्य कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो संदाय करने या उसके बिना किसी दिव्यांगजन को देख–रेख सहारा सहायता देता हो।

5. **प्रमाणकर्ता प्राधिकारी :**

वे सभी अधिकार जो एक दिव्यांगजन को प्राप्त हैं, का उपयोग तभी किया जा सकता है जब उसकी दिव्यांगता को प्रमाणित कर दिया गया हो अथवा अधिनियम के एक भाग के रूप में संलग्न सूची में उल्लिखित दिव्यांगता के रूप में शासकीय मान्यता मिली हों। प्रमाणित करने के लिए वही व्यक्ति सक्षम होगा जिसके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने की अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव हो, इन व्यक्तियों को सरकार द्वारा पदाभिहित किया जाता है और इन्हें प्रमाणकर्ता प्राधिकारी कहा जाता है।

6. **'संसूचना'** शब्द में जहां सामान्यतः जानकारी का आदान–प्रदान की प्रक्रिया और साधन दोनों ही सम्मिलित है, किन्तु अधिनियम में इस शब्द का प्रयोग उन विभिन्न उपाय और रूपविधानों के लिए किया गया है जो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए है कि जानकारी दिव्यांगजनों तक पहुंची है अथवा उस तक उनकी पहुंच है जैसे पाठ का प्रदर्शन ब्रेल, स्पर्शीनीय संसूचना, संकेत, बड़ा मुद्रण, पहुंच योग्य मल्टीमीडिया, लिखित, श्रव्य, वीडियो, दृश्य प्रदर्शन संकेत भाषा, सरल भाषा, ह्यूमन रीडर। इसमें संवर्धित अनुकल्पनीय पद्धति भी शामिल है (यह ऐसी शब्दावली है जिसमें दिव्यांगजनों की वाक्शक्ति अथवा लेखन में संयोजन अथवा परिवर्तन करने के लिए उपयोग में लाये जाने वाली संसूचना विधि सम्मिलित है। इस विधि का उपयोग लोगों द्वारा बोली गई अथवा लिखित भाषा को उत्पन्न करने अथवा समझने के लिए किया जाता है) इसे बाडी लैग्वेज, इशारों, संकेत भाषा के माध्यम से बिना किसी सहायक यंत्र के किया जा सकता है। इसे कागज, पेंसिल, ऐसे उपकरण जो ध्वनि पैदा करते हैं (ध्वनिजनित उपकरण अथवा एसजीडीस) के माध्यम और/अथवा लिखकर भी किया जा सकता है। इलैक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों के माध्यम से प्रयोक्ता चित्र चिन्हों, पत्रों, और/अथवा शब्दों और वाक्यांशों से भी संदेश दे सकता है।

7. **सक्षम प्राधिकारी** वह प्राधिकारी है जिसे राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण करने और ऐसी संस्थाओं को अनुदान देने हेतु नियुक्त किया जाता है।

8. **विभेद** : अधिनियम के अनुसार इसमें ऐसी स्थिति सम्मिलित है जिसमें दिव्यांजन के साथ अन्य लोगों की तुलना में इस कारण विभेद किया जाता है कि वह दिव्यांग है। उदाहरण के लिए बालक/बालिकाओं को इस कारण विद्यालय में प्रवेश देने से इंकार कर दिया जाए कि उसकी दृष्टि कमजोर है अथवा वह विद्या दिव्यांग है अथवा किसी व्यक्ति को इस कारण नियोजित नहीं किया जाये कि वह व्हीलचेयर का प्रयोग करता/करती है।

इसमें बहिष्कार भी शामिल है, जिससे यह अभिप्रेत है कि किसी दिव्यांगजन को प्रक्रिया, संगठन अथवा सामान्य सार्वजनिक जीवन बिताने की अनुमति न देना अथवा उससे सहयोग न करना। उदाहरण के लिए यदि बस स्टैंड/रेलवे स्टेशन जैसे भवनों/सार्वजनिक स्थानों पर लिफ्ट अथवा रैम्प नहीं है अथवा दृष्टि क्षीण व्यक्तियों अथवा बधिरों की आवाजाही में सहायता हेतु संकेत चिन्ह नहीं है अथवा अन्यथा उन तक उनकी पहुंच नहीं है ऐसे दिव्यांग सामान्य सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह कटे रहते हैं।

विभेद में प्रतिबंध भी शामिल है जिसका तात्पर्य एक व्यक्ति की स्थिति को सीमित कर देना अथवा किसी बिंदु/स्तर के बाद उसके लिए अवरोध खड़े कर देना, कि इसके बाद उसकी योग्यताओं को और नहीं बढ़ने दिया जा सकता अथवा वो उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता।

इसके परिणामस्वरूप दिव्यांगजन जीवन, स्वतंत्रता, विचार की अभिव्यक्ति, शिक्षा और नियोजन का अधिकार जैसी मौलिक स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर पाता। इसका तात्पर्य यह हुआ कि दिव्यांगजन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक अथवा किसी अन्य क्षेत्र में भाग लेने में असमर्थ है। विभेद शब्दावली में ऐसी स्थिति को भी सम्मिलित किया गया है जिसमे दिव्यांगजन के लिए निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त व्यवस्था नहीं की जाती, जिससे कि वह प्रक्रिया में अन्य लोगों के समान अपने अधिकारों का उपयोग कर सकता/सकती हो।

स्थापन क्या है?

स्थापन से तात्पर्य सरकारी/स्थापन अथवा प्राइवेट स्थापन दोनों है

सरकारी स्थापन :
सरकारी स्थापन को केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारण अथवा सरकारी कंपनी, जैसा कि कम्पनी अधिनियम 2013 में परिभाषित है, के द्वारा स्थापित कारपोरेशन के रूप में अथवा सरकार के विभाग के रूप में परिभाषित किया गया है।

प्राइवेट स्थापन का अभिप्राय कम्पनी, फर्म, सहकारी अथवा अन्य सोसाटी, संस्थाओं, ट्रस्ट, एजेन्सी, संस्थान, संगठन, संघ, फैक्ट्री से है। सरकार के पास यह शक्ति है कि वह अधिसूचना द्वारा किसी अन्य स्थापन को प्राइवेट स्थापन के रूप में अधिसूचित कर सकती है।

9. **निधि** शब्द से तात्पर्य दिव्यांगजन हेतु राष्ट्रीय निधि से है जिसकी कि अधिनियम के अनुसार स्थापना की जाती है।

10. अधिनियम के अनुसार **दिव्यांगजन** वह व्यक्ति है जो ऐसी दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक बौद्धिक या संवेदी हानि/कमजोरी से ग्रस्त हो जिससे बाधाओं का सामना करने के साथ अन्य के समान समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में रुकावट उत्पन्न होती हो।

    अतः इस शब्दावली को रुकावटों के पैदा होने वाली स्थिति के संदर्भ में परिभाषित किया गया है जैसे कि दृष्टिहीनता/अल्पदृष्टि से ग्रस्त व्यक्ति पढ़ने के लिए ब्रेल में पाठ के उपलब्ध न होने अथवा मुश्किल से सुन सकने वाले व्यक्ति के दृश्य–श्रव्य उपकरणों के न होने पर उसे दिव्यांग बना देते हैं। व्हील चेयर का उपयोग करने वाला व्यक्ति रैम्प, लिफ्ट, चौड़े दरवाजों और बरामदों के अभाव में उस स्थान तक पहुंच पाने में स्थान अभाव के कारण दिव्यांग बन जाता है।

11. संदर्भित दिव्यांगजन

संदर्भित दिव्यांगजन कौन है

एक व्यक्ति जो अन्धता, दृष्टिक्षीणता, श्रव्य क्षीणता, (बधिर व कठिनाई से सुन पाने वाला) बौनापन अथवा कुष्ठ रोग उपचारित व्यक्ति (दिव्यांगता को माप के रूप में परिभाषित किया गया हैद्ध

अथवा

प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित निम्नलिखित दिव्यांगताएं जो 40 प्रतिशत से अन्यून न हो – चलन संबंधी दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक रुग्णता, स्वपरायणता सेरेब्रल पाल्सी, मांसपेशी दुर्विकार, गंभीर स्नायिक परिस्थितियां, विशिष्ट प्रज्ञता अक्षमतायें, मल्टीपल स्केलेरोसिस, वाक और भाषा संबंधी दिव्यांगता, थैलेसिमिया, हिमोफिलिया, सिकल सेल रोग, बहु–दिव्यांगतायें, एसिड अटैक पीड़ित, पार्किन्संस रोग (अधिनियम में इन्हें माप के रूप में परिभाषित किया गया)

12. **उच्च सहायता** शब्द से तात्पर्य व्यापक सहायता से है अथवा उस सहायता से है जो संदर्भित दिव्यांगजन को उसके दैनिक जीवन के कार्यकलापों को पूरा करने के लिए, जीवन के समस्त पहलुओं के लिए आवश्यक हो। इन कार्यकलापों में दैनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकतायें सम्मिलित है जैसे स्नान, व्यक्तिगत स्वच्छता और सफाई जिसमें ब्रश करना/कंघा करना, कपड़े पहनना, प्रसाधन स्वच्छता (शौच के लिए उठाना, कुर्सी पर बैठाना और उठाना, शामिल है) शामिल है; मोटे तौर पर इसकी परिभाषा है (कार्यकलापों के निष्पादन हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना।)

इसके अतिरिक्त उच्च सहायता के अर्थ में मनोवैज्ञानिक सहायता भी शामिल है जिसका संबंध मन से है और इसमें भावनाओं और मनोदशा आदि की देखरेख करना शामिल है। इस सहायता की आवश्यकता इसलिए है कि दिव्यांग व्यक्ति निर्णय लेने योग्य बने और शिक्षा रोजगार हेतु विभिन्न सुविधाओं का उपयोग कर सके। जैसे कि संकेत भाषा का भाषान्तरकार, उदाहरण के लिए एक बधिर व्यक्ति इससे मुख्य धारा में वृत्तिक वातावरण में काम करने में सक्षम होता है। एक वैयक्तिक सहयक की मदद से व्हीलचेयर से बैठकों अथवा कार्यस्थल तक ले जाया जा सकता है। स्वरायणता से पीड़ित बालक के लिए उसके आस–पास मानव संबंधों को समझने के लिए नियमित रूप से मार्गदर्शन और काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। बौद्धिक दिव्यांगजन के लिए उसके संवाद कौशल के विकास अथवा दैनिक कार्यकलापों के निष्पादन के लिए दैनिक आधार पर काउंसलिंग की आवश्यकता अपेक्षित है।

उच्च सहायता का प्रयोजन यह भी है कि दिव्यांग व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन और सामुदायिक जीवन में भाग ले सके और अपने रोगों उपचार तथा थेरेपी में सक्रिय रूप से साझीदार बने।

सम्मिलित शिक्षा

इस शब्द का तात्पर्य ऐसी शिक्षा पद्धति से है जिसमें दिव्यांग छात्र और दिव्यागता रहित छात्र एक साथ विद्या ग्रहण करते हैं। इस पद्धति को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा और विद्या संबंधी विधियों को इस प्रकार से अपनाया जाए कि उनसे दिव्यांग छात्रों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। उदाहरण के लिए बधिर छात्रों की कक्षा में वाक शक्ति के साथ–साथ संकेत भाषा का उपयोग आवश्यक है और अंध छात्रों की कक्षा में ब्लैकबोर्ड पर लिखने के साथ–साथ वाक शक्ति के उपयोग से पढ़ाना उनकी आवश्यकता का पूरक होगा। सुस्पष्ट अनुदेशों और उनकी बार–बार पुनरावृत्ति सुगठित दैनिक कार्य स्वपरायणता से पीड़ित छात्रों के लिए उत्तम होंगे। प्रस्तुतीकरण के विभिन्न साधनों–दृश्य, भौतिक मार्गदर्शन, समकक्ष व्यक्ति प्रतिरूपण, अति उत्साह परिहार्य, चित विक्षेप दूर करना, कार्य/अध्ययन क्षेत्र तक व्यक्ति की पहुंच सुनिश्चित करना, कुछ ऐसी तकनीकें हैं जिनके माध्यम से दिव्यांग छात्रों के साथ प्रभावी ढंग से कार्य किया जा सकता है। दिव्यांग छात्रों को, यथा अनुप्रयोग्य, वैकल्पिक संसूचना में भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जैसे संकेत भाषा अथवा ब्रेल। उन्हें संसूचना के संवर्धनात्मक और वैकल्पिक साधनों अथवा श्रवण सहायता उपकरण, ध्वनि वाक जैसे सहायक उपकरणों का उपयोग करने में भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

यूएनसीआरपीडी का अनुच्छेद 8

दिव्यांगजन अधिकार संबंधी कन्वेंशन में, यह उपबंध करता है कि शिक्षा प्रणाली के सभी स्तरों पर और छात्रों में इस प्रवृत्ति को निश्चित तौर पर बढ़ावा/पैदा किया जाए कि वे दिव्यांग छात्र और अन्य छात्र एक साथ पढ़ाई करें और एक–दूसरे की आवयकताओं और पढ़ाई के तरीकों को समझें।

13. **आईसीटी – सूचना और संचार प्रौद्योगिकी** : इसके अंतर्गत सूचना और संचार से संबंधित सभी सेवाएं आती है, इसमें ऐसी सभी सेवाएं आती है जिनसे सामान्य आदमी एक–दूसरे के संपर्क से अथवा एक से अधिक संचार माध्यम से यह जान सकता है कि उनके आस–पास अथवा विश्व में क्या घटित हो रहा है। इस शब्दावली में दूर संचार सेवाएं (सभी प्रकार की ध्वनि, डाटा और वीडियो पारेषण) शामिल हैं, जैसे टेलीफोन सेवाएं (तार युक्त बेतार) उपग्रह, रेडियो और टी.वी. प्रसारण, इंटरनेट तथा वेब आधारित सेवाएं। जैसे भंडार प्रबंधन सेवाएं, ग्राहक–संबंध प्रबंधन से संबंधित सेवाएं।

    इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं में ऐसे सभी कृत्य, प्रयास और कार्य निष्पादन शामिल है जिन्हें पूरा करने के लिए सूचना प्रौद्योगिक एक माध्यम है जैसे ई–टेलिंग, ग्राहक सहायता और सेवा सुपुर्दगी। डिजिटल सेवा एक ऐसी सेवा है जो इंटरनेट अथवा इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जा सकती है और इसमें कम से कम मानवीय हस्तक्षेप अंतर्वलित है।

    ये व्याख्यायें महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिनियम में सरकार के लिए यह अनिवार्य बनाया गया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि इन में से किसी भी रूप विधान के माध्यम से सभी संसूचनाएं दिव्यांगजन की पहुंच में

हों। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोई भी संसूचना संकेत भाषा रूपांतरण, श्रव्य वर्णन और क्लोज कैपशनिंग में होनी चाहिए। क्लोज कैंपशनिंग (सीसी) अतिरिक्त अथवा व्याख्यात्मक जानकारी, टेलीविजन वीडियो स्क्रीन अथवा अन्य दृश्य प्रदर्शनों पर पाठ प्रदर्शन की एक प्रक्रिया है। इसमें दर्शक के पास खोलने और बंद करने का विकल्प रहता है। मुद्रण दिव्यांगजनों के लिए सभी वेबसाइट उनकी पहुंच में हों।

14. **संस्था** शब्द में ऐसे संगठन शामिल है जिन्हें दिव्यांगजनों की शिक्षा, स्वागत, देख–रेख, संरक्षण, प्रशिक्षण और पुनर्वास के प्रयोजन के लिए स्थापित/गठन किया गया हो। जैसे दिव्यांग छात्रों के लिए विद्यालय, बौद्धिक दिव्यांगों अथवा मानसिक रुग्णता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए लम्बी अवधि तक ठहरने के लिए स्थापित संस्था दिव्यांगजनों के लिए काम करने वाली प्रत्येक संस्था के लिए यह आवश्यक है कि वह राज्य सरकार द्वारा विहित मानकों और सुविधाओं को पूरा करें और उसका संचान तब ही हो सकेगा जब समक्ष प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस दिया गया हो।

15. **स्थानीय प्राधिकरण** से अभिप्राय है नगरपालिका, पंचायत अथवा छावनी बोर्ड अथवा अन्य ऐसा प्राधिकरण से है जो नागरिक कार्यों के लिए स्थापित किया गया हो।

16. **उच्च सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांगजन** इससे अभिप्रेत संदर्भित दिव्यांगता वाले व्यक्ति से है जिसे गहन सहायता दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने, सुविधाओं/सेवाओं तक पहुंच और विनिर्णय लेने के लिए भौतिक, मनोवैज्ञानिक अथवा अन्य, की आवश्यकता है।

17. **सार्वजनिक सुविधाओं और सेवाओं** में जनता को सेवाएं प्रदान करने के सभी रूप आते हैं जैसे परिवहन, आवास शिक्षा, विक्रय स्थल अथवा विपणन, धार्मिक, सांस्कृतिक, अवकाश या मनोरंजन, चिकित्सा, स्वास्थ्य और पुनर्वास, बैंककारी, वित्त और बीमा, संचार, डाक और सूचना न्याय तक पहुंच सार्वजनिक उपयोगिताएं। इस प्रकार के उदाहरणों में राज्य परिवहन विभाग द्वारा चलाई जा रही बस सेवाएं, अस्पताल, पार्क, संग्रहालय, बैंक, विद्यालय, मॉल, बाजार शामिल हैं। इस अधिनियम ने यह आवश्यक बना दिया गया है कि ये सभी सेवाएं/स्थान दिव्यांगजनों की पहुंच में होंगे।

18. **युक्तियुक्त आवासन** में दिव्यांगजनों के लिए अन्य व्यक्तियों के समान अधिकारों के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए असम्यक बोझ अधिरोपित किए बिना किए गए उपांतरण या समायोजन अभिप्रेत है। युक्तियुक्त किसे माना जाए, यह अनेक कारकों पर निर्भर करता है यथा इंटरनेट और अथवा समाज में कार्य करने तक पहुंच के लिए दिव्यांगजन की सहायता के लिए किए गए किसी समायोजन की प्रभावकारिता, क्या समायोजन किया जाना व्यावहारिक है, इस प्रकार के समायोजन से संबद्ध वित्त (अथवा अन्य लागत), समायोजन के लिए संसाधनों की उपलब्धता, कितनी मात्रा में विभाजन, यदि कोई हो, से समायोजन का अन्य लोगों पर कितना प्रभाव पड़ेगा। उदाहरणार्थ, एक नियोक्ता को व्हीलचेयर प्रयोग करने वाले कर्मचारी के लिए मेज की ऊंचाई कम करनी होगी; अथवा एकाग्रता विकार से ग्रस्त कर्मचारी के लिए शांत और घबराहट रहित कार्य का स्थान उपलब्ध कराना होगा, काम का समय कम करना, बार–बार खराबी होना युक्तियुक्त आवासन के कुछ उदाहरण है।

युक्तियुक्त आवासन संबंधी नियम भारत में अनेक मामलों में प्रतिपादित किए गए हैं:

सैय्यद बशीर–उ–दीन कादरी बनाम नजीर अहमद शाह, उच्चतम न्यायालय ने पाया कि 'ब्लैक बोर्ड पर लिखने में होने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए अपीलकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक से बाह्य सहायता प्रदान की जा सकती है जिससे डायग्राम खींचने की आवश्यकता नहीं रहेगी ओर उसके स्थान पर स्क्रीन पर चित्र लगाया जा सकता है जिससे बिना अधिक प्रयास की प्रदर्शित किया जा सकता है। युक्तियुक्त आवासन प्रदान करने संबंधी इन दिशानिर्देशों से उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अपीलकर्ता को कार्य करने में हो रही कठिनाई पीडब्ल्यूडी अधिनियम के विरुद्ध है अतः उसने आदेश को निरस्त कर दिया।

डिसएबल्ड राइट्स ग्रुप बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में व्हील चेयर प्रयोक्ता छात्रों की ओर से दायर याचिका में सुश्री पूजा शर्मा ने लिखा कि वह राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त विधि संस्थान में अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रही क्योंकि उसकी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और युक्तियुक्त आवासन प्रदान करने के लिए वहां पर सुविधाओं का अभाव है। इस विशिष्ट मामले में संस्था ने उसके बाथरूम में व्हीलचेयर लगाने की व्यवस्था करने के लिए उसमें उपातंरण करने से इंकार कर दिया था। न्यायालय ने टिप्पणी की कि दिव्यांग छात्रों, अध्यापकों और कर्मचारियों के लिए उनकी अपनी–अपनी गतिविधियों में प्रभावी भागीदारी के लिए समुचित सुविधाएं प्रदान करने हेतु विधि शिक्षा के प्रत्येक संस्थान को भौतिक अवसंरचना, शैक्षिक अवसंरचना और अन्य किसी सुविधा से पूर्णतया सुसज्जित किया जाना होगा।''

जावेद अबीदी बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में याचिकाकर्ता की दलील थी कि अस्थि विकार से पीड़ित व्यक्ति को यातायात सुविधाओं और इंडियन एयरलाइंस तथा अन्य घरेलू विमान सेवाओं की सुविधाओं का प्रयोग करने में भारी कठिनाइयों का सामाना करना पड़ता है और उन्हें इस प्रकार के यात्रियों को स्थान देने के लिए जमीन से एयरक्राफ्ट तक पहुंचाने के लिए 'एम्बुलिफ्ट' प्रदान की जानी चाहिए तथा अपनी सीट तक पहुंचने के लिए गलियारे में व्हील चेयर दी जानी चाहिए। इस तर्क को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने टिप्पणी की कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोध रहित सुगम वातावरण तैयार करने के लिए और दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए ये अधिनियम की कुछ मुख्य निष्कर्ष हैं।

19. अन्य महत्वपूर्ण शब्द **सर्वव्यापी डिजाइन** है। इससे सभी लोगों द्वारा अनुकूलन या विशिष्ट डिजाइन की आवश्यकता के बिना अधिकतम संभव सीमा तक उपयोग किए जाने वाले उत्पादों, वातावरण, कार्यक्रमों की डिजाइन और सेवाएं अभिप्रेत हैं जो दिव्यांगजनों के विशिष्ट समूह के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों सहित सहायक युक्तियों पर लागू होगी।

आयरलैंड के सेन्टर फॉर एक्सलेंस इन यूनिवर्सल डिजाइन ने इस शब्द का वर्णन इस प्रकार किया है कि किसी वातावरण का डिजाइन और संरचना इस प्रकार होनी चाहिए कि सभी आयुवर्ग, आकार और दिव्यांगता के लोगों की उन तक पहुंच हो, वे उन्हें समझ सकें और उनका अधिकतम संभव सीमा तक

उपयोग कर सके। इसके कुछ उदाहरण है – बिना सीढ़ियों के भूतल प्रवेश बटन और अन्य नियंत्रण जिनका अन्तर स्पर्श से पता चल सके, आन्तरिक दरवाजों और हॉल में जाने के रास्ते'' का चौड़ा होना, दरवाजों और अन्तिम छोरों पर घूमने के लिए चौड़े स्थान के साथ अलकोब्स (आले) दरवाजा खोलने के लिए नॉव को घुमाने के स्थान पर दबाव हत्था लगाना। फर्श और सीढ़ियों को विपरीत रंग का बनाना।

सार्वजनिक भवन

20. अधिनियम में सार्वजनिक भवन की परिभाषा में कोई सरकारी या प्राइवेट भवन जो अत्यधिक जनता द्वारा प्रयोग किया जाता है या उसकी पहुंच में है जिसके अन्तर्गत शैक्षिक या व्यावसायिक प्रयोजनों के कार्यस्थल, वाणिज्यिक क्रियाकलापों, सार्वजनिक सुविधाओं, धार्मिक, सांस्कृतिक अवकाश या मनोरंजन क्रियाकलापों, चिकित्सीय या स्वास्थ्य सेवाओं, विधि प्रवर्तन अभिकरण, सुधारात्मक या न्यायिक फोरम, रेलवे स्टेशनों या प्लेटफार्मों, सड़क परिवहन, बस स्टैंड या टर्मिनल, विमानपत्तनों या जलमार्गों के लिए उपयोग किए जाने वाले भवन भी शामिल हैं। दिव्यांगजन अधिकारों के संदर्भ में इस व्याख्या का अत्यधिक महत्व है कि सभी भवनों को सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों/मान्य मानकों के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियमों के नियमों के प्रकाशन की तारीख के 5 वर्ष के भीतर पहुंच योग्य बनाया जाना होगा।

21. निम्नलिखित में से कोई भी **रजिस्ट्रीकृत संगठन** हो सकता है:–

- दिव्यांगजनों की संस्था
- दिव्यांगजनों का संगठन
- दिव्यांगजनों के माता–पिता का संगम
- दिव्यांगजनों और कुटुम्ब के सदस्यों का संगम
- स्वयंसेवी अथवा गैर–सरकारी अथवा पूर्त संगठन का न्यास सोसाइटी अथवा
- दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए कार्य करने वाली अलाभकारी कम्पनी

इनका संसद के अथवा राज्य विधानमंडल के अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है।

22. **पुनर्वास** एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिव्यांगजन को शारीरिक, सामाजिक, संवेदी, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक अथवा पर्यावरणीय स्तरों पर सर्वोत्तम संभव स्तर प्राप्त हो जिनसे वह अपने जीवन के समस्त पहलुओं पर काम कर सके।

23. **विशेष रोजगार कार्यालय** एक ऐसा कार्यालय है जिसे सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को नियोजन सुविधा देने के लिए स्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए जानकारी एकत्र करना और प्रदान करना इस कार्यालय का दायित्व होगा। यह उन कार्यालयों के बारे में जानकारी जुटाएगा जो दिव्यांगजनों को नियोजित करना चाहते हैं। यह नियोजन के इच्छुक संदर्भित दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के आंकड़े भी रखेगा। इसके अतिरिक्त यह रिक्त स्थानों की सूची रखेगा, जहां पर संदर्भित दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सके।

24. **विनिर्दिष्ट दिव्यांगता** वह दिव्यांगता है जो अनुसूची में दी गई है।

25. **परिवहन व्यवस्था** में सभी प्रकार के परिवहन रेल, सड़क, विमान, जल परिवहन अंतिम मील तक संबद्धता के लिए सह–अभिवहन प्रणाली, सड़क और गली अवसंरचना शामिल है।

अध्याय – 2

अधिकार और हकदारियां

मुख्य विशेषताएं

- इस अध्याय में अधिनियम के अंतर्गत दिव्यांगजनों को प्राप्त अधिकारों की व्याख्या की गई है।
- प्रारंभ में इसमें दिव्यांगजन के समानता के अधिकार और उस आधार पर उनके साथ विभेद नहीं करने की जो युक्तियुक्त आवासन के लिए अत्यधिक प्रभावी होगा, के बारे में बताया गया है।
- दिव्यांग महिलाएं और बालक अन्य की अपेक्षा अधिक विभेद के शिकार होते हैं इस कारण उनके बारे में विशेष उल्लेख अधिनियम में किया गया है कि उन्हें भी अन्य लोगों की भांति समान अधिकार प्राप्त होगे।
- कुटुम्ब पूरे समाज का आधारिक एकक होता है, दिव्यांगजन को अपने कुटुम्ब के साथ और समाज में रहने का हक है।
- क्रूरता, अमानवीय व्यवहार, दुरुपयोग, हिंसा से बचाव का उन्हें अधिकार है,
- दिव्यांगजन को अधिकार है कि वह संसूचित और स्वास्थ्य प्रजनन जीवन बिना किसी दूसरे के हस्तक्षेप के जी सकें।
- दिव्यांगजनों का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार यह है कि उन्हें वैधानिक दृष्टि में एक विधिक व्यक्ति के रूप में देखा गया है, जिसमें दिव्यांग व्यक्ति स्वयं का अपना बैंक खाता और सम्पति रख सकता/सकती है, को अनुमति दी गई है।
- अधिनियम में दिव्यांगजनों के लिए सीमित संरक्षक, जो चाहते हों, का भी प्रावधान किया गया है।

भूमिका

बौद्धिक दिव्यांगता अथवा मानसिक रुग्णता से पीड़ित व्यक्ति के लिए यह माना जाता है कि उस पर बुरी आत्मा का प्रभाव है। दुरुपयोग, दुर्व्यवहार और हिंसा उनके जीवन का नियमित भाग है, जिसे कभी वे बुरी आत्मा के नाम पर उनके साथ करते हैं और कभी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार उन्हें ठीक करने के नाम पर महाराष्ट्र, में सेलानी गांव और इलाहाबाद की हजरत मुन्नवर अली शाह की दरगाह इसके जीते जागते उदाहरण हैं, वहां दिव्यांग व्यक्तियों के साथ उपचार और आस्था के नाम पर किए जाने वाले कर्मों में उत्यधिक क्रूर हिंसा बरती जाती है।

यहां तक शहरी घरों में भी, जहां दिव्यांग व्यक्ति को दुर्भाग्य/अभिशाप का प्रतीक नहीं माना जाता वहां पर भी उन्हें दूसरे लोगों की तुलना में दोयम समझा जाता है। इसके कारण उनके प्रति दुरुपयोग और दुर्व्यवहार और अधिक बढ़ जाते हैं। दिव्यांगता के इतिहास को मुश्किल से वैज्ञानिक कारण की रूप में समझा जाता है, जिसे अनेक परिस्थितियों में रोका जा सकता था। दिव्यांगजन के कुटुम्ब को हेय दृष्टि से देखा जाता था जिसके कारण परिवार के सदस्यों द्वारा दिव्यांगजन का परित्याग कर दिया जाता था।

दिव्यांगता के नाम पर कोई सकारात्मक काम हुआ है तो उसका स्वरूप धर्मार्थ रहा है –

जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों को भोजन, कपड़े और दवाइयां दी गई हैं। धीरे–धीरे विश्व परिदृश्य में परिवर्तन के कारण और दिव्यांग अधिकार आन्दोलनों के तेज होने से इसका परिवर्तन कल्याणकारी मॉडल से विकासात्मक मॉडल की ओर हुआ। इसके परिणामस्वरूप दिव्यांग व्यक्ति स्वयं अपने विकास के कार्यों में भाग लेने लगे।

पहली बार 2001 की जनगणना में दिव्यांगजनों की गणना की गई किन्तु यह जनगणना अनुमान से कम रही, क्योंकि कुछ ही लोगों की वास्तविक दिव्यांगता को इसमें लिया गया। फिर भी दिव्यांगजनों को एक पृथक श्रेणी माने जाने की यह शुरुआत थी, जिसको कि अपनी विशेष आवश्यकताओं के कारण अधिकारों की आवश्यकता है। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के पारित किए जाने से और 1986 में भारतीय पुनर्वास परिषद के गठन से इस स्थिति में सुधार हुआ। वर्ष 1995 में संसद ने विकलांग व्यक्ति अधिनियम, पारित किया, जिसमें आरंभिक कारण पता लगाने, शिक्षा, नियोजन सकारात्मक कार्यवाही, विभेद, न करने, बाधारहित पहुंच से संबंधित उपबंध किए गए। इससे दिव्यांगजन अधिकार आन्दोलन को अत्यधिक बल मिला। अनेक वर्षों तक इसके बारे मे बातचीत करने के बाद दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पारित हुआ है जिसके द्वारा दिव्यांगजनों के अधिकारों में भारी परिवर्तन लाया गया है। इस अधिनियम को दिव्यांगजन के अधिकारों के यू.एन. कन्वेंशन के अनुरुप भारतीय कानून बनाने के लिए अधिनियमि किया गया है। इसके द्वारा गरिमा, वैयक्तिक स्वतंत्रता (तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अपनी पसंद चुन सकता है), विभेद रहित तथा सक्रिय भागीदारी के सिद्धांत को मूर्त रूप दिया गया है।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण शहर में 17 अगस्त, 2014 को एक ढाई वर्षीय बालिका, केतकी को उसकी 55 वर्षीय दादी ने उसे इस कुंठा से नाले में डुबो कर मार दिया कि वह शारीरिक रूप और विद्या सीखने में दिव्यांग थी। उसकी दादी ने ऐसा उस बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए भावावेश में किया, क्योंकि उसे पड़ोसियों से उसके शारीरिक और मानसिक विकास के संबंध में ताने सुनने पड़ रहे थे। केतकी इस प्रकार के निकृष्टतम अपराध की अकेली शिकार नहीं है। इतिहास ऐसी अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है जहां पर दिव्यांगजनों को कुटुम्ब और समाज पर बोझ समझा जाता है और इस कारण उन्हें मरने के लिए उपेक्षित छोड़ दिया जाता है अथवा वे जिन्दा नहीं रह पाते।

समानता और विभेद

अधिनियम के द्वारा, सरकार का यह दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि दिव्यांग व्यक्ति को समानता का अधिकार है और उसके साथ सम्मानजनक ढंग से व्यवहार किया जाना है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह ऐसा वातावरण तैयार करे जिसमें दिव्यांगजनों की क्षमताओं का पूरा–पूरा उपयोग किया जा सके। अधिनियम में दिव्यांगता के आधार पर किसी प्रकार के विभेद को रोका गया है, सिवाय इसके कि जहां किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए ऐसा करना अनिवार्य रूप से अपेक्षित न हो। इसके अतिरिक्त नियमों में यह व्यवस्था है कि विभेद संबंधी इस उपबंध के उपयोग के द्वारा कुछ मामलों में दुरुपयोग हो सकता है और इसका सकारात्मक उपयोग करने की जिम्मेदारी स्थापन के प्रमुख की होगी। इसके साथ ही प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है जिसे उसकी दिव्यांगता के आधार पर इंकार नहीं किया जा सकता।

सरकार की यह भी जिम्मेदारी है कि वह दिव्यांगजन की आवश्यकताओं के आधार पर उपांतरण और समायोजन करे जिसे कि उन्हें प्राप्त सभी सुविधाओं तक उनकी पहुंच हो सके।

दिव्यांग महिलाएं और बालक

महिलाओं की समाज में सबसे नाजुक स्थिति है और इस पर यदि वह दिव्यांग है तो उसका कष्ट और भी बढ़ जाता है और इससे उनके अधिक दुरुपयोग, दुर्व्यवहार और उनका परित्याग किए जाने की संभावना रहती है। इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को अन्य के समान ही अधिकार दिए गए हैं।

इसी तरह से दिव्यांग बालक ऐसी स्थिति में रहते हैं जहां वे स्वयं की आवश्यकताओं से अनभिज्ञ रहते हैं और इस कारण उनकी राय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। यह अधिनियम उन्हें अपनी राय स्वयं से संबधित मामलों में, खुलकर प्रकट करने का अधिकार देता है। इससे यह बात सुनिश्चित हो जाती है कि उनके कल्याण को प्रभावित करने वाली किसी कार्यवाही अथवा प्रयास में उनकी बात सुनी जायेगी और उनकी भागीदारी होगी तथा उस पर प्रभावी निर्णय लिया जायेगा।

यूएनसीआरपीडी का अनुच्छेद 7

यूएनसीआरपीडी ने इस बात को माना है कि बालिकाओं, महिलाओं और दिव्यांग के साथ अनेक प्रकार से विभेद बरता जाता है और इसके लिए राज्य पार्टियों को यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना होगा कि वे मानव अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं का पूर्ण और समान उपयोग कर सके।

सामुदायिक जीवन

एक दिव्यांगजन के लिए सुगम्यता, सहायक उपकरणों, व्यक्तिगत स्वास्थ्य सहायता, स्वास्थ्य रक्षा और समान अवसरों के अभाव में स्वतंत्र रहना कठिन हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप वे कुटुम्ब पर वित्तीय रूप से अथवा अन्यथा एक भार बन जाते हैं। इन कारणों से कुटुम्ब के लोग दिव्यांगजन का परित्याग कर देते हैं। इसके परिणामस्वरूप दिव्यांगजन संस्थाओं को अपना अंतिम आश्रय स्थल बना लेते हैं क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई दूसरा स्थान नहीं होता है। इसके अतिरिक्त अनुकूल पर्यावरण न मिलने पर भी कुटुम्ब के हस्तक्षेप के बिना भी दिव्यांगजन इन संस्थाओं में आ जाते हैं। अधिनियम के अनुसार प्रत्येक दिव्यांगजन का यह अधिकार है कि वह समाज के बीच में रहे और उसे यह महसूस करने के लिए बाध्य न होना पड़े कि वह किसी दूसरी तरह की व्यवस्था के अन्दर रह रहा है। इसे संभव बनाने के लिए सरकार को यह दायित्व भी दिया है कि यह सुनिश्चित करे कि दिव्यांगजनों के लिए समस्त/किसी भी गृह, आवासीय/सामुदायिक आधारित सेवाओं तक पहुंचना संभव हो। इसका तात्पर्य यह है कि चलन संबंधी दिव्यांगता वालों के लिए व्हीलचेयर जैसे सहायक उपकरण, श्रव्य उपकरण, कृत्रिम अंग, व्यक्तिगत देखरेख सहायता उपलब्ध कराकर आवासीय अथवा सार्वजनिक स्थान तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। सामुदायिक सहायता सेवाओं में, स्वास्थ्य रक्षा अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों तक पहुंच, मनोविज्ञानी, मनोचिकित्सक, चिकित्सक, मानसिक रोगियों के लिए परामर्शदाता और बालकों के लिए दैनिक जीवन से संबंधित कार्यकलापों को सीखने के लिए प्रशिक्षक उपलब्ध कराना है।

यूएनसीआरपीडी का अनुच्छेद 19

दिव्यांगजन का समाज से जुड़े रहने का अधिकार है उसे अपना निवास स्थान चुनने, कब और कहां रहना है की स्वतंत्रता है। सामुदायिक सहायक सेवा शब्दों से अभिप्राय उन सभी सेवाओं से है जिनसे समाज से एकाकीकरण अथवा पृथकता को रोका जा सकता है। ऐसी सभी सेवायें और सुविधाएं जो सामान्यजन को उपलब्ध हैं वे दिव्यांगजनों के लिए भी उपलब्ध हों और वे उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हों। जैसे सभी बाजार, आमोद–प्रमोद के स्थान, सार्वजनिक परिवहन तक उनकी पहुंच होनी चाहिए।

क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से संरक्षण

अधिनियम में दिव्यांगजनों को प्रताड़ना, क्रूरता, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार जिससे किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे अथवा जिसके कारण अवमानना होती हो, से संरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से दिव्यांगजनों को ऐसे आघात योग्य वर्ग के रूप में देखा जाता है, जिसकी न तो स्वायत्तता की भावना होती है अथवा वह अपने विचारों को प्रकट करने की क्षमता नहीं रखता है। यही कारण है कि उन्हें उनकी जानकारी के बिना अनुसंधान का विषय बनाया जाता है। इस अधिनियम में इस प्रकार का व्यवहार निषेध किया गया है इसमें कहा गया है कि कोई भी दिव्यांगजन उसकी सहमति के, जिसे पहुंच माध्यमों से प्राप्त करना होगा, के बिना इस प्रकार के व्यवहार का भाग नहीं बन सकता। इसके साथ ही इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गये नियमों में यह कहा गया है कि कोई दिव्यांगजन किसी अनुसंधान का विषय नहीं होगा सिवाय तब जब अनुसंधान में उसके शरीर पर भौतिक प्रभाव अंतर्वलित हो।

किसी भी दिव्यांगजन पर कुछ अनुसंधान करने से पूर्व विषय के रूप में तीन शर्तों को पूरा किया जाना अनिवार्य है:—

1. अनुसंधान में उसके शरीर पर कुछ भौतिक प्रभाव अन्तर्वलित हैं
2. पहुंच माध्यमों के माध्यम से (जिसके द्वारा भी दिव्यांगजन अपनी बात कह सके) उसकी सहमति प्राप्त करना
3. दिव्यांगता पर अनुसंधान के लिए समिति की पूर्व अनुमति प्राप्त करना।

इस समिति का गठन सरकार द्वारा किया जाता है। समिति में आधे अथवा आधे से अन्यून सदस्य दिव्यांगजन अथवा दिव्यांगजनों के लिए कार्य करने वाले रजिस्ट्रीकृत संगठनों के सदस्य होंगे।

दुरुपयोग, हिंसा और शोषण से संरक्षण

दिव्यांगजनों के आघात योग्य होने और दूसरों पर निर्भर रहने के कारण वे दुरुपयोग, हिंसा और शोषण के शिकार हो जाते हैं। दुरुपयोग, हिंसा और दुर्व्यवहार से संरक्षण सुनिश्चित करने का दायित्व सरकार के ऊपर रखा गया है।

अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र बनायेगी जो दिव्यांगजनों के दुरुपयोग, हिंसा और शोषण की स्थिति में प्रत्येक स्तर पर उनके बचाव के लिए सामने आएगा। पहला कदम लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है जिससे कि दुरुपयोग की घटनाओं को रोका जा सके और यदि ऐसी घटनाएं घटित होती हैं तो उन घटनाओं की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया विहित करना। यह सरकार का दायित्व होगा कि वह इस प्रकार की घटनाओं का संज्ञान ले और उनके लिए विधिक उपचार प्रदान करे। अगले कदम में लोगों का बचाव, संरक्षण और ऐसे दुरुपयोग पीड़ितों को पुनर्वास करना सम्मिलित है।

यूएनसीआरपीडी का अनुच्छेद 16

यूएनसीआरपीडी में बताया गया है कि राज्य पार्टियों को यह सुनिश्चित करना है कि संरक्षण सेवायें आयु, लिंग और दिव्यांगता के प्रति संवेदनशील हों और यह भी कि इन सेवाओं पर स्वतंत्र प्राधिकरणों द्वारा निगरानी रखी जाए। इसमें इस बात पर भी बल दिया गया है कि दिव्यांगजन जो किसी भी प्रकार के शोषण का शिकार हो, उसका शारीरिक, मनोवैज्ञानिक उपचार और पुनर्वास राज्य द्वारा किया जाएगा।

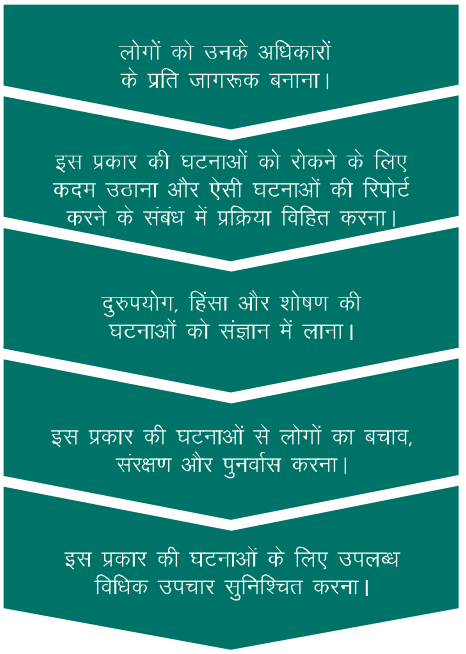

दिव्यांगजनो के दुरुपयोग, हिंसा और शोषण से संरक्षण के लिए सरकार के अनुपालन हेतु तंत्र

इस अधिनियम में लोगों और रजिस्ट्रीकृत संगठनों को यह शक्ति दी गई है कि वे दिव्यांगजनों के प्रति हो रहे अथवा संभावित दुरुपयोग अथवा हिंसा के लिए अपनी आवाज उठा सके। ऐसी किसी भी स्थिति में एक व्यक्ति अथवा संगठनों को उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जिसके अधिकार क्षेत्र में घटना घटित हुई हो, जानकारी देनी होगी कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है और उनके स्थानीय अधिकार क्षेत्र (वह क्षेत्र जिसमें वह अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता है) का निर्धारण जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है।

ऐसी स्थिति में कार्यपालक मजिस्ट्रेट को दुरुपयोग की घटना न होने देने अथवा उसे रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त वह कोई भी अन्य आदेश पारित कर सकता/सकती है।

अधिनियम में **पुलिस अधिकारियों** को यह दायित्व दिया गया है कि वह दुरुपयोग अथवा हिंसा की शिकायत मिलते ही अथवा उसकी जानकारी पाते ही उस पर कार्रवाई करे। ऐसे पुलिस अधिकारी का यह मुख्य दायित्व होगा कि वह दुरुपयोग से पीड़ित व्यक्ति को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे। उस व्यक्ति को यह बताया जाना चाहिए कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट को लिखित में दे कर संरक्षण पाने का उसका अधिकार है और उसे उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट का विवरण भी दिया जाना होगा जिसके पास वह शिकायत दर्ज करा सके और उस व्यक्ति को सहायता प्रदान करना किसके अधिकार क्षेत्र में है। पुलिस अधिकारी को प्रभावित व्यक्ति को दिव्यांगजनों के लिए कार्य कर रहे नजदीकी संगठन अथवा संस्थाओं का ब्यौरा भी देना होगा और यह तथ्य भी कि उसे राष्ट्रीय अथवा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।

उस व्यक्ति को यह भी बताया जाना होगा कि उसे अधिनियम के अंतर्गत अथवा अपराध से संबंधित किसी भी विधि के अंतर्गत शिकायत दायर करने का अधिकार है। जब कोई संज्ञेय अपराध हो रहा हो अथवा किया गया हो तो पुलिस अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह विधि के अनुसार काम करे केवल इस अधिनियम के अनुसार नहीं। संज्ञेय अपराध वे अपराध हैं जो गंभीर प्रकृति के हैं जैसे हत्या, रेप, दहेज हत्या, अपहरण, चोरी और अप्राकृतिक अपराध। दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार, पुलिस अधिकारी को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने पर वह इस प्रकार के अपराध की जांच मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना कर सकता है। वह बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता/सकती है।

संरक्षण और सुरक्षा

अधिनियम में दिव्यांगजनों के लिए जोखिम, सशस्त्र संघर्ष (समुदायों/देशों के मध्य युद्ध) मानवीय आपात स्थितियों, प्राकृतिक आपदाओं की दशाओं में संरक्षण और सुरक्षा हेतु विशेष उपबंध किए गए हैं। मानवीय आपात स्थिति से तात्पर्य ऐसी एकल घटना/घटनाओं की श्रृंखला से है जो एक समुदाय अथवा एक वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा अथवा कल्याण के लिए खतरा उत्पन्न करते हों। ऐसी स्थिति में दिव्यांगजनों के लिए विशेष संरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी अनदेखी की संभावना रहती है।

राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए यह आवश्यक है कि वे आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार आपदा से संबंधित स्थितियों से निपटने के लिए कतिपय क्रियाकलाप, आरंभ करे। इन कार्यकलापों में किसी भी आपदा को रोकने, जोखिम अथवा उसकी प्रबलता को कम करने अथवा आपदा के प्रभावों को न्यून करने, आपदा से निपटने के लिए जन क्षमता का निर्माण करना शामिल है। यदि आपदा पहले ही हो गई हो तो इन प्राधिकरणों से यह अपेक्षित है कि वे आपदा की प्रबलता का मूल्यांकन करें और निष्क्रमण बचाव और राहत कार्य करे।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यह सुनिचित करें कि इन कार्यकलापों में दिव्यांगजनों को सम्मिलित किया गया है। इस काम को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि दिव्यांगजनों का अभिलेख रखा जाए। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारण द्वारा यह कार्य किया जाना चाहिए।

पुनर्निर्माण कार्य दिव्यांगजनों की आवश्यकता के अनुरुप पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए पहुंच संबंधी मानकों को अपनाया जाना होना कि पुनर्निर्माण के सभी कार्यों को राज्य आयुक्त से परामर्श करके करना होगा। आपदा प्रबंधन दल को आपदा तैयारी, बचाव और पुनर्वास के दौरान दिव्यांगजनों के लिए अपेक्षित विभिन्न युक्तियुक्त आवासन उपायों के संबंध में प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है।

गृह और कुटुम्ब

इस अधिनियम में दिव्यांग **बालकों** के लिए कुछ विशेष अधिकार बनाए गए हैं। उनमें से एक है कि प्रत्येक बालक को अपने अभिभावक के साथ रहने का अधिकार है और उन्हें केवल दिव्यांगता के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता जब तक कि न्यायालय उस बालक के लिए बालक की खुशी, सुरक्षा, मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए, दूसरे विकल्प के रूप में कोई आदेश नहीं देता। दिव्यांग बालक को दूसरी जगह रखे जाने के संबंध में निम्नलिखित विकल्प में वरीयता को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

1. नजदीकी नातेदार (जब अभिभावक बालक की देखभाल करने में असमर्थ हो)
2. कौटुम्बिक परिवेश में समुदाय में

3. सरकारी या गैर–सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे आश्रय–स्थल (आपवादात्मक परिस्थितियों में अंतिम समाधान के रूप में जब कोई अन्य विकल्प संभव न हो)

इस विचार को महत्व देते हुए अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि बालक के विकास के लिए सर्वोत्तम पर्यावरण उसके कुटुम्ब में मिल सकता है और यदि यह संभव नहीं है तो उसे सामुदायिक व्यवस्था के अंतर्गत रखा जाए, किसी संस्था में नहीं।

यूएनसीआरपीडी अनुच्छेद 23

दिव्यांगजनों के अधिकारों संबंधी यूएन कन्वेशन में उनके घर और कुटुम्ब के संबंध में व्यापक प्रावधान किए गए हैं। उसमें कहा गया है कि यह सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व होगा कि दिव्यांगजनों के साथ विवाह, पितृत्व और रिश्तेदारी से संबंधित मामलों में किसी प्रकार भेदभाव नहीं किया जाएगा इसमें इस बात को मान्यता दी गई है कि समस्त दिव्यांगजनों को जो विवाह योग्य आयु के है और आशायित पति/पत्नी की स्वतंत्र और पूर्ण सहमति से परिवार बनाने का अधिकार होगा।

प्रजनन अधिकार

इस अधिनियम में व्यवस्था की गई है कि यह सरकार का दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि दिव्यांगजन की प्रजनन और परिवार नियोजन के बारे में समुचित जानकारी तक पहुंच हो।

संस्थानों के अंदर, विशेष रूप से जो मानसिक और बौद्धिक दिव्यांग है, यह सामान्य प्रक्रिया है कि महिलाओं का गर्भाशय साफ–सफाई और अनुरक्षण के नाम पर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार के व्यवहार का उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वे जीवन भर गर्भधारण नहीं कर सकते। यह अधिनियम इस प्रकार की किसी भी चिकित्सीय प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं किया जाएगा जिससे उसकी स्वतंत्र और संसूचित सहमति के बिना बांझपन होता है।

यूएनसीआरपीडी अनुच्छेद 23

दिव्यांगजनों के अधिकारों संबंधी यूएन कन्वेशन में यह व्यवस्था है कि दिव्यांगजनों को यह अधिकार होगा कि वे अपने बच्चों के जन्म में अंतर का निर्णय कर सकें और अपनी उम्र के अनुसार उनके पास प्रजनन और परिवार नियोजन की पूरी जानकारी होनी चाहिए।

मतदान में पहुंच

अधिनियम में भारत के निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग को यह दायित्व दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी मतदान केन्द्र दिव्यांगजनों की पहुंच मे ंहो और निर्वाचन प्रक्रिया से संबधित सभी सामग्री उनके लिए सहजता से समझने योग्य होगी और उनकी पहुंच में होगी। इस संबंध में वातावरण निर्माण मतदान प्रणाली और वेबसाइट की उपलब्धता के द्वारा पहुंच सुनिश्चित की जा सकती है।

न्याय तक पहुंच

यह अधिनियम कहता है कि न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकरण आयोग या कोई अन्य न्यायिक, अर्धन्यायिक अथवा अन्वेषण की शक्तियां रखने वाले निकाय तक पहुंच में दिव्यांगता आड़े नहीं आनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि न्याय प्राप्ति के लिए इनमें से किसी भी संस्था तक पहुंचने के प्रयासों में किसी भी व्यक्ति से विभेद नहीं किया जा सकता। दिव्यांगजनों के न्यायालयों में पहुंच के लिए सरकार द्वारा समान रूप से सहायता उपाय किए जाने होंगे जिससे कि कुटुम्ब से बाहर रहने वाले लोग और उन्हें जिन्हें उच्च सहायता की आवश्यकता है वे अपने विधिक अधिकारों का उपयोग कर सकें।

राष्ट्रीय और राज्य विधि सेवा प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है कि वे जो भी स्कीम, कार्यक्रम, सुविधा अथवा सेवा प्रदान करते हैं वे सभी दिव्यांगजन की पहुंच में हो। यह तभी संभव हो सकता है जब ये प्राधिकरण अपनी भी कार्यक्रमों में युक्तियुक्त समायोजन अथवा उपांतरण करें जिससे कि वे समान रूप से दिव्यांगजन का भी उसी प्रकार इन तक पहुंच हो सके जैसे गैर–दिव्यांग लोगों की है।

अधिनियम कहता है कि सभी लोक दस्तावेज सुगम रूप विधान में होंगे। मतदाता सूची, जनगणना रिपोर्ट, नगर आयोजना रिपोर्ट, ग्राम अभिलेख राष्ट्रीयकृत बैंकों के अभिलेख, जन्म और मृत्यु रजिस्टर लोक दस्तावेज हैं। न्यायालय के ऐसे सभी विभाग/कार्यालय जहां पर दस्तावेज फाइल किए जाएं, रजिस्टर किए जाएं अथवा भंडार किए जाएं उनमें ऐसे उपस्कर है जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुगम रूप विधानों में फाइल करने, स्टोर करने और निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया है। इससे यह अभिप्रेत है कि दृश्य/श्रव्य दिव्यांगों के लिए सभी दस्तावेज श्रवण/ब्रेल रूप विधान में सुगम होंगे।

न्यायालयों में दिव्यांगजनों द्वारा उनकी अधिमानी भाषा और उनकी संसूचना के माध्यमों में दिए गए परिसाक्ष्य, बहस या मत के अभिलेखीकरण को सुकर बनाने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे अभिप्राय यह है कि वाक् और श्रवण क्षीण दिव्यांगों के लिए संकेत

भाषा का प्रयोग, वाक् दिव्यांगता अथवा विद्या संबंधी दिव्यांगों के लिए एम्पलीफायर, और वाकोत्पादक उपकरणो का प्रयोग।

यूएनसीआरपीडी का अनुच्छेद 29

दिव्यांगजनों के अधिकार संबंधी यूएन कन्वेशन में दिव्यांगजनों के राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में अधिकारों की व्यापक रूप से व्याख्या की गई है और उसमें कहा गया है कि किसी भी दिव्यांगजन को राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का अधिकार होगा और उसे केवल मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। उसका निर्वाचित होने का अधिकार भी होगा। इसका तात्पर्य यह है कि चुनावों में गुप्त मतदान तथा डराये धमकाए बिना दिव्यांगजनों को मतदान करने तथा चुनावों में खड़े होने का और पदभार संभालने सभी सार्वजनिक कार्य करने का अधिकार है। जहां कहीं आवश्यक हो सहायक प्रौद्योगिकी (भाषान्तरण, संकेत भाषा, श्रव्य/दृश्य उपकरणों) का उपयोग किया जा सकता है।

यूएनसीआरपीडी का अनुच्छेद 13

दिव्यांगजनों के अधिकारों से संबंधित यूएन कन्वेशन में यह व्यवस्था है कि राज्य पार्टियां, न्याय प्रशासन के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों, जिनमें पुलिस और कारागार कर्मचारी शामिल हैं, के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण को बढ़ावा देगी।

विधिक सामर्थ्य

इस अधिनियम में यह उपबंध किया गया है कि दिव्यांगजनों की विधि के समक्ष अन्य के समान ही विधिक सामर्थ्य है और विधि के समक्ष स्वायत्त, स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में मान्यता है, जिसकी विधि के समक्ष एक विशिष्ट पहचान है। अन्य किसी व्यक्ति के समान दिव्यांगजन को बैंक खाता रखने और अपने नाम से अपने वित्तीय कार्य का प्रबंधन स्वयं करने का अधिकार है। उसे स्वयं की या विरासती स्थावर और जंगम सम्पत्ति रखने का अधिकार है।

सामान्य तौर पर दिव्यांगजन के आस–पास सहायता प्रणाली रहती है किन्तु अधिनियम में अब यह उपबंध किया गया है कि दिव्यांगजन अपनी आवश्यकता के अनुसार उस पर नियंत्रण और समाधान पर नियंत्रण कर सकेगा/सकेगी। अधिनियम में यह भी उपबंध है कि सहायता प्रदान करने वाले व्यक्ति और दिव्यांगजन के मध्य वित्तीय संव्यवहार को लेकर हितों का विरोध उत्पन्न होने की स्थिति में ऐसी सहायता प्रदान करने वाला व्यक्ति उक्त संव्यवहार में दिव्यांगजन को सहायता प्रदान नहीं कर सकेगा। हितों के विरोध की कोई उपधारणा इस आधार पर ही नहीं होगी कि सहायता देने वाला व्यक्ति दिव्यांगजन का नातेदार है।कोई दिव्यांगजन किसी सहायता संबंधी ठहराव को परिवर्तित/समाप्त कर सकेगा। ऐसा परिवर्तन, उपांतरण या समाप्ति भविष्यलक्षी संव्यवहार के लिए ही होगी न कि दिव्यांगजन द्वारा पूर्व में किए गए संव्यवहार के लिए पूर्व सहायता ठहराव के लिए। दिव्यांगजन को सहायता प्रदान करने वाला कोई व्यक्ति असम्यक असर का प्रयोग नहीं करेगा और उसकी इच्छा, गरिमा और निजता का सम्मान करेगा।

इस अधिनियम में यह आदेश है कि सहायता प्रदान करने वाला व्यक्ति दिव्यांगजन की गरिमा, निजता और स्वायत्तता का सम्मान करेगा।

संरक्षकता के लिए उपबंध

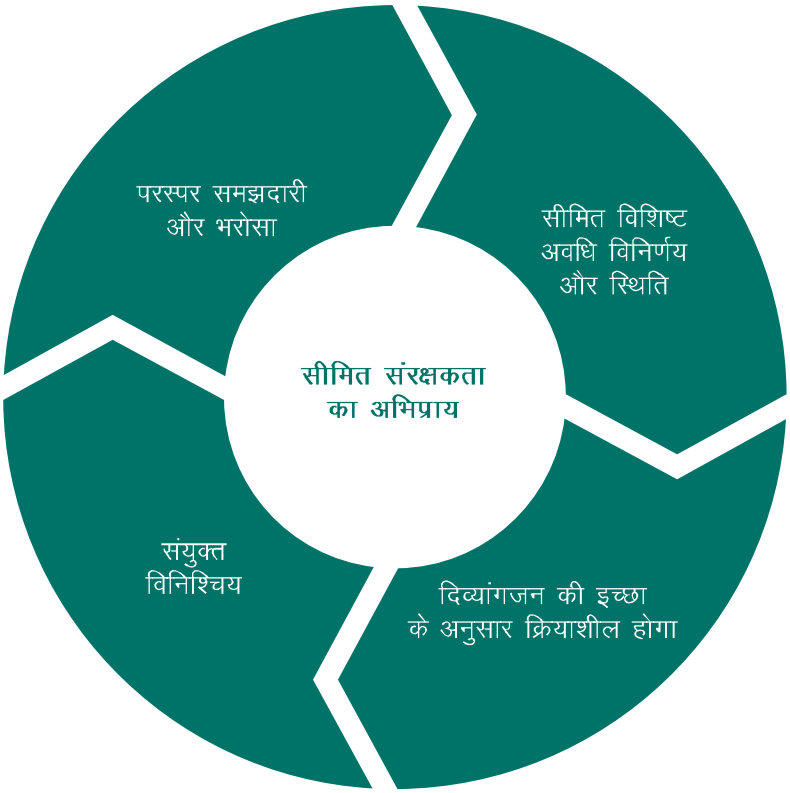

सीमित संरक्षकता किसी दिव्यांगजन को तब प्रदान की जाती है जब जिला न्यायालय अथवा कोई अन्य अभिहित प्राधिकारी पाता है कि कोई दिव्यांगजन जिसे समुचित और पर्याप्तसहायता प्रदान की गई है परंतु वह विधिक रूप से आबद्धकर विनिश्चय लेने में असमर्थ है। वह व्यक्ति जो संरक्षता प्रदान करेगा उसे सीमित संरक्षक कहा जाता है, जिसकी कि दिव्यांगजन सलाह लेता है और उस दिव्यांगजन की ओर से वह विनिश्चिय करता है।

ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें सीमित संरक्षक की बार–बार सहायता की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के मामलों में अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय, यदि दिव्यांग व्यक्ति को आवश्यकता हो, उसे पूर्ण सहायता प्रदान करेगा। पूर्ण सहायता प्रदान करने संबंधी निर्णय की आवधिक समीक्षा यह समझाने के लिए की जाएगी कि किस प्रकार की सहायता दी जानी चाहिए और उसे किस तरह से दिया जाना चाहिए। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह दिव्यांगजनों के विधिक सामर्थ्य के प्रयोग करने में उनकी सहायता करने के लिए, समुदाय को गतिशील करने और सामाजिक जागरूकता सृजित करने के लिए एक या अधिक प्राधिकारियों को अभिहित करेगी। इस प्राधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि संस्था में रहने वाले और जिन्हें उच्च सहायता की आवश्यकता है वे अपने विधिक सामर्थ्य का प्रयोग कर सकें।

अध्याय – 3
शिक्षा

मुख्य विशेषताएं

1. इस अध्याय में विशेष रूप से दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संबंध में किए गए महत्वपूर्ण उपबंधों के बारे में बताया गया है।
2. इसमें उन उपायों के बारे में बताया गया है जिन्हें सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों को सम्मिलित शिक्षा प्रणाली को बनाए रखने के लिए अनिवार्यतः उठाने हैं।
3. इसके अतिरिक्त इसमें उन विशिष्ट उपायों का भी उल्लेख है जिन्हें मानव, वित्तीय और अन्य संसाधनों से सम्मिलित शिक्षा प्रणाली को सतत रूप से चलाना सुनिश्चित किया जा सकता है।

शिक्षा के संबंध में में अधिनियम में सरकार, नगर पालिका, पंचायत अथवा छावनी बोर्ड को यह दायित्व दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा वित्त–पोषित और मान्यता प्राप्त सभी संस्थाओं के लिए यह आवश्यक होगा कि वे ऐसी व्यवस्था करेंगे जिसमें दिव्यांग और अन्य छात्र एक साथ पढ़ें और शिक्षा ले सकें। शिक्षा देने और ग्रहण करने की इस व्यवस्था को संभव बनाने के लिए यह आवश्यक होगा कि दिव्यांग बालक की आवश्यकताओं के अनुरुप बनाया जाए। इसे आरम्भ करने के संबंध में अधिनियम मे यह निदेश दिया गया है कि प्रत्येक दिव्यांग छात्र को इन विद्यालयों में बिना किसी विभेद के प्रवेश दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्र इन विद्यालयों में पढ़ सकें, इस हेतु प्रयास किए जाने होंगे कि परिसर और अन्य सुविधाओं तक उनकी पहुंच हो। छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार अनेक प्रकार के उपांतरणों को भी किया जाना आवश्यक होगा। अधिनियम में नेत्रहीन और बधिर छात्रों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है जिन्हें, संसूचना के समुचित माध्यमो से शिक्षा दी जानी होगी। छात्रों के आरंभिक जीवन में ही विद्या संबंधी दिव्यांगता का पता लगाया जाना चाहिए और विद्यालय में अपनाई जाने वाली शिक्षण और अध्ययन प्रणाली में परिवर्तन किए जाने चाहिए जिससे कि विद्या संबंधी दिव्यांगता की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। प्रत्येक दिव्यांग छात्र की शिक्षा पूरी करने संबंधी प्रगति को पूरा किया जाना चाहिए।दिव्यांग छात्र की शिक्षा तक पहुंच में सहायता सुविधा के रूप में ऐसे छात्रों को और उनके परिचर को, यदि कोई हो, परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।

> दिव्यांग बालकों की पहचान करने के लिए उनकी विशेष आवश्यकताओं का अभिनिश्चित करने और उस परिमाण के संबंध में जहां तक उन्हें पूरा कर लिया गया है, स्कूल जाने वाले बालकों के लिए हर पांच वर्ष में सर्वेक्षण कराना होगा। ऐसा पहला सर्वेक्षण इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष के भीतर कराया जाना होगा।

उपर्युक्त व्यवस्था को वास्तविक रूप देने के लिए अधिनियम में यह भी उपबंध किया गया है कि शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न पण्य धारकों की क्षमताओं का निर्माण करने के लिए सरकार, पंचायत, छावनी बोर्ड अथवा नगर पालिका को विशेष उपाय करने होंगे। इसमें यह भी उपबंध है कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। विशेष रूप से ऐसी अध्यापकों की नियुक्ति करनी होगी, जो दिव्यांग हो और संकेत भाषा तथा ब्रेल में प्रशिक्षित हो और उन छात्रों को भी शिक्षित करने में सक्षम हो जो बौद्धिक विकलाग हैं। वृत्तिकों और कर्मचारीवृंद को भी विद्यालय में सम्मिलित शिक्षा में सहायता करने और उसे सुविधाजनक बनाने के लिए प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता होगी।

अधिनियम में उन विशिष्ट उपायों को भी दिया गया है जिन्हें सम्मिलित शिक्षा को एक वास्तविकता बनाने के लिए उठाए जाने की आवश्यकता होगी। इन्हें दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक मानव संसाधन क्षमताओं को बढ़ाने से संबंधित है, जो कि शिक्षा प्रणाली का एक भाग है। इसके एक भाग के रूप में सरकार को शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने होंगे, विद्यमान शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, दिव्यांग अध्यापकों को नियोजित करना और बौद्धिक दिव्यांग छात्रों को शिक्षित करने के लिए उन्हें ब्रेल और संकेत भाषा में प्रशिक्षित करना होगा। शिक्षा की इस प्रणाली को सहायता देने के लिए सभी कर्मचारीवृंद को प्रशिक्षित किया जाना होगा। इसका अभिप्राय यह है कि हाउस कीपिंग स्टाफ और प्रशासनिक स्टाफ को भी यह समझना होगा कि दिव्यांग छात्रों की कुछ विशेष आवश्यकताए है और उनके साथ में अन्य छात्रों के समान ही व्यवहार किया जाना है।

दूसरी श्रेणी में दिव्यांग बालकों के लिए सानुपाती, सामग्री और वित्तीय समर्थन के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। अधिनियम में प्रावधान है कि संदर्भित दिव्यांग छात्रों को 18 वर्ष की आयु तक पुस्तकें, अन्य विद्या सामग्री और समुचित सहायक युक्तियां निःशुल्क उपलब्ध कराने के अतिरिक्त उन्हें छात्रवृति भी दी जानी चाहिए। वाक शक्ति संप्रेषण या भाषा दिव्यांगता वाले छात्रों लिए संप्रेषण ब्रेल और सांकेतिक भाषा के साधनों और रूप विधानों को सम्मिलित करते हुए समुचित संवर्धी और अनुकल्पी पद्धतियों के प्रयोग का संवर्धन किया जाना है।

पाठ्यचर्या और परीक्षा प्रणाली में उपांतरण किए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि, उन्हें दिव्यांग छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके। अधिनियम में शिक्षा संस्थाओं के कार्य में सहायता हेतु संसाधन केन्द्रो की स्थापना किए जाने का उपबंध है। सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों का भी यह दायित्व है कि वे अन्य व्यक्तियों के साथ–साथ दिव्यांगजनों की प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में भागीदारी का संवर्धन करे।

यूएनसीआरपीडी का अनुच्छेद 24

दिव्यांगजनों के संबंधित यूएन कन्वेंशन में इस बात को महत्व दिया गया है कि सम्मिलित शिक्षा इस उद्देश्य से दी जानी चाहिए कि उससे मानव क्षमताओं और गरिमा की भावना और व्यक्तित्व विकास हेतु आत्मबल प्राप्त हो, दिव्यांगों की प्रतिभाओं और सृजनात्मक क्षमताओं का सम्पूर्ण विकास हो जिससे कि वे स्वतंत्र समाज में भागीदार बन सकें।

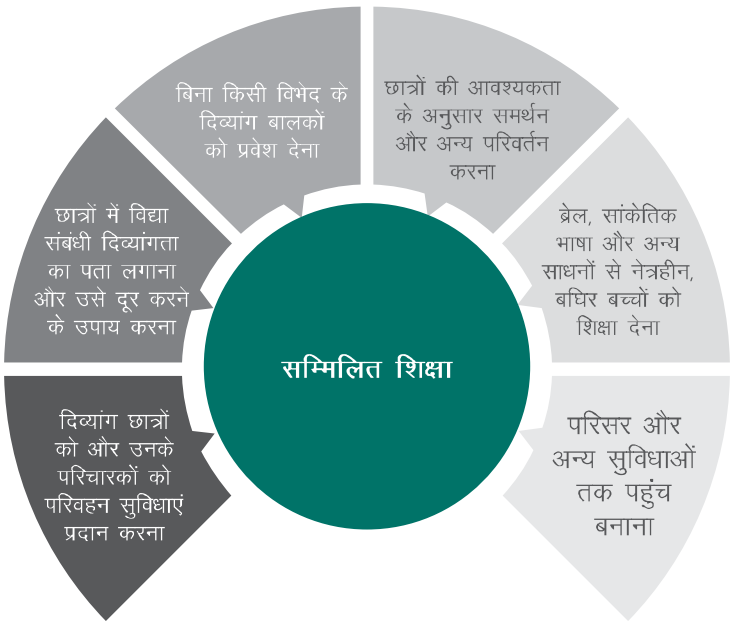

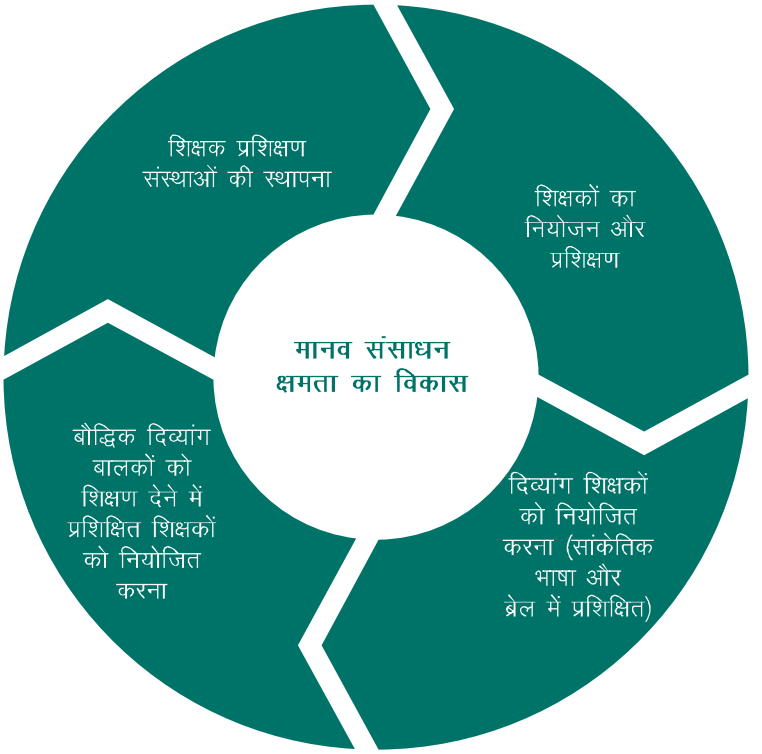

संप्रेषण के संवर्धी और अनुकल्पीय साधनों के उपयोग का संवर्धन करना – ब्रेल और सांकेतिक भाषा

संदर्भित दिव्यांग छात्रों को छात्रवृत्ति

संदर्भित दिव्यांग छात्रों को पुस्तकें, अन्य विद्या सामग्री और उचित सहायक चुक्तियां अठारह वर्ष की आयु तक निशुल्क उपलब्ध कराना

दिव्यांग छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पाठ्यचर्या और परीक्षा में उपयुक्त उपांतरण करना

कोई अन्य उपाय जो अपेक्षित हों

शिक्षण संस्थानों की सहायता के लिए संसाधन केन्द्रों की स्थापना करना

विद्या सुधारने के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना

दिव्यांगजनों की शिक्षा सहायता के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले अनिवार्य उपाय।

अध्याय–4

कौशल विकास और नियोजन

मुख्य विशेषताएं

- इस अध्याय में दिव्यांगजनों के कौशल विकास और नियोजन के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले अपेक्षित कदमों को स्पष्ट किया गया है जैसे ऋण और प्रशिक्षण देना तथा दिव्यांगों द्वारा निर्मित उत्पादों का विपणन करना।
- इसमें दिव्यांगता के आधार पर नियोजन में किसी प्रकार के विभेद का निषेध किया गया है (यहां तक कि यदि दिव्यांगता सेवा के दौरान घटित हुई हो)
- इसमें उन विभिन्न उपायों को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें सेवा के दौरान प्राप्त दिव्यांगता के लिए उठाया जाना चाहिए।
- सरकारी स्थापनों के लिए अपेक्षित है कि वे अपने कार्यस्थल पहुंच योग्य बनायें। इनमें दिव्यांगजन की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन किया जाना चाहिए।
- इसमें समान अवसर नीति बनाए जाने की व्यवस्था है जिसमें दिव्यांगजनों के लिए बनाई गई सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सूची है।
- इसमें दिव्यांगों से संबंधित अभिलेख रखे जाने की आवश्यकता भी है जैसे उनकी संख्या, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य का स्वरूप और उन्हें मिलने वाली सुविधाएं।
- इसमें शिकायत प्रतितोष अधिकारी के माध्यम से दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान अथवा उनकी समस्याओं के प्रत्युत्तर के लिए एक प्रणाली की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक संगठन में इस प्रकार का अधिकारी होगा उसके पास रजिस्टर की गई प्रत्येक शिकायत पर वह विचार कर ले और उस पर कार्रवाई करेगा।

यूएनसीआरपीडी का अनुच्छेद 27

दिव्यांगजनों के अधिकार संबंधी यू.एन. कन्वेशन में यह व्यवस्था दी गई है कि दिव्यांग व्यक्ति को अनुकूल दशाओं में काम करने का अधिकार है। इसमें समान महत्व के कार्य के लिए समान अवसर और समान पारिश्रमिक शामिल है। उन्हें सुरक्षित और स्वास्थ्य कार्य दशायें, उत्पीड़न से बचाव और शिकायतों का निवारण का अधिकार भी प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त इसमें यह भी कहा गया है कि दिव्यांगजनों को अन्य व्यक्तियों के समान अपने–श्रम और व्यवसाय संघ के अधिकारों का प्रयोग करने में भी समर्थ होंगे।

व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वनियोजन

अधिनियम में, सरकार का यह दायित्व होगा कि वह दिव्यांगजनों के व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्व–नियोजन के लिए समर्थनकारी नियोजन सहित स्कीमों और कार्यक्रमों को विरचित करे। बैंकों से सामान्य दरों से बहुत कम दर पर ऋण संबंधी उपबंध का विशेष उल्लेख किया गया है। व्यावसायिक प्रशिक्षण के कुछ उदाहरणों में आटो मोबाइल मरम्मत, बुनाई, गैजेटों और उपकरणों (मोबाइल फोन और कम्प्यूटर) की मरम्मत, विद्युत संबंधी मरम्मत, सिलाई, मुद्रण, पाकशालीय कौशल, हार्डवेयर और साफ्टवेयर की मरम्मत, कृषि उत्पादों का विपणन, रेन वाटर हार्वेसटिंग और पनधारा प्रबंधन शामिल है। व्यावसायिक कौशल में भाषण, व्यक्तित्व विकास, लेखन कौशल, सम्प्रेषण/सहज कौशल शामिल हैं।

सरकार द्वारा विरचित स्कीमों का स्वरूप इस प्रकार का होगा कि औपचारिक और अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण में दिव्यांगजन शामिल हो सके। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि मुख्यधारा के प्रशिक्षण कार्यक्रम दिव्यांगजन की पहुंच में हों। इसमें सुगम्य रूप विधान में प्रशिक्षण अधिसूचना जारी किया जाना, परिवहन सुविधाएं, फीस माफी, सांकेतिक भाषा भाषान्तरण और ब्रेल में दस्तावेज, प्रशिक्षण के लिए पहुंच योग्य केन्द्र और अन्य कोई उपांतरण जो एक दिव्यांग के लिए आवश्यक हो, किया जाना सम्मिलित है।

उन लोगों के लिए बाजार संबद्व विशेष कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित किए जाने की आवश्यकता है जो विकासात्मक, बौद्धिक, बहु दिव्यांगता और स्वलीनता से पीड़ित हैं। उन्हें रियायती दर पर ऋण दिए जाने चाहिए, जिसमें माइक्रो क्रेडिट (ऋण देने की व्यवस्था जिसमें अल्प राशि का ऋण नए कारोबार के लिए न्यून ब्याज दर पर दिया जाता है) भी शामिल हो। दिव्यांगजनों द्वारा निर्मित उत्पादों का विपणन सरकार द्वारा किया जाना होगा। कौशल अथवा नियोजन में प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में दिव्यांग द्वारा की गई प्रगति का डाटा रखे जाने की आवश्यकता है।

अतः अधिनियम में दिव्यांगजनों के लिए प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर, जो कौशल और प्रशिक्षण से आरंभ होकर कारबार आरंभ करने के लिए ऋण सुनिश्चित कराने और फिर उत्पादों के विपणन तक के लिए है, आर्थिक स्वतंत्रता को सुकर बनाने/सहायता देने के संबंध में एक प्रक्रिया का सृजन किया गया है।

नियोजन में विभेद न करना

यह अधिनियम सरकारी स्थापनों को नियोजन से संबंधित किसी मामले में दिव्यांगजन के विरुद्ध उसकी दिव्यांगता के आधार पर विभेद करने से तब तक रोकता है जब तक कि सरकार अधिसूचना द्वारा यह न बताए कि उस स्थापन को उसके काम के प्रकार से ऐसा करने की छूट न दी गई हो

सरकार के सभी स्थापनों के भीतर उपयुक्त परिवर्तन और समायोजन किए जाने होंगे जिससे कि दिव्यांगजन भी अन्य के समान सरलतापूर्वक अपना कार्य करने में सक्षम हो सके। कार्यस्थल का वातावरण इस प्रकार का होना चाहिए कि उसमें किसी प्रकार की बाधा (चाहे भौतिक, संप्रेष्णामक, सांस्कृतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय संस्थागत राजनैतिक, सामाजिक, प्रवृतिमूलक) बाधा न हो।

दिव्यांगता के आधार पर किसी की भी प्रोन्नति रोकी नहीं जा सकती। यदि एक व्यक्ति सेवा के दौरान दुर्घटना के कारण अथवा किसी अन्य कारण से दिव्यांग हो जाता है तो उसे किसी भी सरकारी स्थापन का पद से अभिमुक्त करने अथवा उसका रैंक कम करने का अधिकार नहीं होगा।

यदि कोई कर्मचारी उस कार्य को करने के योग्य नहीं रह गया है जिसे वह वर्तमान में कर रहा था तो उसे समान वेतन और सेवा के फायदों के साथ किसी अन्य पद पर स्थानांतरित किया जाएगा यदि उस कर्मचारी को किसी अन्य पद पर स्थानांतरित करना संभव न हो तो उसे तब तक जब तक कि उपयुक्त पद उपलब्ध नहीं होता तब तक इस प्रयोजन हेतु अपेक्षित संख्या से अधिक पद, विशेष रूप से पद सृजित अथवा बनाकर रखा जाना होगा। दूसरे विकल्प के रूप में उसे तब तक सेवा में बनाये रखा जाए जब तक कि उसकी आयु स्थापन से पेंशन प्राप्त करने की नहीं हो जाती।

यूएनसीआरपीडी का अनुच्छेद 27

दिव्यांगजनों से संबंधित यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन के अनुसार दिव्यांगजों को दासता या गुलामी में नहीं रखा जा सकता तथा उन्हें बेगार या जबरन मजदूरी से सुरक्षा प्रदान की जानी होगी।

समान अवसर नीति

सरकारी और प्राइवेट दोनों के स्थापनों को समान अवसर नीति अधिसूचित करनी होगी जिसमें यह भी सम्मिलित करना कि दिव्यांगजनों के नियोजन के समर्थन में उन्होंने क्या उपाय करने का निर्णय लिया है। इस नीति की एक प्रति मुख्य आयुक्त अथवा राज्य आयुक्त के पास रजिस्टर कराई जानी होगी। इस नीति को वेबसाइट पर डाला जाना होगा तथा इसे कार्यालय में ऐसे स्थान पर प्रदर्शित किए जाने की आवश्यकता है जहां पर यह कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को स्पष्ट दिखाई दे और उनका ध्यान आकृष्ट कर सके। एक स्थापन जिसमें कर्मचारियों की संख्या 20 से कम है वहां पर समान अवसर नीति में दिव्यांगजनों को उपलब्ध सुविधाओं और प्रसुविधाओं का ब्यौरा दिया जाना होगा किंतु, जहां पर 20 अथवा उससे अधिक कर्मचारी हैं अथवा सरकारी स्थापनों मे भी दिव्यांगजन अधिकार नियमों के अंतर्गत कुछ अनिवार्यतायें होनी चाहिए, जो इस प्रकार हैं।

1. दिव्यांगजनों को दी जाने वाली सुविधाएं, जिससे कि वे अपना काम सुचारू रूप से कर सकें।
2. स्थापन में दिव्यांगजनों के लिए चयन किए गए पदों की सूची
3. किन–किन सहायक उपकरणों को उपलब्ध कराया जा रहा है और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या किया गया है कि दिव्यांगजन के लिए अपने कार्यस्थाल के आस–पास और भीतर पहुंचना और चलना सुगम हो सकेगा।
4. विभिन्न पदों के लिए दिव्यांगजनों का चयन किस विधि से किया जाएगा, भर्ती की बाद अथवा नए पद पर प्रोन्नति से पहले उनका प्रशिक्षण, स्थानांतरण अथवा पदस्थापन पर उन्हें दी जाने वाली वरीयताएं, विशेष छुट्टी तथा रिहायशी आवासन के आवंटन मे दी जाने वाली प्राथमिकता।
5. नीति में दिव्यांगजनों की भर्ती के प्रयोजन हेतु सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में भी उल्लेख हो।

अभिलेखों का अनुरक्षण

यह अनिवार्य बनाया गया है कि वे दिव्यांगजनों के नियोजन, उन्हें दी गई सुविधाओं और उन विभिन्न उपायों का, जिनके द्वारा स्थापन ने, दिव्यांगजनों के कौशल विकास और नियोजन से संबंधित उपबंध का पालन करने का निर्णय किया है, का अभिलेख करना होगा। अभिलेखों के अनुरक्षण में निम्नलिखित जानकारी दी जानी होगी:–

1. नियोजित किए गए दिव्यांगजनों की संख्या और उन्हें किस तारीख से नियोजित किया गया।
2. दिव्यांगजन का नाम, लिंग और पता
3. ऐसे व्यक्तियों की दिव्यांगता का स्वरूप
4. ऐसे नियोजित दिव्यांगजन द्वारा किए जा रहे कार्य का स्वरूप
5. ऐसे दिव्यांगजन को दी जा रही सुविधाओं का प्रकार

रोजगार कार्यालयों के लिए यह अपेक्षित है कि वे ऐसे दिव्यांगजनों के अभिलेखों का अनुरक्षण करें जो नियोजन की तलाश में हों। स्थापनों द्वारा अनुरक्षित अभिलेख सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के निरीक्षण के लिए सभी युक्तिसंगत अवसरों पर निरीक्षण के लिए अथवा इस जांच के लिए उपलब्ध रहेंगे कि क्या अधिनियम के उपबंधों का पालन किया जा रहा है।

शिकायत प्रोतितोष अधिकारी

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन न किए जाने के बारे में दिव्यांगजनों से प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए प्रत्येक स्थापन एक शिकायत प्रतितोष अधिकारी नियुक्त करेगा। ऐसी अनेक परिस्थितियां हैं जिनमें किसी स्थापन में कार्य कर रहा दिव्यांगजन शिकायत प्रतितोष अधिकारी के पास अपनी शिकायत रजिस्टर करा सकता है। वे हैं :

1. जब नियोजन के मामले में एक दिव्यांगजन से विभेद किया जाए,
2. जब कोई स्थापन परिवर्तन करने से इंकार कर दे अथवा दिव्यांगजन की आवश्कयता के अनुसार वातावरण देने में बाधा खड़ी कर दे।
3. जब दिव्यांगता के आधार पर प्रोन्नति देने से इंकार कर दिया जाए।
4. जब सेवा के दौरान दिव्यांग हो जाने की स्थिति में उस व्यक्ति को सेवा से हटा दिया जाए अथवा उसका रैंक कम कर दिया जाए।

यह शिकायत प्रतितोष अधिकारी का दायित्व होगा कि वह शिकायतों के रजिस्टर होने से दो सप्ताह के भीतर उनकी जांच करे और सभी शिकायतों का एक रजिस्टर रखें। यदि शिकायतकर्ता को शिकायत पर की गई कार्रवाई से समाधान नहीं होता है तो वह दिव्यांगता पर जिला स्तर समिति के पास जा सकेगा/सकेगी।

अध्याय – 5

सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और आमोद–प्रमोद

मुख्य विशेषताएं

- यह अध्याय दिव्यांगजनों की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है, इसमें देखरेख प्रदाता का भत्ता, पेंशन, सहायता और साधित्र से संबंधित उपबंधों को सम्मिलित किया गया है।
- इसमें उन उपबंधों का उल्लेख किया गया जिन्हें सरकार को दिव्यांगता की रोकथाम और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए उठाने होंगे।
- इसमें दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए आवश्यक उपायों संबंधी उपबंधों पर प्रकाश डाला गया है।
- इस अध्याय में दिव्यांगजनों के मध्य कला, संस्कृति के संवर्धन, आमोद–प्रमोद और खेलकूद संबंधी कार्यकलापों के लिए उपबंध किया गया है।

सामाजिक सुरक्षा

यह सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है कि जो लोग दिव्यांग है उनका जीवन स्तर उच्च कोटि का हो जिससे वे स्वतंत्र जीवन जी सकें अथवा समुदाय के बीच रह सकें। इसके लिए सरकार द्वारा यथोचित स्कीमें और कार्यक्रम विरचित किए जाने की आवश्यकता है। इस अधिनियम में विशेष रूप से यह आदेश दिया गया है कि हर स्कीम के अधीन दिव्यांगजन को दी गई सहायता अन्य लोगों को दी जाने वाली सहायता से 25 प्रतिशत अधिक होगी। ऐसा उपबंध किये जाने का प्रयोजन यह है कि दिव्यांगजनों की निर्वाह लागत किसी अन्य व्यक्ति से सदैव अधिक रहती है। ऐसा इस कारण है कि उन्हें चिकित्सा स्वास्थ्य देखरेख, सहायक उपकरणों, पहुंच संबंधी अभावों को पार करने के लिए सहायता और स्वास्थ्य रक्षा आदि पर अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़ती है। इन स्कीमों को विरचित करते समय सरकार को जिन कारकों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है वे हैं दिव्यांगता, लिंग, आयु और सामाजिक–आर्थिक हैसियत।

अधिनियम में इस बात का समर्थन किया गया है कि उन बालकों और वयस्कों के लिए जिनका उनके कुटुम्ब द्वारा परित्याग किया गया है तथा जिनके पास आश्रय स्थल अथवा जीवन–निर्वाह का साधन नहीं है उनके लिए सहायता स्कीमों में सामुदायिक केन्द्रों को सम्मिलित किया जाना होगा और वहां पर सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य रक्षा और परामर्शदाता सुविधाओं के साथ अच्छी रहन–सहन की स्थिति हो।

अधिनियम में यह भी उपबंध किया गया है कि दिव्यांगजनों को प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की आपदाओं में और संघर्ष की स्थिति वाले क्षेत्रों में सहायता प्रदान की जानी होगी। महिलाओं को उनके जीवन–निर्वाह के लिए और बच्चों के भरण–पोषण के लिए वित्तीय अथवा अन्यथा सहायता प्रदान की जानी होगी। दिव्यांगजन को पहुंच में पीने का स्वच्छ पानी और शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सफाई संबंधी सुविधाएं हों। दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए विशेष रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार भत्ता जिन्हें नियोजित नहीं किया जा सका था। उच्च सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांगजनों के लिए व्यापक बीमा, देख–रेख भत्ता सुविधाएं जैसे दवाइयां, सहायता और साधित्र, चिकित्सीय और नैदानिक सेवायें तथा दिव्यांगजनों के लिए सुधारात्मक श्रव्य क्रियायें (अधिकतम आय–सीमा पर) ऐसे कुछ अन्य उपबंध इस अध्याय में किए गए हैं।

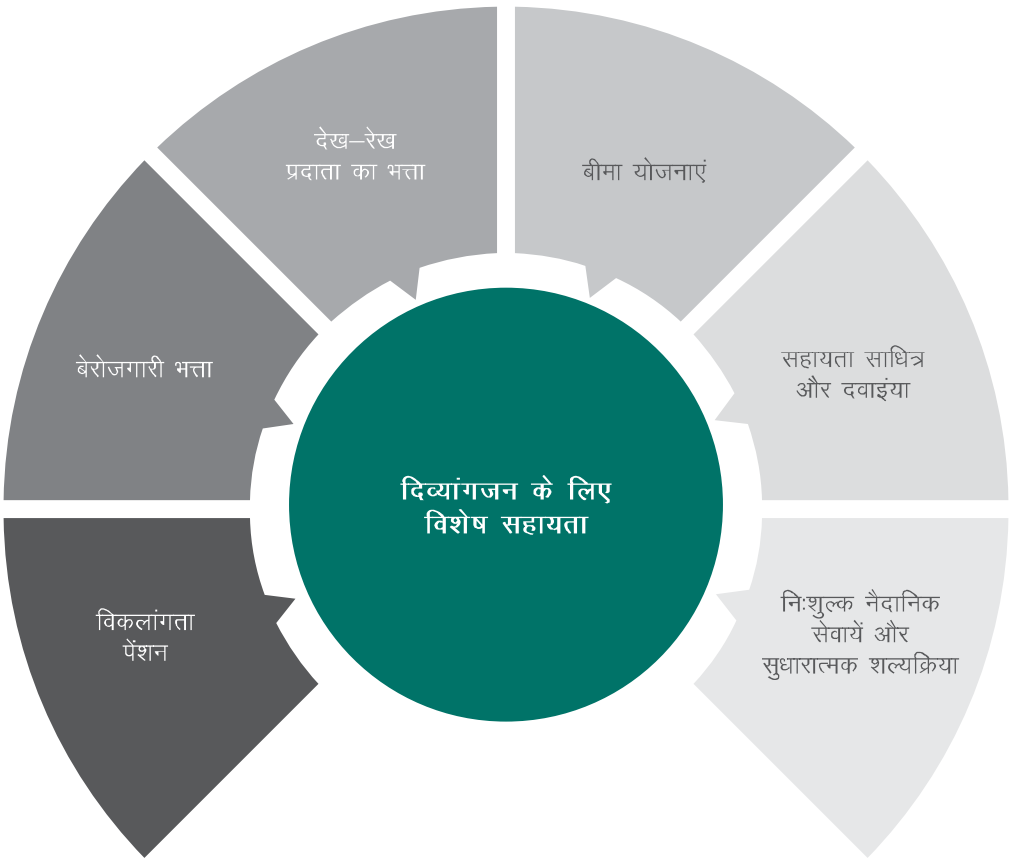
देख–रेख
प्रदाता का भत्ता
बीमा योजनाएं
बेरोजगारी भत्ता
सहायता साधित्र
और दवाइंया
दिव्यांगजन के लिए
विशेष सहायता
विकलांगता
पेंशन
निःशुल्क नैदानिक
सेवायें और
सुधारात्मक शल्यक्रिया

स्वास्थ्य देख–रेख

सरकार को यह भी दायित्व दिया गया है कि वह दिव्यांगजनों के स्वास्थ्य की रक्षा करे और उसमें अभिवृद्धि सुनिश्चित करे। स्वास्थ्य संबंधी यह उपबंध दो भागों में बंटा हुआ है। एक भाग में दिव्यांगजनों की स्वास्थ्य देख–रेख सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने से संबंधित है। दूसरे भाग में दिव्यांगता की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम हैं। दिव्यांगजनों की स्वास्थ्य देखरेख तक दिव्यांगजनों की पहुंच है। इसके लिए सरकार निम्नलिखित उपाय करेगी।

दूसरे भाग में सरकार के लिए यह अपेक्षित है कि वह दिव्यांगता की रोकथाम के लिए कदम उठाए। यह सुनिश्चित करे कि:

1. जिस स्थान पर दिव्यांगजन रह रहा हो उसके निकटवर्ती स्थान पर, विशेष रूप से गांव में स्वास्थ्य देखरेख निःशुल्क उपलब्ध कराना किंतु, निःशुल्क सुविधा उन्हीं को उपलब्ध कराई जाएगी जो सरकार द्वारा निर्धारित विशेष आय सीमा के अन्दर आते होंगे।
2. दिव्यांगजनों की पहुंच सरकारी अथवा प्राइवेट अस्पतालों के हर भाग तक बिना किसी बाधा के होनी चाहिए। बिल्डिंग तक पहुंच सुगम होनी चाहिए। स्वास्थ्य देख–रेख संबंधी लागत इस प्रकार की होनी चाहिए कि दिव्यांगजन उसे वहन कर सकें। इन अस्पतालों में सुविधाएं इस प्रकार की हों कि दिव्यांगजन की उन तक पहुंच हो।
3. जब कोई दिव्यांगजन जाता है तो उसकी परिचर्या और उपचार में पूर्विकता बरती जानी चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि अस्पतालों को उनके लिए अलग लाइनों की व्यवस्था करनी चाहिए और रोगियों की लाइन में पहले उनका उपचार करना चाहिए।

सरकार को मोटे तौर पर दो तरीकों से दिव्यांगता निरोधात्मक उपाय करने का दायित्व दिया गया –जागरूकता लाकर और उन्हें प्रशिक्षित करके और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सक्रिय सहयोग के साथ।

यूएनसीआरपीडी का अनुच्छेद 25

दिव्यांगजनों से संबधित यूएन कन्वेंशन में बताया गया है कि किसी भी दिव्यांगता की समय पर पहचान और उसके आगे बढ़ने की रोकथाम के लिए विशिष्ट प्रकार की स्वास्थ्य देखरेख सुविधायें प्रदान कराई जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों को स्वास्थ्य देख–रेख सुविधायें निःशुल्क और उनकी संसूचित सहमति से प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

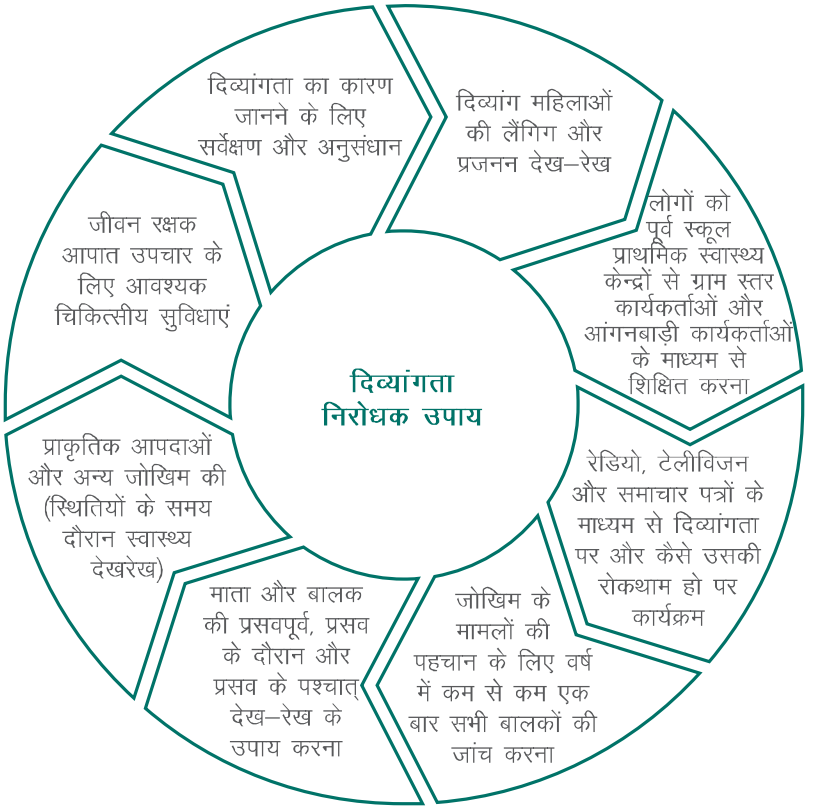

बीमा स्कीमें

एक दिव्यांग व्यक्ति की चिकित्सीय आवश्यकतायें अन्य की अपेक्षा भिन्न होती है और यह उसकी दिव्यांगता की सीमा उसकी अवस्था और प्रकार के आधार पर अलग–अलग हो सकती है। बढ़ती अवस्था भी उसकी दिव्यांगता के प्रकार में अन्तर लाती रहती है। अतः चिकित्सीय और सुधारात्मक प्रक्रियाओं के समर्थन से अथवा जीवन के अन्य मील पत्थरों से जीवन अनिवार्यतः इस बात के लिए आश्वस्त हो जाता है कि एक दिव्यांगजन स्वयं को सिद्ध करने में सक्षम हो सकता/सकती है। इस अधिनियम के द्वारा यह उपबंध किया गया है कि सरकार को विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए बीमा स्कीमें बनानी होंगी।

पुनर्वास

पुनर्वास एक प्रक्रिया है जिसमें दिव्यांगजनों को स्वतंत्र जीवन जीने और सार्वजनिक जीवन में भाग लेने में सहायता मिलती है। इससे यह भी अभिप्रेत है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति कार्य करने का ईष्टतम स्तर प्राप्त और बनाये रख सकता/सकती है।

सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों को दिव्यांगजनों के लिए सेवाओं और कार्यक्रमों का आयोजन करना होगा जिससे कि वे स्वतंत्र रह कर आराम से और सम्पूर्णता के साथ अपना जीवन जी सके। इसका अभिप्राय यह हुआ कि उनके पुनर्वास हेतु योजनायें बनाये जाने की आवश्यकता है जिसमें स्वास्थ्य देख–रेख सुविधाएं, शिक्षा और नियोजन के अवसर शामिल हों। पुनर्वास एक व्यापक शब्द है और इसमें और भी अनेक उपाय शामिल हो। पुनर्वास एक व्यापक शब्द है और इसमें और भी अनेक उपाय शामिल हो सकते हैं जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों कि दिव्यांग जन सार्वजनिक जीवन में दूसरों के साथ भागीदारी करने में सक्षम हैं। इसमें

दृष्टिक्षीण जनों को आने–जाने में प्रशिक्षण देना और सहायक उपकरण, विशेष रूप से गरीब व्यक्तियों को दिया जाना सम्मिलित किया जा सकता है।

ऐसे प्रयास उन गैर सरकारी संगठनों द्वारा नियमित रूप से किए जाते रहते हैं जो दिव्यांगजनों के सम्पर्क में है और उनके मामलों को गहराई से समझते हैं। अतः अधिनियम में यह भी अनिवार्य बना दिया गया है कि सरकार दिव्यांगजनों के लिए विशेष कार्यक्रमों और सेवाओं का निर्माण करते समय इन संगठनों से परामर्श करे। इसका प्रयोजन यह है कि कोई भी सेवा अथवा कार्यक्रम कारगर होना चाहिए और वह दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाला हो। इसके अतिरिक्त सरकार से यह भी अपेक्षित है कि वह दिव्यांगों के लिए काम कर रहे गैर–सरकारी संगठनों को आर्थिक सहायता प्रदान करे।

अधिनियम में यह अनिवार्य बनाया गया है कि समुचित सरकार व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के माध्यम से अनुसंधान और विकास अथवा ऐसे अन्य प्रयोजन से संबंधित मामले, जिनसे आवासन और पुनर्वास बढ़ेगा और ऐसे अन्य मामले जो दिव्यांगों के सशक्तीकरण के लिए आवश्यक हो और जिनसे उन्हें अधिकतम स्वतंत्रता, भौतिक, मानसिक सामाजिक और व्यावसायिक क्षमता, और समस्त पारिवारिक पहलुओं में भाग लेने और उसे बनाए रखने में सहायता मिले, आरंभ करायेगी।

यूएनसीआरपीडी का अनुच्छेद 26

दिव्यांगजनों के अधिकार से संबधित यू.एन. कन्वेंशन के अनुसार दिव्यांग व्यक्ति का पुनर्वास प्रारंभिक अवस्था पर शुरू किया जाए और वह व्यक्ति विशेष की जरूरतों और सामर्थ्य के बहु अनुशासनिक मूल्यांकन पर आधारित हो।

संस्कृति और आमोद–प्रमोद

अधिनियम में यह उपबंध किया गया है कि सरकार को दिव्यांगजनों के सांस्कृतिक जीवन जीने और आमोद–प्रमोद के कार्यकलापों में भाग लेने के लिए अधिकारों का संरक्षण करना होगा। इसके लिए सरकार को दो प्रकार के उपाय करने होंगे।

सरकार को दिव्यांग कलाकारों और लेखकों को विशिष्ट सुविधायें और सहायता देनी होगी जिससे कि वे अपनी अभिरुचि और प्रतिभा को निर्बाध रूप से आगे बढ़ा सकें। अन्य प्रयासों में यह सुनिश्चित करना होगा कि आमोद–प्रमोद के कमरे के अन्दर अथवा बाहर होने वाले सभी कार्यकलापों तक दिव्यांगजनों की पहुंच हो अथवा उनका निर्माण इस विधि से किए जाने की आवश्यकता है कि दिव्यांगजन सरलता से उनमें भाग ले सकें।

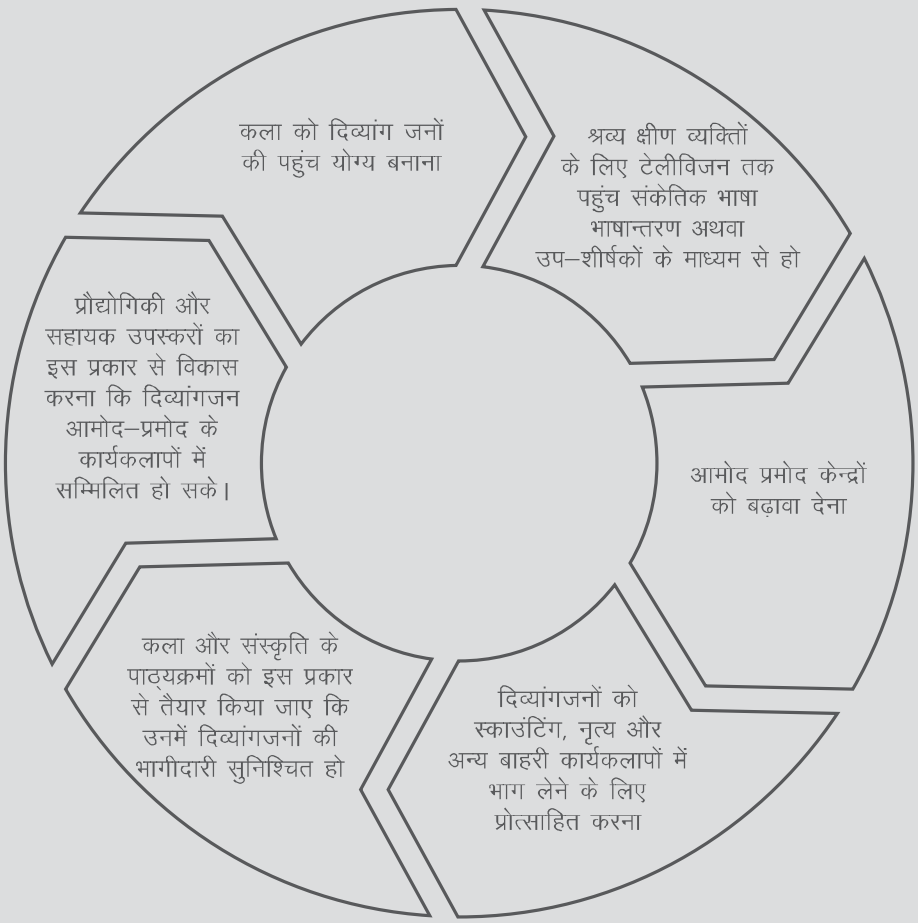

खेलकूद गतिविधियां

सरकार का यह दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि दिव्यांगजन खेलकूद गतिविधियों में भाग ले सकें। अधिनियम के अंतर्गत खेल प्राधिकरणों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि यह समझे/जाने कि दिव्यांगजनों का खेलकूद गतिविधियों में शामिल होने का समान अधिकार है। खेल प्राधिकरण जिन स्कीमों और कार्यक्रमों को विकसित करें उनकी संरचना इस प्रकार से हो कि उसमें दिव्यांगजन शामिल हो सके।

1. अधिनियम में दो शाखी दृष्टिकोण की सिफारिश की गई है।

   - यह सुनिश्चित करना कि वर्तमान अवसंरचना, सुविधाएं, पाठ्यक्रम और कार्यक्रमों का इस तरह से पुनः विन्यास और पुनः संरचना हो कि दिव्यांगजन की उन तक पहुंच हो।
   - दिव्यांगजनों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए विशेष प्रयास करना जैसे अवसंरचनाओं के विकास के लिए निधियों का आवंटन करना और दिव्यागंजनों के लिए खेल–कूद प्रतियोगिताएं आयोजित करना।

खेलकूद गतिविधियों में दिव्यांगजनों के भाग लेने के लिए निर्दिष्ट विशिष्ट प्रयास

अध्याय — 6

संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपबंध

मुख्य विशेषताएं

- इस अध्याय में संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं
- संदर्भित दिव्यांग बालकों को 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है।
- उच्च शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए सीटें आरक्षित किया जाना है।
- इस अध्याय मे उस विधि का भी उल्लेख किया गया है कि जिस विधि से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों को भरा जाना है।
- प्राइवेट क्षेत्र के नियोजकों को दिव्यांग व्यक्तियों को नियोजित करने के लिए प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है।
- स्थापनों को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सृजित पदों की रिक्तियों के संबंध में रोजगार कार्यालयों में विवरणी भरें जाने की आवश्यकता।

संदर्भित दिव्यांगजन :

यूएनसीआरपीडी का अनुच्छेद 24

दिव्यांगजन अधिकार संबंधी यू.एन. कन्वेशन में यह व्यवस्था की गई है कि औपचारिक शिक्षा के अतिरिक्त राज्य पार्टियों को ब्रेल, वैकल्पिक लिपि, संसूचना और पुनर्विन्यास तथा चलन कौशल और सहयोगी की सहायता और विश्वसनीयता सलाह लेना सीखने की सुविधा देनी होगी।

संदर्भित दिव्यांग बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा

इस अध्याय में संदर्भित दिव्यांगजनों के विशिष्ट अधिकारों पर प्रकाश डाला गया है। संदर्भित दिव्यांगता वाले प्रत्येक बालक को निकटवर्ती स्कूल अथवा अपनी पसंद के विशेष स्कूल में निःशुल्क शिक्षा लेने का अधिकार दिया गया है। यह सुनिश्चित करने का दायित्व सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारियों का होगा कि प्रत्येक बालक को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध हो। इसके साथ ही सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारयों की यह भी जिम्मेदारी होगी कि वे यह सुनिश्चित करें कि जिस वातावरण में उन्हें शिक्षा मिल रही है वह बालक के लिए सहायक/अनुकूल/प्रेरक हो। यह उपबंध भेदभाव को ध्यान में रखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि दिव्यांग बच्चे शिक्षा आरंभ करते समय इसका सदैव सामना करते हैं।

उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण

इस अधिनियम में यह उपबंध किया गया है कि सभी सरकारी उच्च शिक्षा संस्था और सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे अन्य उच्च शिक्षा संस्थान संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए कुल स्थानों की संख्या का कम से कम 5 प्रतिशत स्थानों को आरक्षित रखेंगे। सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए संदर्भित दिव्यांगजनों की ऊपरी आयु सीमा में अन्य की अपेक्षा पांच वर्ष अधिक होगी।

आरक्षण और आरक्षण के लिए पदों की पहचान

सरकार का यह दायित्व है कि वह कम से कम कुल रिक्तियों का 4 प्रश्तिात पद प्रत्येक पद वर्ग में संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रखेगी। अधिनियम के अनुसार अनुरक्षण की विरचना इस प्रकार हैः–

1. 1 प्रतिशत पद अंध/निम्नदृष्टि व्यक्तियों के लिए
2. 1 प्रतिशत पद बधिर/श्रवण शक्ति में ह्रास व्यक्तियों के लिए
3. 1 प्रतिशत पद चलन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए
4. 1 प्रतिशत स्वपरायणता, बौद्धिक, विद्या दिव्यांगजनों, मानसिक रुग्णता, बहु दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए (जिसका अर्थ है उपर्युक्त में से किसी भी दिव्यांगता को मिलाकर)

प्रोन्नति में आरक्षण सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगा। किसी भी विभाग को केवल तब के सिवाय आरक्षण संबंधी व्यवस्था के पालन से छूट होगी, जब इसके लिए सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई हो जिसमें छूट के कारणों का उल्लेख किया जाना होगा। सरकार इस प्रकार के निर्णय आयुक्त अथवा राज्य आयुक्त से परामर्श द्वारा स्थापन में किए जाने वाले काम के प्रकार को देख कर ले सकती है।

सरकार को उन पदों की पहचान करनी होगी जो संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। इस कार्य को प्रभावकारी ढंग से करने के लिए सरकार को एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना होगा जिसमें संदर्भित दिव्यांगजन भी शामिल हों। इस समिति का यह दायित्व होगा कि वह इन पदों की पहचान करे। सरकार का यह भी दायित्व है कि वह नियमित अन्तराल के बाद इन पदों की समीक्षा करे। अन्तराल की समयावधि तीन वर्षों से अधिक न हो।

रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया

यदि रिक्त पद का स्वरूप ऐसा है कि कुछ एक दिव्यांग व्यक्तियों को उन पदों पर नियोजित नहीं किया जा सकता, तब उन रिक्तियों को अंतर परिवर्तन के द्वारा भरा जा सकता है। ऐसा केवल सरकार के अनुमोदन से किया जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब किसी स्थापन में नेत्रहीन व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जा सकता तो उस रिक्त पद को बधिर अथवा श्रवण शक्ति में ह्रास अथवा चलन दिव्यांग अथवा स्वपरायणता, बौद्धिक, विद्या दिव्यांगता, मानसिक रुग्ण व्यक्तियों द्वारा भरा जा सकेगा। सरकार, अधिसूचना के द्वारा संदर्भित दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा बढ़ा सकती है।

प्राइवेट सेक्टर में नियोजकों को प्रोत्साहन

सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे प्राइवेट सेक्टर में नियोजकों को उनके कार्यबल के 5 प्रतिशत तक संदर्भित दिव्यांगजनों को नियोजित करने के प्रयोजन के लिए प्रोत्साहन देंगे।

विशेष रोजगार कार्यालय

यह सरकार द्वारा स्थापित और अनुरक्षित एक कार्यालय है जो उन नियोजकों की सूचना रखता है जो संदर्भित दिव्यांगजनों में से लोगों को नियोजित करना चाहते हैं और ऐसे संदर्भित दिव्यांग जो नियोजन की तलाश में है तथा संदर्भित दिव्यांगों के लिए रिक्तता के बारे में।

इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार ऐसी अधिसूचना जारी कर सकती है जिसके अनुसार प्रत्येक स्थापन के नियोजक को विशेष रोजगार कार्यालय को संदर्भित दिव्यांगजनों के विद्यमान रिक्त पदों अथवा होने वाले रिक्त पदों के बारे में विवरण संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। सभी स्थापनों के लिए इस अधिसूचना का अनुपालन करना आवश्यक होगा और इस बारे में सूचना रोजगार कार्यालय को प्रस्तुत की जानी होगी।

विशेष स्कीमें और विकास कार्यक्रम

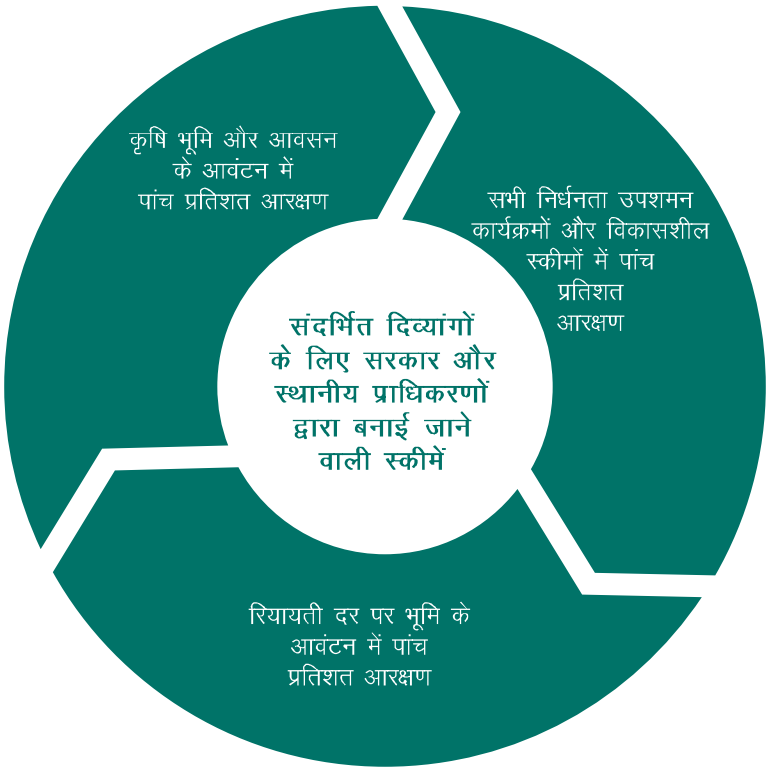

रियायती दर पर आवंटित भूमि का उपयोग आवासन, आश्रय, उपजीविका के गठन, कारबार, उद्यम, आमोद–प्रमोद केन्द्रों और उत्पादन केन्द्रों के संवर्धन के प्रयोजन के लिए किया जाना है। कृषि भूमि और निर्धनता उपशमन कार्यक्रमों में आरक्षण में प्राथमिकता संदर्भित दिव्यांग महिलाओं को दी जानी होगी।

रिक्तियों की गणना

कुल पदों की संख्या के 4 प्रतिशत पद संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रखे जाने हैं। प्रोन्नति में आरक्षण सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार होंगे।

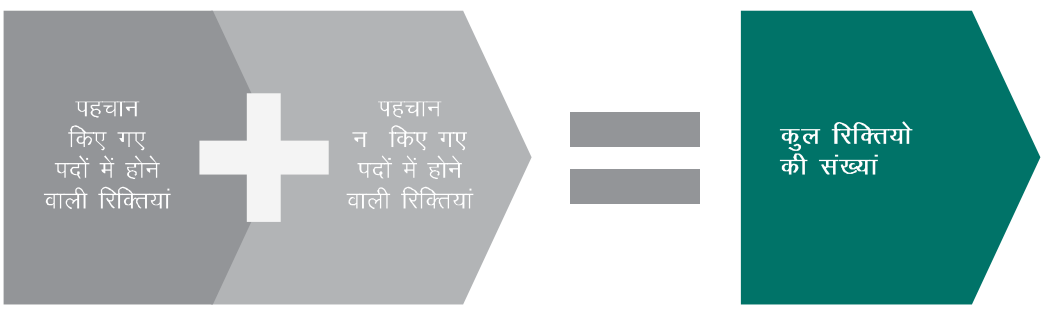

प्रत्येक सरकारी स्थापन को संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों की गणना के लिए रिक्त पद आधारित रोस्टर रखना होगा। इस रोस्टर अथवा रजिस्टर में स्थापन को सभी पहचान अथवा पहचान न किए गए पदों में होने वाली रिक्तियों को दर्ज करना होगा ताकि आरक्षित पदों की गणना संभव हो सके। जब रिक्त पदों के संबंध में विज्ञापन दिया जाये तो उसमें संदर्भित दिव्यांगत की प्रत्येक श्रेणी में आरक्षित रिक्तियों का स्पष्ट उल्लेख अवश्य हो।

सरकारी स्थापन में रिक्त पदों में अन्तर परिवर्तन तभी किया जा सकता है जब संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों को भरने के संबंध में विहित प्रक्रिया का समुचित रूप से पालन किया गया हो।

रिक्तियों पर विवरणी प्रस्तुत करना

प्रत्येक सरकारी स्थापन को स्थानीय विशेष रोजगार कार्यालय को प्रत्येक छः महीने में एक बार प्ररूप–1 में विवरणी प्रस्तुत करनी होगी।

- 1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक की अवधि के लिए – अक्तूबर माह के अन्दर
- 1 अक्तूबर से 31 मार्च तक अवधि के लिए – अप्रैल माह के अन्दर

प्रत्येक सरकारी स्थापन को स्थानीय विशेष रोजगार कार्यालय को प्रत्येक दो वर्षों में एक बार अप्रैल माह के अन्दर प्रत्येक वैकल्पिक वर्ष की समाप्ति पर प्ररूप–2 में विवरणी प्रस्तुत करनी होगी।

- पहली द्विवार्षिक विवरण को 31 मार्च, 2019 के वित्त वर्ष की समाप्ति पर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।
- प्रत्येक सरकारी स्थापन के लिए नियोजित दिव्यांगजनों का अभिलेख रखना अपेक्षित है।

अध्याय – 7

उच्च सहायता आवश्यकता वाले दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपबंध

मुख्य विशेषताएं

- इस अध्याय में संदर्भित दिव्यांगता का कोई व्यक्ति जिसे उच्च सहायता की आवश्यकता है वह इस प्रकार की सहायता प्रदान किए जाने के लिए प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा, का विशेष उल्लेख किया गया है।
- इस अध्याय में संदर्भित दिव्यांग का कोई व्यक्ति जिसे उच्च सहायता की आवश्यकता है, के अधिकारों पर भी प्रकाश डाला गया है।

उच्च सहायता एक गहन सहायता है, जिसका तात्पर्य शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और अन्यथा से है जिसमे दैनिक कार्यकलापों के लिए, स्वतंत्र और संसूचित निर्णय लेने के लिए और शिक्षा, नियोजन, कुटुम्ब और सामुदायिक जीवन और उपचार तथा थेरेपी सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में भाग लेने के लिए एक संदर्भित दिव्यांगजन को जिनकी आवश्यकता होती है, शामिल है।

उच्च सहायता की आवश्कयता वाला संदर्भित दिव्यांग प्राधिकारी के पास उच्च सहायता प्रदान करने के लिए आवेदन कर सकता है। उच्च सहायता की आवश्यकता वाले व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति अथवा संगठन भी आवेदन कर सकता है। इस प्रकार का आवेदन प्राधिकारी को प्राप्त होने के बाद वह उसे मूल्यांकन बोर्ड के पास भेजेगा जो मामले का मूल्यांकन करने के पश्चात् प्राधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। मूल्यांकन बोर्ड उच्च सहायता की आवश्यकता और सहायता का प्रकार प्रमाणित करता है। इस रिपोर्ट के आधार पर प्राधिकारी के लिए आवश्यक होगा कि वह संदर्भित दिव्यांग को सहायता प्रदान करे।

(उच्च सहायता की आवश्यकता का आवेदन किस प्राधिकारी को करना है इसके बारे में सरकार द्वारा अभी अधिसूचित किया जाना है इसी प्रकार से मूल्यांकन बोर्ड का गठन कौन करेगा इस संबंध में भी सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जानी है)

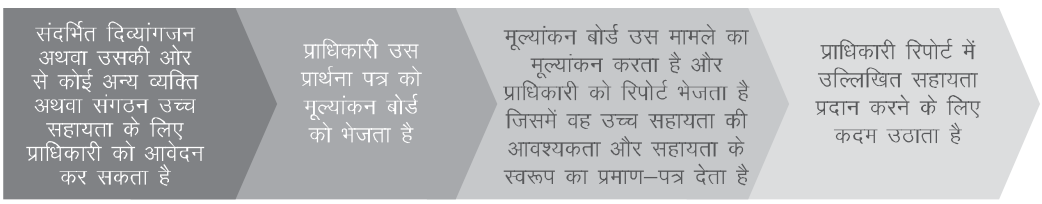

उच्च सहायता की आवश्यकता ले संदर्भित दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

अध्याय – 8

समुचित सरकारों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

मुख्य विशेषताएं

- इस अध्याय में अधिनियम के अंतर्गत सरकार के विशिष्ट दायित्वों का उल्लेख किया गया है।
- अधिनियम में उपबंध है कि सरकार दिव्यांगजनों के मामलों पर साधारण जनता को जागरूक करने और संवेदनशील बनाने के लिए अभियान चलाएगी।
- सरकार को भौतिक पर्यावरण, परिवहन, संसचूना के लिए पहुंच के मानकों को अधिकथित करना होगा।
- यह सरकार का दायित्व है कि ऐसे सामान के उत्पादन का संवर्धन करे जिनका सर्वव्यापी डिजाइन हो और जिन्हें विभिन्न आवश्यकता वाले लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता हो।
- केवल नये स्थापन ही नहीं अपितु पुराने स्थापनों को भी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य बनाये जाने की आवश्यकता है।
- सरकार से इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु मानव संसाधन विकास किए जाने की भी आवश्यकता है।

जागरूकता अभियान

यह सरकार का दायित्व है कि वह दिव्यांगजनों के अधिकारों का संरक्षण करे। इस प्रयोजन के लिए उसे लोगों को दिव्यागजनों से संबंधित विषयों और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाना होगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह दिव्यांग व्यक्ति के अधिकारों के प्रसार के लिए जागरूकता और समर्थन अभियान चलाए। इन अभियानों को मुख्य आयुक्त अथवा राज्य आयुक्त के परामर्श से आयोजित किया जाना है।

सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले जागरूकता अभियानों के उद्देश्यों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है :

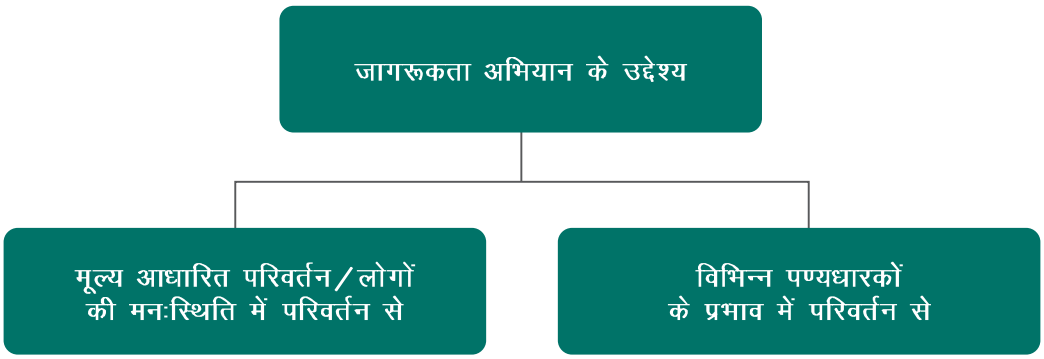

मूल्य आधारित परिवर्तनों में सम्मिलित है :

(1) विविधता के लिए आदर, समावेशन और समानुभूति के मूल्यों को प्रोत्साहन

(2) दिव्यांगजनों के कौशल और क्षमताओं की पहचान करना और देश के कार्यबल में उनके द्वारा योगदान

(3) पारिवारिक जीवन और बच्चों के जन्म के बारे में दिव्यांगजनों के विनिश्चयों का आदर करना

विभिन्न पण्धारकों को प्रभावित करने वाले परिवर्तन

(1) दिव्यांगजनों के सामने आने वाले विशयों और उनके मौलिक अधिकारों के संबंध में विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों का पूर्वामुखीकरण करना और संवेदनशील बनाना

(2) नियोक्ताओं, प्रशासकों और सह कार्मिकों को विभिन्न दिव्यांगताओं, और इन दिव्यांगताओं से प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों के साथ उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के प्रति पूर्वामुखी बनाना

(3) विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में दिव्यांगजनों के अधिकारों को पाठ्यक्रम का एक भाग बनाया जाना होगा।

पहुंच

यह केन्द्रीय सरकार का दायित्व होगा कि वह भौतिक पर्यावरण, परिवहन, जानकारी और संसूचना के लिए पहुंच के नियमों और मानकों को अधिकथित करे। इसका तात्पर्य यह है कि केन्द्रीय सरकार को निर्मित पर्यावरण या परिवहन व्यवस्था या सूचना और संसूचना के क्षेत्र में विशिष्ट विशेषताओं के बारे में मानकों को विनिर्दिष्ट करना होगा और उनकी उपलब्धता और अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। सार्वजनिक भवनों के बारे में ये मानक भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मार्च, 2016 में अधिसूचित हारमोनाइज्ड गाइड लाइन्स एण्ड स्पेस स्टैडर्डस फॉर परसन्स विद डिस्सेविल्टीज एण्ड एल्डरली पर्सन्ज में विनिर्दिष्ट किया गया है। पब्लिक बस परिवहन बॉडी कोड के संबंध में मानक भारत सरकार, सड़क और राजमार्ग परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 895(अ) दिनांक 20 सितम्बर, 2016 में विनिर्दिष्ट है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के संबंध में उन वेबसासइट मानकों का पालन किए जाने की आवश्यकता है जिनका कि भारत सरकार वेबसाइट पालन करते हैं। वेबसाइट पर डाले गये दस्तावेज इलैक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन (ई पीयूबी) अथवा आप्टिकल कैरेक्टर रीडर (ओसीआर) आधारित पीडीएफ फार्मेट में होंगे।

विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि पहुंच संबंधी निर्दिष्ट नियमों का अनुपालन हो। अधिसूचित पहुंच मानकों की केन्द्रीय सरकार, प्रौद्योगिकी में हो रहे सुधारों और नवीनतम वैज्ञानिक जानकारी को ध्यान में रखते हुए पुनर्विलोकन करेगी :

यूएनसीआरपीडी का अनुच्छेद 9

यूएनसीआरपीडी ने पहुंच योग्य निर्मित पर्यावरण बनाने के साथ–साथ जन सामान्य के लिए खोले गए भवनों में गाइडों, पाठकों और वृत्तिक संकेत भाषा भाषान्तरकारों सहित मध्यमवृत्तियों की व्यवस्था करने का भी उल्लेख किया है।

परिवहन तक पहुंच

सरकार को जिम्मेदार बनाया गया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि दिव्यांग जन को परिवहन के विभिन्न साधनों जैसे बसें, रेलगाड़ियां और विमान का उपयोग करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध हों, इस प्रयोजन हेतु बस अड्डे, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डे पर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुविधायें प्रदान की जानी होंगी। इन सुविधाओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट पार्किंग स्थलों, प्रसाधनों, टिकट पटलों और टिकट मशीनों से संबंधित पहुंच मानकों के अनुरूप बनाया जाना होगा। सरकार के लिए यह जरूरी है कि वह दिव्यांगजनों के सभी परिवहन माध्यमों तक पहुंच प्रदान करने के लिए कदम उठाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिवहन व्यवस्था में संघटक अथवा सहायक उपकरण जोड़े जा सकते हैं, जो उस समय नहीं जोड़े गये थे जिस समय उनका विनिर्माण किया गया था। ऐसा केवल तभी किया जाना होगा जब वह सुरक्षित, व्यवहार्य और अधिक खर्चीली न हो। इससे व्यवस्था की मुख्य संरचना/डिजाइन में भारी परिवर्तन भी नहीं होना चाहिए। सरकार का यह भी दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सड़के दिव्यांगजनों के पहुंच योग्य है और उन पर आसानी से दिशाज्ञान मिल सकता है।

परिवहन प्रणाली में परिवर्तन करने और उसमें उन्नयन करने के अतिरिक्त सरकार को दिव्यांग व्यक्ति की व्यक्तिगत गतिशीलता का भी संवर्धन करना होगा। उसे इस प्रकार के वाहनों के उपयोग के लिए प्रोत्साहन देना होगा जिन्हें दिव्यांगजन वाहन में अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन करने पर उन्हें स्वयं उपयोग करने में सक्षम हों।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच

सरकार को यह दायित्व दिया गया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि श्रव्य (रेडियो) प्रिंट (समाचार–पत्र/पत्रिकाएं) और इलेक्ट्रानिक मीडिया (टेलीविजन) में उपलब्ध सभी अन्तर्वस्तुएं पहुंच योग्य रूप विधान में है अथवा उस वैकल्पिक रूप विधान में है जिनमें दिव्यांगजन उन्हें समझ सकता है। अन्तर्वस्तुओं को श्रव्य दिव्यांग और दृष्टि दिव्यांग जनों के आसानी से समझ में आने योग्य बनाने के लिए उन्हें संकेत भाषा और ब्रेल में उपलब्ध कराया जाए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मामले में विशेष रूप से श्रव्य वर्णन (जो अंध अथवा निम्न दृष्टि वाले दिव्यांगजनों के लिए वाच्य रूप विधान में दृश्य व्याख्या) संकेत भाषा निर्वचन और क्लोज्ड कैपशनिंग उपलब्ध कराना होगा जिससे दिव्यांगजन की उन तक पहुंच बन सके। क्लोज्ड कैपशनिंग, टेलीविजन प्रोग्राम, मूवी अथवा कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण की वाकभाग और ध्वनि को वर्णनात्मक रूप है, जो प्रतिदिन उपयोग के लिए सर्वव्यापी डिजाइन के सिद्धांतों के अनुरूप किया जाना चाहिए।

सभी उत्पाद, अवसंरचना, कार्यक्रम और सेवाएं बिना रूपांतरण अथवा विशिष्ट डिजायन के सभी लोगों द्वारा यथा संभव अधिक से अधिक उपयोग योग्य होनी चाहिए।

उपभोक्ता माल

यह सरकार का दायित्व है कि वह सामान्य उपयोग के माल का उत्पादन, विकास और वितरण का संवर्धन करे जो इस प्रकार के डिजाइन में हो कि उनका उपयोग दिव्यांगजनों और वृद्धजनों सहित अधिकतम लोगों द्वारा किया जा सके।

पहुंच सन्नियमों का आज्ञापालक रूप से अनुपालन

प्रत्येक नया भवन जिसका निर्माण किया गया है उसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पहुंच संबंधी सन्नियमों का अनुपालन किया गया हो। अतः भवन में सभी मानक इस प्रकार के हो कि वे हारमोनाइज्ड गाइडलाइन्स फॉर द बिल्ट एन्वायरनमेंट के अनुरूप बनाये गए हों। यदि भवन का प्लान इन मानकों के अनुसार नहीं है तो स्थापन को भवन निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि भवन निर्माण हो जाने के बाद भी उस भवन में इन सन्नियमों का पालन नहीं हुआ है तो उसे पूर्णतः प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा और भवन के स्वामी को भवन का अधिभोग करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक नए भवन को दिव्यांगजनों की पहुंच का स्थान बनाने के लिए विनिर्दिष्ट किए गए सन्नियमों का अनुपालन करना होगा।

सार्वजनिक भवनों (सरकारी और प्राइवेट दोनों) को विहित समय सीमा में पहुंच योग्य बनाना सुनिश्चित करना

अधिनियम में यह अपेक्षित है कि सभी विद्यमान सार्वजनिक भवनों को नियमों के अधिसूचित किए जाने के पांच वर्ष के भीतर पहुंच योग्य बनाया जाए। इन नियमों को 15 जून, 2017 को अधिसूचित किया गया था, इसलिए सभी सार्वजनिक भवनों को 15 जुलाई, 2022 तक पहुंच योग्य बनाया जाना है। सार्वजनिक भवनों का संदर्भ सरकारी अथवा प्राइवेट भवनों से है जहां लोग बड़ी संख्या में उनका उपयोग करते हैं अथवा वहां पहुंचते हैं, इनमें शैक्षिक अथवा व्यावसायिक प्रयोजनों के उपयोग, कार्यस्थल वाणिज्यिक कार्यकलापों, सार्वजनिक उपयोग वाले स्थान, धार्मिक, सांस्कृतिक विश्राम अथवा आमोद–प्रमोद के कार्यकलाप वाले, चिकित्सा अथवा स्वास्थ्य सेवाएं, कानून लागू करने वाले अभिकरण, सुधारगृह, अथवा न्यायिक भवन, रेलवे स्टेशन अथवा प्लेटफार्म, रोडवेज बस स्टैंड अथवा टर्मिनस, हवाई अड्डे और जलमार्ग शामिल हैं। केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों के प्रत्येक राज्य के विद्यमान भवनों को पहुंच योग्य बनाने की अलग–अलग तैयारी को ध्यान में रखते हुए समय–सीमा में वृद्धि कर सकती है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केन्द्रीय सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों को कार्य योजना तैयार करनी होगी।

सेवा प्रदाताओं द्वारा पहुंच के लिए समय–सीमा

सभी सरकारी और प्राइवेट सेवा प्रदाताओं द्वारा इन नियमों के अधिसूचित किए जाने के दो वर्षों की अवधि के भीतर अर्थात् 15 जुलाई, 2019 से पहले इन नियमों में उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुसार सेवाएं प्रदान करनी आरंभ करनी होंगी।

मानव संसाधन विकास

अधिनियम के अनुसार सरकार से यह अपेक्षित है कि वह इस अधिनियम के समुचित कार्यान्वयन के लिए मानव संसाधनों का विकास करे। इन प्रयासों को भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा इस प्रयोजन हेतु किए गए प्रयासों के अतिरिक्त करना होगा। मानव संसाधन विकास में दो पहलू अन्तर्ग्रस्त हैं,

(1) दिव्यांगजनों के अधिकारों पर सभी पण्य धारकों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों का प्रशिक्षण

(2) स्वतंत्र जीवन निर्वहन के लिए दिव्यांगजनों को प्रशिक्षण

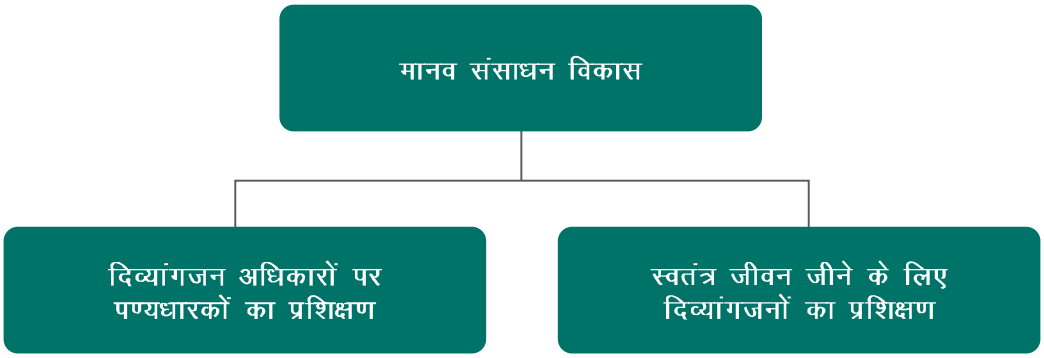

पण्यधारकों का प्रशिक्षण

1. पंचायती राज सदस्यों, विधायकों, प्रशासकों, पुलिस अधिकारियों, न्यायाधीशों और वकीलों के प्रशिक्षण के लिए सभी पाठ्यक्रमों में दिव्यांगजनों के अधिकारों को एक संघटक के रूप में सम्मिलित करना होगा।
2. विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों, चिकित्सकों, नर्सों, अर्ध चिकित्सा कार्मिक, सामाजिक कल्याण अधिकारियों, ग्रामीण विकास अधिकारियों, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, इंजीनियरों, वास्तुविदों अन्य वृत्तिक और सामुदायिक कार्यकर्ताओं के लिए, सभी शैक्षिक पाठ्यक्रमों में दिव्यांगजनों के अधिकारों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।
3. दिव्यांगजनों के कुटुम्ब के सदस्यों और देख–रेख प्रदाताओं को स्वतंत्र जीवन निर्वहन और समुदाय संबंधों का निर्माण करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
4. रोमांचकारी गतिविधियों पर ध्यान देने के साथ क्रीड़ा अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण।

स्वतंत्र जीवन और सामुदायिक जीवन में प्रशिक्षण के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों की क्षमता का भी विकास करना होगा। दिव्यांगता संबंधी अनुसंधान के संवर्धन के लिए विश्वविद्यालयों को इस प्रयोजन हेतु अध्ययन केन्द्र स्थापित करने होंगे।

मानव संसाधन विकास के लिए सरकार को प्रत्येक पांच वर्ष में आवश्यकता आधारित मूल्यांकन करना होगा और इस अधिनियम के विभिन्न कृत्यों के निष्पादन के लिए कार्मिकों की भर्ती और प्रशिक्षण के लिए योजनाएं विरचित करनी होगी।

सामाजिक लेखा परीक्षा

यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सभी स्कीमों और कार्यक्रमों का स्वतंत्र मूल्यांकन करके जांच करेगी कि कहीं उनका दिव्यांग व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ रहा और इन स्कीमों और कार्यक्रमों से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं।

अध्याय 9

दिव्यांगजनों के लिए संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण और ऐसी संस्थाओं को अनुदान

(इस अध्याय में उल्लिखित नियम उन संस्थाओं पर लागू नहीं होते हैं जिन्हें केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किया गया है।)

मुख्य विशेषताएं

- इस अध्याय में उन संस्थाओं के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट किया गया है जो दिव्यांगजनों की देख–रेख करते हैं
- इसमें उन परिस्थितियों को भी स्पष्ट किया गया है जिनके अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र रद्द किया जा सकता है।
- इसमें रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र मंजूर करने वाले प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का भी प्रावधान है।
- इसमें आवेदन किए जाने के पश्चात् प्रमाण पत्र मंजूर किए जाने की समय–सीमा और यदि आवेदक प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो कितनी समय अवधि के भीतर अपील दायर की जा सकती है, वह भी विनिर्दिष्ट की गई है।

सक्षम प्राधिकारी

राज्य सरकार ऐसे प्राधिकारी को नियुक्त कर सकेगी जिसे दिव्यांगजनों की संस्थाओं के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित कृत्यों के बारे में आवश्यक योग्यता, ज्ञान और निपुणता प्राप्त हो।

रजिस्ट्रीकरण

दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए किसी भी संस्था की स्थापना या उसका अनुरक्षण तभी किया जा सकेगा जब कि उसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत किया गया हो और उन्होने उपरोक्त प्राधिकारी से प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया हो। ऐसी संस्थाएं जिन्हें मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्तियों की देख–रेख के लिए स्थापित किया गया है और उसने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017 के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त कर ली हो उन्हे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने से छूट होगी।

आवेदन और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की मंजूरी

रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण–पत्र के लिए आवेदन ऐसे प्ररूप में किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित हो। आवेदन की प्राप्ति पर उत्तरदायी प्राधिकारी ऐसी जांच करेगा कि आवेदक ने इस अधिनियम और इसके अधीन

बनाए गए नियमों के सभी उपबंधों का अनुपालन किया है। यदि प्राधिकारी का समाधान हो जाता है तो उसे आवेदन की प्राप्ति के 90 दिन की अवधि के भीतर प्रमाण पत्र मंजूर करना होगा। यदि जांच से उसका समाधान नहीं होता तो प्राधिकारी प्रमाण–पत्र को मंजूर करने से इंकार कर सकता है। इंकार करने का संसूचना आवेदक को भी दी जानी होगी। यदि प्राधिकारी की मंशा रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र देने से इंकार करने की है तो वह आवेदक को सुने जाने का अवसर देगा।

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र तभी दिया जा सकेगा जब संस्था ऐसी सुविधायें प्रदान करने और ऐसे मानक जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए गए हैं, को पूरा करने की स्थिति में हो। प्रमाण–पत्र ऐसी अवधि के लिए जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, प्रवृत बना रहेगा। इसके पश्चात् उसका नवीनीकरण करना होगा। नवीनीकरण विधिमान्य अवधि की समाप्ति के कम से कम 60 दिन पूर्व किया जाना होगा। प्रमाण–पत्र की प्रकृति राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी। प्रमाण–पत्र का प्रदर्शन सहज दृश्य स्थान पर करना होगा जहां से वह सभी को दृष्टिगोचर हो। रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी अथवा प्रमाण–पत्र नवीनीकरण के लिए किए गए आवेदन पर निर्णय ऐसी अवधि के भीतर करना होगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की गई हो।

रजिस्ट्रीकरण का प्रतिसंहरण

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का प्रतिसंहरण दो ही स्थितियों में किया जा सकता है :

(1) जब आवेदक/संस्था द्वारा द्वारा प्रमाण पत्र के जारी करने या नवीनीकरण के लिए गलत/मिथ्या जानकारी प्रस्तुत की गई हो।

(2) जब आवेदक/संस्था द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया हो अथवा प्रमाण पत्र की मंजूरी के बाद उसने अपेक्षित शर्तों का अनुपालन न किया हो जिसमें किन्हीं नियमों और सन्नियमों का पालन करने की शर्तें हो।

प्रमाण पत्र को रद्द किए जाने/वापस लिए जाने से पूर्व धारक को इस बात का कारण बताने का अवसर दिया जाएगा कि प्रमाण–पत्र रद्द क्यों न कर दिया जाए।

प्रमाण–पत्र के रद्द हो जाने के बाद कृत्य

संस्था को प्रमाण–पत्र रद्द किए जाने की तारीख से कार्य करना बंद कर देना होगा। यदि संस्था के प्रभारी अधिकारी ने रद्द किए जाने के आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की है तो वह उस तारीख से काम करना बंद कर देगी जिस तारीख को अपील करने की समय–सीमा का अवसान होता है।

जहां प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील की गई है किंतु प्रमाण–पत्र रद्द किए जाने के आदेश को मान्य ठहराया गया है, ऐसे में संस्थान को रद्द किए जाने के आदेश की तारीख से कार्य करना बंद कर देना होगा।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के रद्द हो जाने पर, सक्षम प्राधिकारी निदेश दे सकेगा कि कोई दिव्यांगजन जो रद्द किए जाने की तारीख को ऐसी संस्था में अंतःवासी है उसे उसके अभिभावक, पति या पत्नी, संरक्षक की अभिरक्षा/देखरेख में किसी अन्य संस्था को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

अपील

जब कोई व्यक्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने से इंकार करने या प्रमाण–पत्र रद्द करने के सक्षम अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, वह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी के पास अपील कर सकेगा। ऐसा राज्य सरकार द्वारा यथाविहित अवधि के भीतर करना होगा।

रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं को सहायता

यह सरकार का कर्तव्य होगा कि वह रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं को वृत्तीय सहायता प्रदान करें, जिससे कि वे दिव्यांगजनों को सेवा प्रदान कर सके और स्कीमों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर सके।

अध्याय – 10

विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं का प्रमाणन

मुख्य विशेषताएं

- इस अध्याय में दिव्यांगता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया स्पष्ट है।
- इसमें आवेदन के समय अनिवार्य आवश्यकताओं, कौन आवेदन कर सकता है और किसके पास आवेदन कर सकता है, स्पष्ट किया गया है।
- चिकित्सा प्राधिकारी को आवेदन पत्र की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कौन–कौन से कदम उठाने है, का उल्लेख किया गया है।
- जिस व्यक्ति का आवेदन नामंजूर कर दिया गया है उसके पास चिकित्सा प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का विकल्प है।

विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं के निर्धारण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

केन्द्रीय सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह किसी व्यक्ति में विनिर्दिष्ट दिव्यांगता की सीमा का निर्धारण करने हेतु मार्गदर्शक सिद्धांतों को अधिसूचित करे।

प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों का पदाभिधान

यह भी सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपेक्षित अर्हताएं/अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को अथवा जो पर्याप्त रूप से सक्षम है अथवा जिन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने की अपेक्षित कुशलता तथा ज्ञान है, को प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के रूप में निश्चित करेगी। इसके साथ ही सरकार उस भौगोलिक क्षेत्र का भी निर्धारण करेगी जिसके भीतर प्रत्येक प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को कृत्य करना है और उन निबंधनों और शर्तों को भी अधिसूचित करेगी जिनके अधीन रहते हुए प्रमाणकर्ता प्राधिकारी अपने प्रभावकारी कृत्यों का पालन करेगा।

प्रमाणन की प्रक्रिया

दिव्यांगता प्रमाण–पत्र के लिए आवेदन करने वला कोई व्यक्ति प्ररूप–4 में, जो दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 का एक भाग है, में आवेदन कर सकेगा। इसके लिए आवेदन उस अस्पताल में चिकित्सा प्राधिकारी के पास किया जा सकता है जिसमें आवेदक अपनी दिव्यांगता के संबंध में उपचार करा रहा है। आवेदक जिस जिले में रहता है वहां के चिकित्सा अधिकारी को, जिसे सक्षम प्राधिकारी अधिसूचित किया गया हो, के पास आवेदन कर सकता है। दिव्यांगजन जहां पर कोई अल्पवय है या बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रस्त है, जिसके कारण वह स्वयं आवेदन करने में असमर्थ है, तो आवेदन उसके विधिक संरक्षक या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसे संगठन द्वारा किया जा सकेगा, जो अल्पवय आवेदक का जिम्मेदार है। आवेदन प्ररूप के साथ निवास का सबूत दो नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटो और आवेदक का आधार कार्ड संलग्न करने होंगे।

दिव्यांगता प्रमाणपत्र तैयार करने में अनुपालन की प्रक्रिया

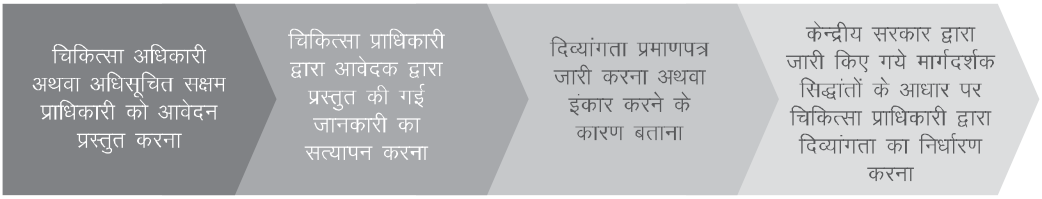

आवेदन की प्राप्ति पर चिकित्सा अधिकारी

(1) आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी का सत्यापन करता है।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर चिकित्सा प्राधिकारी दिव्यांगता का निर्धारण करता है।

प्राधिकारी के प्रस्तुत विवरण से स्वयं का समाधान कर लेने के बाद दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। नियम के अनुसार अंगोच्छेदन या अंगों की पूर्ण स्थायी अंगघात, बौनापन और अंधता की दशा में प्रमाण–पत्र प्ररूप 5 में जारी किया जाएगा। बहु–दिव्यांगता की दशा में प्रमाण पत्र प्ररूप 6 मे जारी होगा। प्ररूप 7 में प्रमाण–पत्र उल्लिखित मामलों के अतिरिक्त अन्य दिव्यांगता के संबंध में जारी किया जाएगा। जहां दिव्यांगता के स्वरूप अथवा डिग्री में किसी प्रकार के परिवर्तन होने की संभावना न हो वहां पर स्थायी प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा। जहां समय के साथ दिव्यांगता के स्तर में परिवर्तन की संभावना है वहां प्रमाण–पत्र की विधिमान्यता की अवधि को उपदर्शित करेगा। यदि आवेदक दिव्यांगता प्रमाण–पत्र पाने के लिए पात्र नहीं माना जाता हो तो उसे प्ररूप 8 मे उसके आवेदन पत्र के नामंजूर किए जाने के कारणों सहित सूचित किया जाना होगा। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकार को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि दिव्यांगता प्रमाणपत्र ऑनलाइन प्रदान करने की सुविधा हो। दिव्यांगजन को जारी किया गया प्रमाण पत्र संपूर्ण देश में मान्य होगा। प्रमाणन की इस प्रक्रिया के माध्यम से दिव्यांग व्यक्ति सभी सुविधाओं, रियायतों और लाभों के लिए आवेदन करने का पात्र बन जाता है। यदि प्रमाण–पत्र पूर्व अधिनियम के अधीन जारी किया जाता है तो वह प्रमाण–पत्र में विनिर्दिष्ट अवधि तक मान्य रहेगा।

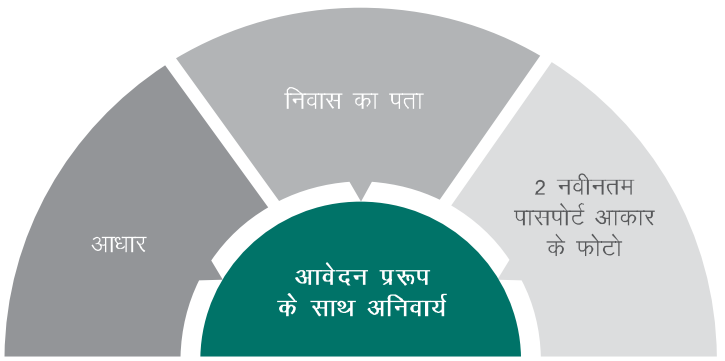

प्ररुप 5, 6, 7 और 8 दिव्यांग प्रमाण पत्रों के विभिन्न प्ररुप हैं, जिन्हे दिव्यांगजन अधिकार नियम में सम्मिलित किया गया है।

अपील

यदि कोई व्यक्ति प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के विनिश्चय से संतुष्ट नहीं है तो वह राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है। अपील पर विचार करते समय जिस प्रक्रिया का पालन किया जाना है उसे भी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट और अधिसूचित किए जाने की आवश्यकता है।

अध्याय – 11

केन्द्रीय और राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड तथा जिला स्तर समिति

मुख्य विशेषताएं

- इस अध्याय में राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड और सभी राज्यों में राज्य स्तर पर राज्य सलाहकार बोर्ड गठित करने का प्रावधन है।
- इसमें केन्द्रीय और राज्य स्तर पर उन सभी लोगों के नाम की सूची दी गई है जो बोर्ड का अंग होंगे।
- इसमें राज्य और केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कृत्यों का विवरण दिया गया है।
- इसमें केन्द्रीय और राज्य बोर्ड के सदस्यों की सेवा शर्तों और निरर्हताओं को भी विहित किया गया है।

केन्द्रीय सरकार के लिए केन्द्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड का गठन करना अनिवार्य होगा। इसका स्वरूप दिव्यांगता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रीय स्तर पर परामर्शदाता और सलाहकार निकाय का होगा। इसका यह दायित्व होगा कि यह सुनिश्चित करे कि दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने और वे अपने सम्पूर्ण अधिकारों का उपयोग कर सकें ,इसके लिए एक व्यापक नीति तैयार की जाये। बोर्ड में अनेक सदस्य होंगे यथा केन्द्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के दिव्यांगता कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता, स्कूल शिक्षा, साक्षरता तथा उच्चतर शिक्षा, महिला और बाल विकास, पंचायत राज, औद्योगिक नीति और संवर्धन, शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उपशमन विभागों/मंत्रालयों के सचिव, नीति आयोग के सचिव[2]।

अधिनियम के अनुसार बोर्ड में 90 से अधिक सदस्य होंगे। पूरी सूची के लिए कृपया अधिनियम का पृष्ठ 19 देखे। नीचे दिए लिंक पर भी इसे देखा जा सकता है
http//www.ncpedp.org/sites/all/themes/marinelli/documents/rights%20of%20persons%20with%20disabilities%20(rpwd)%20act.%202016.pdf

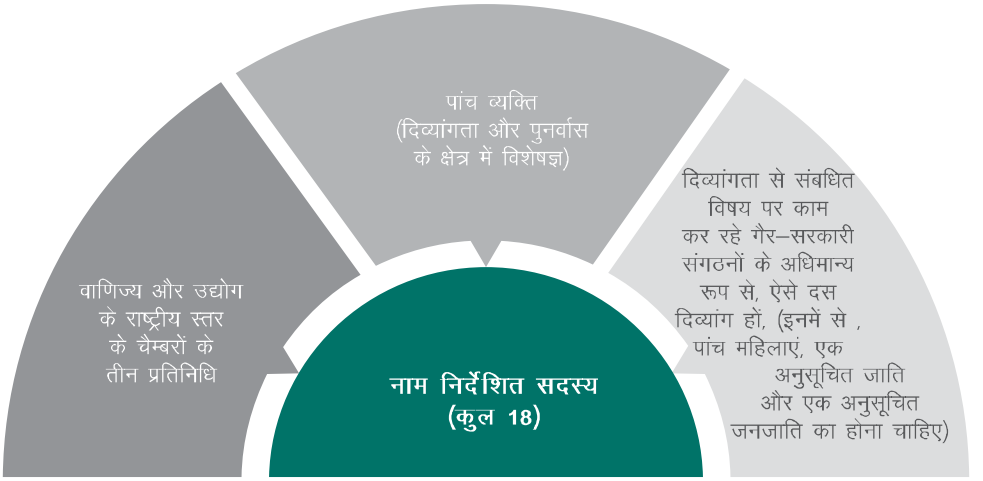

18 सदस्यो ंको केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाना है। इनमें से पांच (5) सदस्य दिव्यांगता और पुनर्वास के क्षेत्र में विशेषज्ञ होने चाहिए। दस (10) सदस्य दिव्यांगता से संबंधित विषय पर काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों से हों। (विधि में यह उपबंध किया गया है कि जहां तक व्यवहार्य हो, ऐसे दस व्यक्ति दिव्यांग हों, इसका अभिप्राय यह एक संस्तुतित्मक उपबंध है और इसमें अपवाद की अनुमति है, किन्तु अधिमान्यता केवल दिव्यांगजनों को ही दी जानी होगी) इन दस (10) सदस्यों में से कम से कम पांच (5) महिलायें होंगी और एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का और एक व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का होगा। कुल 18 सदस्यों से तीन (3) सदस्य वाणिज्य और उद्योगों के राष्ट्रीय स्तर के चैम्बरों के प्रतिनिधि भी होंगे।

बोर्ड में नामनिर्दिष्ट सदस्य अपने नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। पदावधि के समाप्त होते हुए भी वह तब तक अपने पद रहेगा जब तक कि उसका उत्तरवर्ती पद धारण नहीं कर लेता।

केन्द्रीय सरकार यदि आवश्यक समझे, वह नामनिर्दिष्ट किसी भी सदस्य को उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व हटा सकती है, पर ऐसा वह तभी कर सकती है, जब उसे ऐसा क्यों न किया जाये, स्पष्ट करने का अवसर दिया गया हो। एक नामनिर्दिष्ट सदस्य केन्द्रीय सरकार को लिख कर देने मात्र से पद–त्याग कर सकता है। नामनिर्देशित सदस्य जो दिव्यांगत के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं और वे जो वाणिज्य और उद्योगों के राष्ट्रीय स्तर के चैम्बरों का प्रतिनिधित्व करते हैं वे पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र हैं। केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड प्रत्येक छः महीने में एक बैठक करेगा।

केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के कृत्य

1. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को दिव्यांगता के बारे में नीतियों, कार्यक्रमों, विधान और परियोजनाओं पर सलाह देना।
2. दिव्यांगजनों से संबंधित विषयों पर ध्यान देने के लिए एक राष्ट्रीय नीति का विकास करना।
3. दिव्यांगजनों से संबंधित मामलों से संबंध रखने वाले सभी सरकारी विभागों और अन्य सरकारी तथा गैर–सरकारी संगठनों के कार्यकलापों का पुनरीक्षण और समन्वय करना।
4. राष्ट्रीय योजनाओं में दिव्यांगजनों के लिए स्कीमों और परियोजनाओं को शामिल करने को सुनिश्चित करने हेतु सक्रिय रूप से संबंधित प्राधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनां के साथ दिव्यांगजनों के मामलों को उठाना।
5. सूचना, सेवाओं और निर्मित पर्यावरण के बारे में दिव्यांगजनों की पहुंच, युक्तियुक्त आवासन और विभेद न होने देने को सुनिश्चित करने के लिए सुझाव देना।
6. दिव्यांगजनों की सम्पूर्ण भागीदारी सुनिचित करने के लिए विधियों, नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करना।
7. ऐसे अन्य कृत्य करना जो केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा सौंपे जायें।

केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन जिस तरह से केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है उसी तरह से राज्य सरकारें केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की संरचना के अनुसार राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन करेंगे। राज्य सलाहकार के सदस्यों में राज्य सरकार के दिव्यांगता कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री, राज्य सरकार के दिव्यांगता कार्य विभाग, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पंचायती राज, औद्योगिक नीति और संवर्धन, श्रम और नियोजन आदि विभागों के प्रभारी सचिव सम्मिलित होंगे। नामनिर्देशित सदस्यों के लिए भी वही प्रावधान होगा जो केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के लिए है। सेवा की शर्तें और निरर्हतायें भी वही होगी। राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा किए जाने वाले कृत्य भी वही है, परंतु वे राज्य स्तर पर होंगे। इसी तरह जैसे केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के लिए है उसी तरह से राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक भी प्रत्येक छः महीने मे एक बार अवश्य होनी होगी।

राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कृत्य करने के लिए राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह दिव्यांगता पर जिला स्तरीय समिति गठित करे।

अध्याय – 12

दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त

मुख्य विशेषताएं

- इस अध्याय में केन्द्रीय स्तर पर दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त और राज्य स्तर पर राज्य आयुक्त की नियुक्त का उपबंध है।
- इसमें उनकी अपेक्षित अर्हताएं, वेतन, भत्ते और उनके अधीक्षण के अधीन नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों के बारे में भी निर्धारण किया गया है।
- इस अध्याय में आयुक्तों के कृत्यों और उनकी शक्तियों को भी सूचीबद्ध किया गया है।

इस अध्याय के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार को शक्ति दी गई है कि वह दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त की नियुक्ति करे। केन्द्रीय सरकार मुख्य आयुक्त की सहायता के लिए दो आयुक्त भी नियुक्त कर सकेगी। इन दो आयुक्तों में से एक दिव्यांग होगा। मुख्य आयुक्त अथवा आयुक्त बनाए जाने के लिए यह प्रमुख मानदंड होगा कि उसे पुनर्वास से संबंधित विषयों में विशेष जानकारी या व्यावहारिक अनुभव हो। आयुक्तों, मुख्य आयुक्त और उसके अधीक्षण में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकेगी। यह मूल्यांकन करना भी केन्द्रीय सरकार का दायित्व होगा कि किस प्रकार के व्यक्ति/कर्मचारी मुख्य आयुक्त के कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए अपेक्षित होंगे। इन कर्मचारियों को मुख्य आयुक्त के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन कार्य करना होगा, जो इस पर सलाहकार समिति से सहायता प्राप्त करेगा, जिसके सदस्यों की अधिकतम संख्या ग्यारह होगी और वे विभिन्न दिव्यांगताओं के क्षेत्र में विशेषज्ञ होंगे।

मुख्य आयुक्त के कृत्य

मुख्य आयुक्त के निवर्हन हेतु कुछ कृत्य इस प्रकार हैं :–

1. किसी विधि के उपबंधो या नीतियों, कार्यक्रमों या प्रक्रियाओं की पहचान करेगा जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम से असंगत है और उनमें परिवर्तन लाने के लिए सुधारकारी उपायों का सुझाव देगा।
2. दिव्यांगजनों को अधिकार से वंचित करने और उन विषयों के संबंध में उन्हें उपलब्ध सुरक्षापायों की जांच करना, जो केन्द्रीय सरकार से संबंधित है। इसके साथ ही सुधारकारी कार्रवाई के लिए समुचित प्राधिकारी के पास मामले को उठाएगा। अन्य विधि/नीतियों में दिव्यांगजनों के अधिकारों के संरक्षण संबंधी सुरक्षापायों का पुनर्विलोकन और उन पर सिफारिश करेगा।

3. विभिन्न विधियों में दिव्यांगजनों के अधिकारों के संरक्षण के लिए किए गए उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करेगा।
4. दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय लिखतों जैसे दिव्यांगजन अधिकारों पर यू.एन. कन्वेंशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करेगा।
5. दिव्यांगजनों के अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान का संवर्धन करेगा।
6. दिव्यांगजनों के अधिकारों के बारे में जागरूकता का संवर्धन करेगा।
7. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम और दिव्यांगजनों से संबंधित किसी अन्य स्कीमों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखेगा।
8. दिव्यांगजनों के फायदे के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यय की गई निधि के उपयोग पर निगरानी रखेगा।

उपर्युक्त वर्णित कृत्यों के निर्वहन के समय मुख्य आयुक्त अन्य आयुक्तों से परामर्श करेगा। जब मुख्य आयुक्त किसी प्राधिकारी को सलाह/निर्देश देता है तो वह प्राधिकारी उस पर सुधारात्मक कार्रवाई करेगा और निर्देश प्राप्त होने की तारीख से तीन मास के भीतर उसके बारे में मुख्य आयुक्त को सूचित करेगा।

जब कोई प्राधिकारी निर्देश अथवा सिफारिश को स्वीकार नहीं करता है तो उसके स्वीकार न करने के कारणों को निर्देश प्राप्त होने की तारीख से तीन मास के भीतर मुख्य आयुक्त को और व्यथित व्यक्ति को बताएगा।

मुख्य आयुक्त की शक्तियां

जिस प्रकार सिविल न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन विचारण के मामलों में कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, उसी प्रकार से अधिनियम के अधीन मुख्य आयुक्त को भी अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए वही शक्तियां प्राप्त हैं। वे शक्तियां हैं:

1. साक्षी को साधिकार बुलाना/न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश देना।
2. किसी भी दस्तावेज को जांच अथवा सर्च और अपने सामने प्रस्तुत करने के लिए आदेश देना।
3. किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी भी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियों की जांच करना।
4. शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना।
5. उन साक्षियों का साक्ष्य लेने अथवा दस्तावेजों की जांच करने के आदेश देना जो किन्हीं कारणों से उसके समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए।

जो कोई साशय किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देगा अथवा मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा, वह भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय है, जिसमे सात वर्ष की अवधि तक का कारावास और जुर्माना लगाया जा सकेगा। इसी प्रकार मुख्य आयुक्त के समक्ष कार्यवाही में मिथ्या साक्ष्य देना भी दंडनीय है, उसे न्यायिक कार्यवाही माना गया है।

किसी लोक सेवक की जो न्यायिक कार्यवाही में बैठा है उसका साशय अपमान करना अथवा काम में बाधा उपस्थित करना भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय है जिसके लिए छः मास का साधारण कारवास और एक हजार रुपए तक जुर्माने का दंड लगाया जा सकेगा। मुख्य आयुक्त के समक्ष की कार्यवाही को भी उसी विधि से उसी तरह दंडनीय माना गया है।

कुछ कार्यकलाप ऐसे है जिन्हें सिविल न्यायालय में अपराध माना गया है जैसे समन की प्राप्ति से बचने के लिए फरार होना, किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने में चूक करना, लोक सेवक को सूचना अथवा जानकारी देने में चूक, अपने पक्ष में आदेश पाने के लिए दुर्भावनापूर्ण आशय से मिथ्या साक्ष्य देना, किसी घोषणा में मिथ्या कथन करना। इन कार्यकलापों के लिए मुख्य आयुक्त का न्यायालय सिविल न्यायालय माना जाएगा और इन कार्यकलापों को अपराध माना जाएगा। मुख्य आयुक्त केन्द्रीय सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय किसी विषय, जो अत्यावश्यकता या महत्ता का है पर विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा, ऐसा इसलिए कि उसे वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक आस्थगित नहीं किया जा सकता है।

केन्द्रीय सरकार का यह दायित्व होगा कि वह मुख्य आयुक्त की वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष उसकी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई और सिफारिशों को स्वीकार न करने के कारण पर एक ज्ञापन के साथ रखवायेगी। वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को ऐसे प्ररूप और रीति में तैयार किया जाएगा तथा उनमें ऐसे ब्योरे अंतर्विष्ट होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

सभी राज्य सरकारों के लिए यह आवश्यक है कि वे दिव्यांगजनों के लिए राज्य आयुक्तों की नियुक्ति करे। आयुक्तों की अर्हता और उनके कर्मचारियों की अर्हताएं, वेतन और भत्ते, राज्य आयुक्तों को सलाहकार समिति द्वारा दी जाने वाली सहायता उसी प्रकार की है जिस प्रकार की मुख्य आयुक्त के लिए है। इसमें अन्तर केवल इतना ही है कि राज्य आयुक्त को सहायता के लिए सलाहकार समिति में दिव्यांगता क्षेत्र में विशेषज्ञ सदस्यों की अधिकतम संख्या पांच होगी।

राज्य आयुक्त के कृत्य भी उसी प्रकार के है जैसे मुख्य आयुक्त के हैं पर वे एक राज्य के भीतर और उस राज्य विशेष के लाभ के लिए हैं। प्राधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई, जिन्हें आयुक्त सिफारिश करेंगे, के संबंध में उपबंध उसी तरह के हैं जैसे मुख्य आयुक्त के मामले में है। मामले की सुनवाई में राज्य आयुक्त की शक्तियां मुख्य आयुक्त की शक्तियों के समान हैं। उसके समक्ष किसी भी कार्यवाही को न्यायिक कार्यवाही माना जाता है।

राज्य आयुक्त वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार के पास प्रस्तुत करेगा। अत्यावश्यक या महत्ता के मामलों में विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। वार्षिक रिपोर्ट और विशेष रिपोर्ट राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष राज्य आयुक्त की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई और सिफारिशों को स्वीकार न करने के कारणों, यदि कोई हों, पर एक ज्ञापन के साथ रखवाएगी।

अध्याय – 13

विशेष न्यायालय

मुख्य विशेषताएं

इस अध्याय में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करके किए गए अपराधों के त्वरित विचारण के लिए विशेष न्यायालयों को स्थापित किए जाने का उपबंध किया गया है।

विशेष न्यायालय

इस अध्याय में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करके किए गये अपराधों के त्वरित विचारण के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाने का उपबंध है। इस बारे में निर्णय कि प्रत्येक जिले में सेशन न्यायालय के किस न्यायालय को विशेष न्यायालय पदाभिहित किया जाएगा राज्य सरकार द्वारा उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सहमत होने पर किया जा सकेगा।

विशेष लोक अभियोजक

राज्य सरकार प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए

1. या तो लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी
2. या किसी ऐसे अधिवक्ता की नियुक्ति करेगी जो सात वर्ष से अन्यून अवधि के लिए अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय कर रहा हो।

इस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में यह व्यक्ति कार्य करेगा। वह राज्य सरकार द्वारा विहित फीस पा सकेगा/सकेगी।

अध्याय – 14

दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि

मुख्य विशेषताएं

इस अध्याय में दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि के गठन, का उपबंध किया गया है और यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि निधि के लेखाओं का प्रबंध किस रीति से किया जाएगा और इस निधि में राशि कहां से जमा होगी। इस निधि में निम्नलिखित जमा किया जाएगा।

1. 11 अगस्त, 1983 को गठित दिव्यांगजनों के लिए निधि के अधीन उपलब्ध सभी राशियां
2. पूर्त विन्यास अधिनियम के अधीन 21 नवम्बर, 2006 को गठित दिव्यांगजन सशक्तीकरण न्यास निधि के अधीन उपलब्ध सभी राशियां
3. 16 अप्रैल, 2004 को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में बैंकों, निगमों, वित्तीय संस्थाओं द्वारा संदेय सभी राशियां
4. अनुदान, दानों, संदानों, उपकृतियों, वसीयतों या अंतरणों के माध्यम से प्राप्त सभी राशियां
5. केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सभी राशियां जिसके अंतर्गत सहायता अनुदान भी है
6. अन्य ऐसे स्रोतों से जो सरकार द्वारा विनिश्चय किए जाएं, ऐसी सभी राशियां भी इस निधि का भाग हो सकेंगी।

निधि का उपयोग और प्रबंध ऐसी रीति से किया जाएगा जिसका निर्धारण केन्द्रीय सरकार करेगी। केन्द्रीय सरकार का यह भी दायित्व होगा कि वह इस निधि की राशियों के लेखाओं का जिसमें आय–व्यय के लेखे भी शामिल है, को रखेगी। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से ऐसे प्ररूप में, जो विहित किए जाएं, निधि के लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगी। निधि के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी। इससे यह अभिप्रेत है कि भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का यह आधिकारिक दायित्व है कि वह लेखाओं का निरीक्षण करे और अथवा निधि के लेखाओं की एक व्यवस्थित पुनरीक्षा करे अथवा लेखाओं का आकलन करे। ऐसा नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट अंतरालों पर किया जा सकेगा, ऐसी संपरीक्षा के संबंध में नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा उपगत किसी भी व्यय का संदाय निधि से किया जाएगा। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक अथवा निधि के लेखाओं की संपरीक्षा करने के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वह अधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा में होते हैं। इस संबंध में विशिष्ट उल्लेख है कि नियंत्रक महालेखापरीक्षक संपरीक्षा के समय लेखा बहियों, संबद्ध वाउचरों, अन्य दस्तावेजों तथा कागज–पत्रों को पेश करने की मांग कर सकेगा। नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को निधि के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक या इस निमित्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित निधि के लेखे उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित केन्द्रीय सरकार द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाएंगे।

अध्याय – 15

दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि

मुख्य विशेषताएं

- इस अध्याय में प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि के गठन का प्रावधान है।
- इसमें राज्य निधि के प्रबंधन की जिम्मेदारी भी निश्चित की गई है।
- राज्य निधि की संपरीक्षा में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को प्रमुख भूमिका निभानी है।

अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को इस निधि के लिए पहल करने/निर्माण करने/ आरंभ करने/गठित करनी होगी, जिसे दिव्यांजगनों के लिए राज्य निधि कहा जाएगा। निधि का उपयोग और प्रबंध किस रीति से किया जाएगा इसके बावत राज्य सरकार विहित करेगी। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि यह सुनिश्चित करे कि इस निधि के लेखे और अन्य अभिलेख विशेष रूप से आय और व्यय लेखे उचित रीति से रखे जा रहे हैं।

लेखे किस रीति से रखे जाएंगे इस बारे में राज्य सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से निर्णय लिया जाएगा। निधि के लेखाओं की संपरीक्षा नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी। इससे यह अभिप्रेत है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का यह अधिकारिक कर्त्तव्य है कि वह लेखाओं का निरीक्षण करे अथवा एक व्यवस्थित पुनरीक्षा अथवा आकलन करे। ऐसा नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा निर्दिष्ट अंतराल पर किया जा सकेगा।

राज्य निधि के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा उपगत किसी भी व्यय का संदाय उसकी राज्य निधि से किया जाएगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक या उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति को निधि की संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार होंगे जो सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के समय होते हैं। इस बारे में विशिष्ट निर्देश है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक को लेखा बहियों, वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागजपत्रों को पेश करने की मांग करने तथा निधि के किसी कार्यलय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

नियंत्रक महालेखा परीक्षक या इसके निमित्त नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित राज्य निधि के लेखे उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाएंगे।

अध्याय – 16

अपराध और शास्तियां

मुख्य विशेषताएं

- इस अध्याय में अधिनियम के अधीन बनाये गए उपबंधों के उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के लिए दंड का उल्लेख किया गया है।
- किसी कंपनी द्वारा किए गए किसी अपराध के लिए कम्पनी के अधिकारियों को उत्तरदायी बनाया गया है।
- इस अध्याय में अधिनियम के अधीन अत्याचार के अपराधों के कृत्यों को सूचीबद्ध किया गया है।

अधिनियम के उपबंधों या नियमों का पालन न करने के लिए दंड

कोई व्यक्ति जो दिव्यांजन अधिकार अधिनियम के उपबंधों या अन्य किसी नियम का उल्लंघन करता है तो उसे पहले उल्लंघन के लिए जुर्माने से जो अधिकतम दस हजार रुपए तक का हो सकेगा और किसी पश्चात्वर्ती उल्लंघन के लिए जुर्माने से, जो 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए के बीच होगा, से दंडनीय होगा।

कंपनियों द्वारा अपराध

जहां दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा किया गया हो, तो जो उस अपराध को करने के समय कंपनी के दिन प्रतिदिन के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भार साधक था और जो लोग कंपनी के प्रति उत्तरदायी थे, वे उस अपराध को करने के दोषी माने जाएंगे। कंपनी को एक पृथक विधिक इकाई मानते हुए उस अपराध को करने का दोषी समझे जाएंगे। कंपनी और जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

दो ऐसी स्थितियां हैं जिनमें कंपनी के भार साधक व्यक्तियों को कम्पनी द्वारा किए गए अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा।

1. जब इन व्यक्तियों की जानकारी के बिना अपराध किया गया हो
2. उन व्यक्तियों ने अपराध किए जाने को रोकने के लए युक्तियुक्त कदम उठाए हों।

यदि कंपनी द्वारा कोई अपराध किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या किसी अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है, वहां इन अधिकारियों को भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और उनके विरुद्ध सम्यक् कार्यवाही की जाएगी। इस संदर्भ में कंपनी से कोई निगमित निकाय अथवा फर्म अथवा व्यक्तियों की किसी संस्था अभिप्रेत है। फर्म के संबंध में निदेशक से उस फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है।

संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए आशायित किसी फायदे को कपटपूर्वक लेने के लिए दंड

ऐसा कोई व्यक्ति जो अधिनियम में संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए प्रदत्त किसी फायदे को धोखे से लेता है या लेने का प्रयत्न करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

अत्याचारों के अपराधों के लिए दंड :

(एक क्रूर कृत्य जिसमें भौतिक हिंसा अथवा क्षति पहुंचाना शामिल है)

कतिपय कृत्यों को अत्याचारों के अपराधों के रूप में माना गया है:

1. दिव्यांगजन को किसी लोक दृष्टिगोचर स्थान में साशय अनादर से बोलना जिससे कि वह अपमानित महसूस कर सके और अपमान करने के आशय से उसकी गरिमा को क्षति पहुंचाने का कृत्य करना
2. किसी दिव्यांगजन पर उसका अनादर या लज्जित करने के आशय से भौतिक हमला करना या बल प्रयोग करना या अपमानित करने के आशय से किसी महिला का भौतिक उत्पीड़न करने का कृत्य करना।
3. किसी दिव्यांगजन पर नियंत्रण रखते हुए और स्वेच्छा या पूर्ण रूप से जानते हुए उसे भोजन या तरल पदार्थ देने से इंकार करना।
4. किसी दिव्यांग बालक या महिला की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में होते हुए और उस स्थिति का उपयोग उनका लैंगिंक रूप से शोषण करने के लिए करना।
5. स्वेच्छा से किसी दिव्यांगजन के किसी अंग या इन्द्री को क्षति पंहुचाना या सहायक युक्ति के उपयोग में नुकसान पहुंचाना ।
6. किसी दिव्यांग महिला पर कोई चिकित्सीय प्रक्रिया करना या उस चिकित्सकीय प्रक्रिया के संचालन के लिए निदेश करना जिस प्रक्रिया के द्वारा उसकी अभिव्यक्त सहमति के बिना गर्भावस्था की समाप्ति होती हो।

   अधिनियम के अधीन उपर्युक्त सभी कृत्यों को अत्याचार माना जाएगा जिसके लिए कारावास जिसकी अवधि छः मास से पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा।

जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहने पर दंड

जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम या इसके अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश के अधीन पुस्तिका, लेखा या अन्य दस्तावेज पेश करने में या ऐसी जानकारी या विवरणी या प्रश्न का उत्तर देने के लिए कर्तव्यबद्ध है, को उन्हें पेश करना होगा और यदि वह पेश करने में असफल रहता/रहती है, वह उस अपराध के लिए अपराधी होगा/होगी जिसके लिए वह जुर्माने से दंडनीय होगा/होगी जो 25,000/– रुपए तक का हो सकेगा। यदि कोई व्यक्ति जानकारी देने से इंकार करना चालू रखता है तो उस पर दंड की अथवा जुर्माने की पहले आदेश की तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए 1000/– रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकेगा।

समुचित सरकार का पूर्वानुमोदन

यदि सरकार का कोई कर्मचारी अपराध करता है, न्यायालय उस अपराध को सरकार के अनुमोदन के पश्चात् किया गया अपराध अथवा तब के सिवाए जब सरकार के निमित किसी अधिकारी ने शिकायत की हो, संज्ञान लेगा।

अनुकल्पी दंड

जब दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम या किसी अन्य केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन कोई अपराध करता है वह अधिनियम के अधीन दंड का भागी होगा। अधिनियम में ऐसे कठोर दंड का उपबंध है जो डिग्री से अधिक है।

अध्याय – 17

प्रकीर्ण

मुख्य विशेषताएं

- इस अध्याय में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में केन्द्रीय सरकार की शक्तियों का उल्लेख किया गया है।
- इसमें केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा जिन विषयों पर नियम बनये जा सकते हैं, की सूची दी गई है।
- इस अधिनियम में उल्लेख है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के द्वारा निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 निरस्त हो गया है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन अन्य विधियों के अतिरिक्त किया जाना है उनके स्थान पर नहीं। सरकार अथवा सरकार के किसी अधिकारी अथवा मुख्य आयुक्त अथवा राज्य आयुक्त का कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी को उसके द्वारा की गई कार्रवाई के लिए किसी भी प्रतिकूल विधिक परिणामों का सामना नहीं करना पड़ेगा यदि उसने वह कार्रवाई सदाशय से की है अथवा यदि कृत्य करने का आशय दिव्यांगजन अधिनियम के उपबंधों को सद्भावपूर्वक ढंग से कार्यान्वित करने के लिए किया गया हो।

दिव्यांगजन अधिनियम के कार्यान्वयन में कठिनाई उत्पन्न होने की स्थिति में केन्द्रीय सरकार ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी जो कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हो, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो। केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसा कर सकेगी

सरकार के पास इस प्रकार का आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से मात्र 2 वर्षों की अवधि के भीतर जारी करने की शक्ति है (वह तारीख जिससे अधिनियम प्रवर्तन हुआ) इस उपबंध के अधीन केन्द्रीय सरकार का प्रत्येक आदेश संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

केन्द्रीय सरकार के पास निम्नलिखित विषयों पर नियम बनाने की शक्ति है।

1. दिव्यांगता अनुसंधान समिति का गठन किस रीति से होगा।
2. मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त को समान अवसर नीति को किस रीति से अधिसूचित किया जाएगा।
3. विभिन्न स्थापनों द्वारा दिव्यांगजनों से संबंधित अभिलेखों का किस रीति से अनुरक्षण किया जाएगा।
4. शिकायत प्रतितोष अधिकारी द्वारा शिकायत के रजिस्टर का अनुरक्षण किस रीति से होगा।
5. विशेष रोजगार कार्यालय के लिए स्थापन द्वारा जानकारी किस रीति से उपलब्ध कराई जाएगी।
6. कौन व्यक्ति उच्च सहायता आवश्यकता का संदर्भित दिव्यांग है इसका निर्धारण करने वाले मूल्यांकन बोर्ड का कौन भाग होगा और किस रीति से मूल्यांकन किया जाएगा।
7. भौतिक पर्यावरण, परिवहन, सूचना और संसूचना पहुंच के लिए मानक।
8. दिव्यांगता प्रमाण पत्र के जारी किए जाने के लिए आवेदन की रीति और दिव्यांगता प्रमाणपत्र का प्ररूप।
9. केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के नामनिर्दिष्ट सदस्यों को संदत्त किए जाने वाले भत्ते।
10. केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठकों में कारबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया नियम।
11. मुख्य आयुक्त और आयुक्तों के वेतन और भत्ते।
12. मुख्य आयुक्त की सहायता के लिए सलाहकार समिति के लिए विशेषज्ञों का चयन और सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया।
13. मुख्य आयुक्त द्वारा तैयार की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट की रीति और अंतर्वस्तु।
14. राष्ट्रीय निधि प्रक्रिया और प्रबंधन संबंधी नियम।
15. निधि के लेखे तैयार करने की रीति।

प्रत्येक राज्य की **राज्य सरकार** के पास निम्नलिखित विषयों पर नियम बनाने की शक्ति है।

1. दिव्यांगता अनुसंधान समिति के गठन की रीति
2. सीमित संरक्षक की सहायता उपलब्ध कराने की रीति
3. दिव्यांगजनों के कल्याण कार्यों से संबद्ध संस्थानों के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की रीति
4. रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर पाने के लिए संस्थान द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं और मानक
5. रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र की विधिमान्य अवधि और वे शर्तें जिनके अधीन वह विधिमान्य रहेगा
6. रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र आवेदन अथवा उसके नवीनीकरण के निपटान की समयावधि
7. रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र के आवेदन को अस्वीकार कर दिए जाने के आदेश के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी को अपील करने की समयावधि
8. दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने से इंकार कर दिए जाने पर प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की समयावधि और रीति
9. राज्य सलाहकार बोर्ड के नामनिर्दिष्ट सदस्यों को संदत्त किए जाने वाले भत्ते
10. राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठकों के कारबार से संव्यवहार के लिए प्रक्रिया
11. जिला स्तरीय समिति का भाग कौन बनेगा और उसके द्वारा किन कृत्यों का निर्वहन किया जाएगा, के बारे में निर्णय करना
12. राज्य आयुक्त के अधिकारियों और कर्मचारीवृंद के वेतन, भत्ते व सेवा शर्तें
13. दिव्यांगजनों से संबंधित राज्य आयुक्त की सहायता के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति और नियुक्ति की प्रक्रिया
14. राज्य आयुक्त द्वारा तैयार की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट की रीति और अन्तर्वस्तु
15. प्रत्येक जिले में सेशन न्यायालय के विशेष न्यायालय से निर्दिष्ट न्यायालय में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अधीन मामलों की देख–रेख के लिए जिम्मेदार विशेष लोक अभियोजक को संदत्त की जाने वाली फीस या पारिश्रमिक
16. दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि का गठन और उसके उपयोग की रीति तथा उसका कैसे उपयोग हो
17. राज्य निधि के खातों को तैयार करने के लिए प्ररूप

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम से निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 निरस्त हो जाता है। इससे अभिप्रेत है कि पूर्व के अधिनियमों के स्थान पर अब दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कार्यान्वित किया जाएगा। 1995 के अधिनियम के ऐसे निरसन के होते हुए भी पुराने अधिनियम के अधीन की गई कोई कार्रवाई नए अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

कठिन शब्दों की शब्दावली

1.	कतिपय	कुछ एक
2.	विनिर्णय	निर्णय
3.	विनिर्दिष्ट	निर्दिश्ट (स्पेसीफाइड)
4.	वित्तपोषित	वित्तीय सहायता
5.	संसूचनात्मक	सूचना संबंधी
6.	पर्यावरणात्मक	वातावरण संबंधी
7.	संस्थागत	संस्था से संबंधित
8.	अवसंरचनात्मक	आधारभूत ढांचा
9.	संदाय	भुगतान
10.	अर्हताएं	योग्यताएं
11.	पदाभिहित	पदनाम
12.	संबर्धित	विस्तारित
13.	अनुकल्पनीय	वैकल्पिक
14.	वाक्शक्ति	बोलने की भक्ति
15.	अभिप्रेत	तात्पर्य, मतलब, अभिप्राय
16.	दृश्यश्रव्य	आडियो विजुअल
17.	दृष्टि क्षीणता	कम दिखाई देना
18.	श्रवणक्षीाता	कम सुनाई देना
19.	हत्था	हैडल
20.	अन्यून	से अधिसक न हों
21.	रूग्णता	बीमारी, रोग
22.	स्वपरायणता	आट्रिज्म सपेक्ट्रम विकार
23.	स्त्रायिक	स्नायु संबंति, नसों से संबंधित
24.	निष्पादन	कार्य करना
25.	भाषांतरकार	दूसरी भाषा में बदलने वाला, अनुवादक
26.	पारेषण	ट्रांसमिधान
27.	अंतर्वलित	सम्मिलित
28.	विपणन	बाजार में बेचना, मार्किटिग
29.	युक्तियुक्त	उपयुक्त
30.	अवसंरचना	आधारिक ढांचा
31.	वैधानिक	कानूनी
32.	उपांतरण	परिवर्तन
33.	समायोजन	तालमेल बिठाना
34.	स्वायत्तता	स्वतंत्रता
35.	अभिरक्षा	निगरानी
36.	संज्ञेय	गंभीर
37.	कतिपय	कुछ एक
38.	वरीयता	प्राथमिकता
39.	अपवादात्मक	के अतिरिक्त, के सिवाय
40.	विभेद	भेदभाव
41.	समायोजन	तालमेल
42.	उपांतरण	संशोधन, परिवर्तन
43.	राष्ट्रीयकृत	सरकारी
44.	परिसाक्ष्य	साक्ष्य
45.	भाषातरा	दूसरी भाषा में बदलना, अनुवाद
46.	विधित	कानूनी
47.	अभिलेख	रिकार्ड
48.	अधिमानी	समझ में आने वाली
49.	अभिलेखीकरण	रिकार्ड रखना
50.	श्रव्य	सुना जा सकने वाला
51.	स्वायत	स्वतन्त्र, स्वासी
52.	स्थावर	अचल
53.	जंगमसंपत्ति	चल संपत्ति
54.	संव्यवहार	आपसी बर्ताव
55.	उपधारणा	अनुमान
56.	भविष्यलक्षी	आगे से प्रभाव डालने वाली
57.	असम्यक	अनापेक्षित अनाव यक
58.	अभिहित	पदनामित
59.	स्वायत्तता	स्वयं भासन करने की स्वतंत्रता
60.	समुचित	उचित
61.	विनिश्रचय	निर्णय
62.	आवधिक	समय समय पर
63.	सम्मिलित	इन्कूलीसिव, को मिलाकर
64.	विभेद	अन्तर करना, भेदभाव करना
65.	उपान्तरणों	संशोधन, परिवर्तन
66.	परिचर	देख रेख करने वाला सहायक
67.	अभिनिश्चित	पता लगाना

68.	पण्य	हित धारक
69.	वृत्तिकों	प्रोफेशनल्स
70.	कर्मचारीवृन्द	कर्मचारी, स्टाफ
71.	वर्गीकृत	अलग अलग श्रेणियो में
72.	विधमान	वर्तमान, जो इस समय है
73.	सानुपाती	लाजिस्टिक सामग्री
74.	संप्रेशण	सूचना संबंधी
75.	सम्बर्धी	विस्तारक
76.	पाठयचर्या	करिकुलम, पाठयक्रम
77.	अनुकल्पीय	वैकल्पिक, दूसरी
78.	युक्तियां	युक्तियां, डिवाइस
79.	विपणन	बाजार में बेचना
80.	प्रतितोष	समाधन करने वाला निपटाने वाला
81.	विरचित	तैयार करना
82.	न्यून	कम
83.	सम्प्रेशक	सूचना संबंधी
84.	प्रवृत्तिमूलक	रवैया
85.	प्रोन्नत्ति	प्रमोशन
86.	अभिमुक्त	हटाना
87.	स्थानांतरित	दूसरी जगह भेजना
88.	दासता	गुलामी
89.	आकृष्ठ	ध्यान खींचना
90.	अनिवार्यताएं	आवश्यक, जरूरी
91.	वरीयताएं	प्राथमिकता देना
92.	आबासन	निवास, रहने का प्रबन्ध
93.	अनुरक्षण	रख रखाव
94.	विरचित	तैयार करना
95.	नैदानिक	डायगनास्टिक
96.	साधित्र	सहायक यंत्र
97.	श्रव्य	जिससे सुनाई दे
98.	निकटवर्ती	नजदीकी
99.	निरोधात्मक	रोक थाम
100.	प्रदाता	देने वाले
101.	साधित्र	एप्लाइंसेस
102.	शल्यक्रिय	सर्जरी
103.	अभिवृद्धि	बढ़ाना
104.	निकटवर्ती	नजदीकी
105.	ईष्टतम	अधिकतम, सबसे अधिक
106.	अनुसन्धान	रिर्सच, भोध
107.	निर्बाध	बिना किसी रोक टोक के
108.	आमोद	मनोरंजन
109.	प्रमोद	मन बहलाव
110.	प्रौद्योगिकी	टैक्नालाजी
111.	उपस्करों	इक्विपमेंट
112.	अवसंरचना	आधारभूत ढांचा
113.	विन्यास	आरियन्टेशन, प्रबंधन
114.	अवसंरचनाओं	आधरभूत ढांचा
115.	निधियों	फंड, राशियों
116.	सम्यक	उचित, निश्चित
117.	अभिवृद्धि	बढ़ोत्तरी
118.	रिक्तियों	खाली पद
119.	बिबरणी	रिर्टन
120.	पुनर्बिन्यास	रिओरियन्टेशन
121.	उपबंध	प्रोविजन, व्यवस्था
122.	विरचना	तैयार करना
123.	स्वपर्यन्ता	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार
124.	समयावधि	समय के भीतर
125.	अनुमोदिन	मंजूरी
126.	उपशमन	दूर करना
127.	विनिश्चयों	निर्णय
128.	अधिकथिक	निर्धारित करना
129.	बिनिर्दिष्ट	दिए गए
130.	पुनर्विलोकन	फिर से देखना
131.	मध्यमबृत्तियों	इन्टरमीडरीज
132.	संघटक	कम्पोनन्टस
133.	उन्नयन	नया जोडने के लिए
134.	संबर्धन	बढ़ाना
135.	वैयक्तिक	व्यक्तिगत
136.	वास्तुविदों	आर्किटैक्टस
137.	विरचित	तैयार करना
138.	निष्पादन	कार्य रूप देना
139.	रूग्ण	बीमार

140.	अनुज्ञप्ति	लाइसेंस
141.	नवीनीकरण	रिन्यू
142.	यथाविहित	जैसा निर्धारित किया गया है
143.	सत्यापन	वैरिफिकेशन
144.	अंगघात	लकंवा
145.	विधिमान्यता	कानूनी तौर से लागू रहने की अवधि
146.	निर्हरताओं	अयोग्यताएं
147.	संबर्धन	बढ़ाना
148.	व्यवहार्य	लागू करने योग्य
149.	संस्तुतितमक	सिफारिशी
150.	अधिमान्यता	कानूनी मान्यता
151.	नामनिर्दिष्ट	मनोनीत
152.	अधमता	भ्रष्ट कार्य, पतित कार्य
153.	अंतर्बलित	सम्मिलित
154.	विकृतचित	जिसका मन स्थिर न हो, अनसाउन्ड माइन्ड
155.	मानदंड	कसौटी
156.	सुरक्षोपायों	सुरक्षा के उपाय
157.	व्यथित	दुखी
158.	दुर्भावनापूर्ण	गलत भवना से
159.	अंतवृष्ट	इसमें दी गई
160.	महालेखपरीक्षक	आडिटर जनरल

NCPEDP

नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्पलाइमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल

ई–150, ईस्ट ऑफ कैलाश
नई दिल्ली–110065, भारत

(011) 26221276 / 77

secretariat.ncpedp@gmail.com

www.facebook.com/NCPEDP/

https://twitter.com/ncpedp_india

www.ncpedp.org

THE hans FOUNDATION

द हंस फाउंडेशन

सी–301–303, तीसरी मंजिल, हुडको प्लेस
एण्ड्रयूज गंज, अंसल प्लाजा,
खेल गांव मार्ग, नई दिल्ली – 110049

रजिस्टर्ड कार्यालय : ई–4, असोला होम्स
महरौली रोड, नई दिल्ली–110074 – भारत

(011) 49524545

info@thfmail.com

www.facebook.com/TheHansFoundation

twitter.com/THF_INDIA

www.thehansfoundation.org